पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–04/2018/..01(3110)../पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

जन सम्पर्क पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 16/04/201

विषय : **वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय "मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–101–निर्वाचन आयोग–उपशीर्ष–0001–राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज)" मद में राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार इकाईवार अंकित राशि **कुल ₹1,04,58,000.00 (एक करोड चार लाख अनठावन हजार रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019 एवं 3392 दिनांक 01.03.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. वित्त विभागीय पत्रांक 599 दिनांक 07.07.2010 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं आने वाले वित्तीय वर्षो के आय–व्ययक में वेतन की विषय शीर्षो (0101 से 0107) में उपबंधित राशि को घटा–बढाकर आवंटित किया जा सकता है। इन विषय शीर्षो (0101 से 0107) के लिए पुनर्विनियोग की आवश्यकता नहीं है।

4. आवंटित की जा रही राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जन सम्पर्क पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना** होंगे। इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

5. जिन मदों में सम्पादित कार्य अथवा आपूर्ति के विरूद्व भुगतान नहीं किया जा सका हो, उसके भुगतान की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाये। आवश्यकतानुसार पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश के विरूद्व प्रतिस्थानी आदेश निर्गत किया जाये।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जायें। यदि कोई छदमपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Commt Exp\Nirwachan Aayog\Letter.docx

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

12. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

14. इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड संख्या 16--2015001010001** है।

15. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

15/5/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–04/2018/01(319)/पं०रा० पटना, दिनांक 15/05/201

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

15/5/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–04/2018/01(310)/पं०रा० पटना, दिनांक 15/05/
प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

15/5/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Commt Exp\Nirwachan Aayog\Letter.docx

विवरणी–1

वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु मांग संख्या–16 अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय "मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–101–निर्वाचन आयोग–उपशीर्ष–0001–राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज)" मद में राशि का आवंटन की विवरणी। (विपत्र कोड– 16–2015001010001)

क्र०	विषय शीर्ष	उपबंधित राशि	आवंटित की जा रही राशि की विवरणी	
1	2	3	4	
1	0001.01.01 – वेतन	₹ 17000000.00	₹ 5610000.00	(छप्पन लाख दस हजार रूपये) मात्र
2	0001.01.02 – विशेष वेतन	₹ 0.00	₹ 0.00	(शून्य रूपये) मात्र
3	0001.01.03 – जीवन यापन भत्ता	₹ 3800000.00	₹ 1254000.00	(बारह लाख चौवन हजार रूपये) मात्र
4	0001.01.04 – मकान किराया भत्ता	₹ 2290000.00	₹ 755000.00	(सात लाख पचपन हजार रूपये) मात्र
5	0001.01.05 – परिवहन भत्ता	₹ 650000.00	₹ 214000.00	(दो लाख चौदह हजार रूपये) मात्र
6	0001.01.06 – चिकित्सा भत्ता	₹ 276000.00	₹ 91000.00	(इकानवे हजार रूपये) मात्र
7	0001.01.07 – अन्य भत्ता	₹ 72000.00	₹ 23000.00	(तैइस हजार रूपये) मात्र
8	0001.01.08 – त्योहार अग्रिम	₹ 0.00	₹ 0.00	(शून्य रूपये) मात्र
9	0001.06.01 – चिकित्सा प्रतिपूर्ति	₹ 400000.00	₹ 132000.00	(एक लाख बत्तीस हजार रूपये) मात्र
10	0001.11.01 – यात्रा व्यय	₹ 300000.00	₹ 99000.00	(निन्यानवें हजार रूपये) मात्र
11	0001.13.01 – कार्यालय व्यय	₹ 2000000.00	₹ 660000.00	(छह लाख साठ हजार रूपये) मात्र
12	0001.13.02 – वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	₹ 500000.00	₹ 165000.00	(एक लाख पैंसठ हजार रूपये) मात्र
13	0001.13.03 – दूरभाष	₹ 250000.00	₹ 82000.00	(बयासी हजार रूपये) मात्र
14	0001.13.04 – विद्युत प्रभार	₹ 500000.00	₹ 165000.00	(एक लाख पैंसठ हजार रूपये) मात्र
15	0001.13.05 – विधि प्रभार	₹ 1200000.00	₹ 396000.00	(तीन लाख छियानवें हजार रूपये) मात्र
16	0001.13.06 – वर्दी/पोशाक	₹ 15000.00	₹ 4000.00	(चार हजार रूपये) मात्र
17	0001.13.10 – भाड़े की गाड़ी का भुगतान	₹ 1000.00	₹ 0.00	(शून्य रूपये) मात्र
18	0001.14.01 – किराया महसूल एवं कर	₹ 650000.00	₹ 214000.00	(दो लाख चौदह हजार रूपये) मात्र
19	0001.20.01 – आतिथ्य व्यय	₹ 200000.00	₹ 66000.00	(छियासठ हजार रूपये) मात्र
20	0001.20.02 – कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	₹ 1000.00	₹ 0.00	(शून्य रूपये) मात्र
21	0001.20.03 – प्रशिक्षण व्यय	₹ 1000.00	₹ 0.00	(शून्य रूपये) मात्र
22	0001.28.02 – संविदा सेवायें	₹ 1600000.00	₹ 528000.00	(पाँच लाख अठाइस हजार रूपये) मात्र
23	0001.51.01 – मोटर गाड़ी–कार्यालय	₹ 1000.00	₹ 0.00	(शून्य रूपये) मात्र
	कुल योग :–	₹ 31707000.00	₹ 10458000.00	(एक करोड़ चार लाख अठावन हजार रूपये) मात्र

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक(अनुश्रवण)
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

अत्यावश्यक
ई-मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम-02-09/2017/ [illegible] /पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
वैशाली ।

पटना, दिनांक 29/05/2019

विषय : **स्व० जैलश देवी , पति-श्री राम बल्लभ सिंह, उपमुखिया ग्राम पंचायत-उफरौल, प्रखंड-देसरी, जिला- वैशाली, की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला पदाधिकारी, वैशाली के कार्यालय पत्रांक संख्या 318 दिनांक 02.03.2019 द्वारा स्व० जैलश देवी , पति-श्री राम बल्लभ सिंह, उपमुखिया ग्राम पंचायत-उफरौल, प्रखंड-देसरी, जिला- वैशाली,की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 एवं जिला पदाधिकारी, वैशाली का पत्रांक संख्या-318 दिनांक 02.03.2019 के आलोक में जिला पदाधिकारी, वैशाली को कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु आवंटित की जाती है।**

3. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य स्कीम अंतर्गत **''मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन-उपशीर्ष-0101-मुख्यालय पंचायत की स्थापना''** मद के विषय शीर्ष **'0101.37.01-अनुग्रह अनुदान'** से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं विपत्र कोड संख्या **16-2515000010101** है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019 एवं 3392 दिनांक 01.03.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **जिला पदाधिकारी, वैशाली** होंगे जो राशि की निकासी **जिला कोषागार, वैशाली** से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

[illegible handwriting]

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

29/5/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/02(3119)/पं०रा० पटना, दिनांक 29/05/2019

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, वैशाली /जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली /प्रभारी पदाधिकारी–08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/5/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/02(3119) पं०रा० पटना, दिनांक 29/05/2019

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/5/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

B.K

अत्यावश्यक
ई-मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/03(अनु0)/पं०रा०

बिहार सरकार

<u>पंचायती राज विभाग</u>

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
वैशाली ।

पटना, दिनांक 29/04/2019

विषय : स्व० मनीष कुमार, पिता– श्री रामजी सहनी, प्रखंड प्रमुख– जन्दाहा, ग्राम– दुलौर, पो0– पीरापुर थाना– जन्दाहा, जिला– वैशाली, की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला पदाधिकारी, वैशाली के कार्यालय पत्रांक संख्या 319 दिनांक 02.03.2019 द्वारा स्व० मनीष कुमार , पिता–श्री रामजी सहनी, प्रखंड प्रमुख– जन्दाहा, ग्राम–दुलौर, पो0–पीरापुर थाना–जन्दाहा, जिला–वैशाली,की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 एवं जिला पदाधिकारी, वैशाली का पत्रांक संख्या–319 दिनांक 02.03.2019 के आलोक में जिला पदाधिकारी, वैशाली को कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु आवंटित की जाती है।**

3. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य स्कीम अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0101–मुख्यालय पंचायत की स्थापना"** मद के विषय शीर्ष **'0101.37.01–अनुग्रह अनुदान'** से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं विपत्र कोड संख्या **16–2515000010101** है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019 एवं 3392 दिनांक 01.03.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **जिला पदाधिकारी, वैशाली** होंगे जो राशि की निकासी **जिला कोषागार, वैशाली** से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

-- लगातार --

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

29/5/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम-02-09/2017/03(अनु०)/पं०रा० पटना, दिनांक 29/05/2019

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, वैशाली /जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली /प्रभारी पदाधिकारी-08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/5/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम-02-09/2017/03(अनु०)/पं०रा० पटना, दिनांक 29/05/2019

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/5/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

अत्यावश्यक
ई-मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम-02-09/2017/ 05(अनु०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सिवान ।

पटना, दिनांक 29/04/2019

विषय : स्व० मनोज कुमार, वार्ड सदस्य, वार्ड संख्या-13, ग्राम पंचायत-साघर सुल्तान पुर, प्रखंड-भगवानपुर हाट, जिला- सिवान, की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला पदाधिकारी, सिवान के कार्यालय पत्रांक संख्या 274-II दिनांक 19.03.2019 द्वारा स्व० मनोज कुमार, वार्ड सदस्य, आश्रित पत्नी को, वार्ड संख्या-13 ग्राम पंचायत-साघर सुल्तान पुर, प्रखंड-भगवानपुर हाट, जिला-सिवान की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 एवं जिला पदाधिकारी, सिवान का पत्रांक संख्या-274-II दिनांक 19.03.2019 के आलोक में जिला पदाधिकारी, सिवान को कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु आवंटित की जाती है।**

3. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य स्कीम अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन-उपशीर्ष-0101-मुख्यालय पंचायत की स्थापना"** मद के विषय शीर्ष **'0101.37.01-अनुग्रह अनुदान'** से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं विपत्र कोड संख्या **16-2515000010101** है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019 एवं 3392 दिनांक 01.03.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **जिला पदाधिकारी, सिवान** होंगे जो राशि की निकासी **जिला कोषागार, सिवान** से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

--भागानार--

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

29/5/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम-02-09/2017/04(अ10)/पं०रा० पटना, दिनांक 29/05/2019

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, सिवान /जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिवान /प्रभारी पदाधिकारी-08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/5/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम-02-09/2017/04(अ10) पं०रा० पटना, दिनांक 29/05/2019

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/5/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

अत्यावश्यक
ई-मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/95(अनु0)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय ।

पटना, दिनांक 29/05/2019

विषय : स्व० कौशल्या देवी, पति मनचित दास, ग्राम कचहरी पंच, ग्राम– बरौनी–02, वार्ड न0–04, पंचायत–बरौनी–2, प्रखण्ड व थाना–तेघड़ा, जिला–बेगूसराय, की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के कार्यालय ज्ञापांक संख्या 163 दिनांक 31.01.2019 द्वारा स्व० कौशल्या देवी, पति मनचित दास, ग्राम कचहरी पंच, ग्राम– बरौनी–02, वार्ड न0–04, पंचायत–बरौनी–2, प्रखण्ड व थाना–तेघड़ा, जिला–बेगूसराय, की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 एवं जिला पदाधिकारी, बेगूसराय का ज्ञापांक संख्या–163 दिनांक 31.01.2019 के आलोक में जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु आवंटित की जाती है।**

3. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य स्कीम अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0101–मुख्यालय पंचायत की स्थापना"** मद के विषय शीर्ष **'0101.37.01–अनुग्रह अनुदान'** से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं विपत्र कोड संख्या **16–2515000010101** है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019 एवं 3392 दिनांक 01.03.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **जिला पदाधिकारी, बेगूसराय** होंगे जो राशि की निकासी **जिला कोषागार, बेगूसराय** से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

--लगातार---

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
29/5/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/05(अ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 29-05-2019

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगूसराय/प्रभारी पदाधिकारी–08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/5/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/05(अ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 29/05/2019

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/5/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2019/06(अ०)..../पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त (बक्सर, रोहतास, भोजपुर, कैमुर, जहानाबाद, अरवल, वैशाली, शिवहर, बांका, सुपौल, अररिया, किशनगंज, जमुई, लखीसराय एवं शेखपुरा को छोड़कर)।
सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज (पूर्णियाँ एवं मुंगेर को छोड़कर)।
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 09.05.2019

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष –0003–जिला पंचायत की स्थापना" मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाईवार अंकित कुल **₹88,18,04,550.00** (अट्ठासी करोड़ अठारह लाख चार हजार पाँच सौ पचास रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019 एवं 3392 दिनांक 01.03.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. वित्त विभागीय पत्रांक 599 दिनांक 07.07.2010 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं आने वाले वित्तीय वर्षों के आय–व्ययक में वेतन की विषय शीर्षों (0101 से 0107) में उपबंधित राशि को घटा–बढाकर आवंटित किया जा सकता है। इन विषय शीर्षों (0101 से 0107) के लिए पुनर्विनियोग की आवश्यकता नहीं है।

4. उप विकास आयुक्त कार्यालय स्थापना मद में आवंटित राशि से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत जिला अभियंता, यदि किसी जिला परिषद् में हैं, तो उनके वेतनादि का भुगतान भी इस आवंटित राशि से किया जायेगा।

5. **"सर्वप्रथम इस आवंटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाये वेतन आदि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक है, तो उसका भुगतान किया जाये। तत्पश्चात अवशेष राशि से नियमित वेतन का भुगतान किया जाये। यदि इसके बाद भी राशि अवशेष रहती है, तो नियमानुसार बकाया वेतन की निकासी की जा सकती है"।**

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Comm Exp\Zila Panchayat\Letter.docx

लगातार –

6. आवंटित राशि का भुगतान नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार/जिला कोषागार से की जायेगी।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय--समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करनां संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. **आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये। व्यय न होने पर शून्य व्यय विवरणी भेजी जाये।**

12. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

14. इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड संख्या 16--2515000010003** है।

15. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

9/5/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2018/06(3112)/पं०रा० पटना, दिनांक 09.05.19
प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

9/5/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Comm Exp\Zila Panchayat\Letter.docx

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2017/06(अ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 09.05

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

9/5/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–ल शीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0003–जिला पंचायत की स्थापना" अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 व्यय हेतु राशि का आवंटन (रूपये में) विवरणी।

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन					योग
		वेतन 0003.01.01	जी०या०भत्ता 0003.01.03	म०भत्ता 0003.01.04	प०भत्ता 0003.01.05	चि०भत्ता 0003.01.06	
1	2	3	4	5	6	7	8
	उप विकास आयुक्त कार्यालय स्थापना हेतु						
1	उप विकास आयुक्त, रोहतास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 0
2	उप विकास आयुक्त, भोजपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 0.
3	उप विकास आयुक्त, नालन्दा	1400000.00	168000.00	56000.00	21000.00	33600.00	₹ 1678600.
4	उप विकास आयुक्त, पटना	850000.00	102000.00	34000.00	12750.00	20400.00	₹ 1019150.
5	उप विकास आयुक्त, गया	1600000.00	192000.00	64000.00	24000.00	38400.00	₹ 1918400.
6	उप विकास आयुक्त, नवादा	1500000.00	180000.00	60000.00	22500.00	36000.00	₹ 1798500.
7	उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद	1500000.00	180000.00	60000.00	22500.00	36000.00	₹ 1798500.
8	उप विकास आयुक्त, जहानाबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 0.
9	उप विकास आयुक्त, सारण	300000.00	36000.00	12000.00	4500.00	7200.00	₹ 359700.
10	उप विकास आयुक्त, सीवान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 0.
11	उप विकास आयुक्त, गोपालगंज	1200000.00	144000.00	48000.00	18000.00	28800.00	₹ 1438800.
12	उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर	1300000.00	156000.00	52000.00	19500.00	31200.00	₹ 1558700.
13	उप विकास आयुक्त, वैशाली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 0.
14	उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण	1800000.00	216000.00	72000.00	27000.00	43200.00	₹ 2158200.
15	उप विकास आयुक्त, पश्चिम चम्पारण	200000.00	24000.00	8000.00	3000.00	4800.00	₹ 239800.
16	उप विकास आयुक्त, सीतामढ़ी	700000.00	84000.00	28000.00	10500.00	16800.00	₹ 839300.
17	उप विकास आयुक्त, भागलपुर	700000.00	84000.00	28000.00	10500.00	16800.00	₹ 839300.
18	उप विकास आयुक्त, मधुबनी	650000.00	78000.00	26000.00	9750.00	15600.00	₹ 779350.
19	उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर	750000.00	90000.00	30000.00	11250.00	18000.00	₹ 899250.
20	उप विकास आयुक्त, दरभंगा	1400000.00	168000.00	56000.00	21000.00	33600.00	₹ 1678600.
21	उप विकास आयुक्त, सहरसा	1200000.00	144000.00	48000.00	18000.00	28800.00	₹ 1438800.
22	उप विकास आयुक्त, मधेपुरा	500000.00	60000.00	20000.00	7500.00	12000.00	₹ 599500.
23	उप विकास आयुक्त, पूर्णिया	800000.00	96000.00	32000.00	12000.00	19200.00	₹ 959200.
24	उप विकास आयुक्त, कटिहार	800000.00	96000.00	32000.00	12000.00	19200.00	₹ 959200.
25	उप विकास आयुक्त, मुंगेर	400000.00	48000.00	16000.00	6000.00	9600.00	₹ 479600.
26	उप विकास आयुक्त, बेगुसराय	600000.00	72000.00	24000.00	9000.00	14400.00	₹ 719400.
27	उप विकास आयुक्त, खगड़िया	2700000.00	324000.00	108000.00	40500.00	64800.00	₹ 3237300.
	प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज कार्यालय स्थापना हेतु-						
28	उप निदेशक, पंचायत राज, पटना	5000000.00	600000.00	200000.00	75000.00	120000.00	₹ 5995000.
29	उप निदेशक, पंचायत राज, गया	300000.00	36000.00	12000.00	4500.00	7200.00	₹ 359700.
30	उप निदेशक, पंचायत राज, सारण	200000.00	24000.00	8000.00	3000.00	4800.00	₹ 239800.
31	उप निदेशक, पंचायत राज, मुजफ्फरपुर	2500000.00	300000.00	100000.00	37500.00	60000.00	₹ 2997500.
32	उप निदेशक, पंचायत राज, भागलपुर	1000000.00	120000.00	40000.00	15000.00	24000.00	₹ 1199000.0
33	उप निदेशक, पंचायत राज, दरभंगा	1500000.00	180000.00	60000.00	22500.00	36000.00	₹ 1798500.0
34	उप निदेशक, पंचायत राज, सहरसा	1000000.00	120000.00	40000.00	15000.00	24000.00	₹ 1199000.0
35	उप निदेशक, पंचायत राज, पूर्णिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 0.0
36	उप निदेशक, पंचायत राज, मुंगेर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 0.0
	जिला पंचायत राज पदाधिकारी कार्यालय स्थापना हेतु						
37	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर	1000000.00	120000.00	40000.00	15000.00	24000.00	₹ 1199000.0
38	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रोहतास	3000000.00	360000.00	120000.00	45000.00	72000.00	₹ 3597000.0
39	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर	2800000.00	336000.00	112000.00	42000.00	67200.00	₹ 3357200.0

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन					योग
		वेतन 0003.01.01	जी०या०भत्ता 0003.01.03	म०भत्ता 0003.01.04	प०भत्ता 0003.01.05	चि०भत्ता 0003.01.06	
1	2	3	4	5	6	7	8
40	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालन्दा	3200000.00	384000.00	128000.00	48000.00	76800.00	₹ 3836800.00
41	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना	4800000.00	576000.00	192000.00	72000.00	115200.00	₹ 5755200.00
42	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमुर	2200000.00	264000.00	88000.00	33000.00	52800.00	₹ 2637800.00
43	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया	3600000.00	432000.00	144000.00	54000.00	86400.00	₹ 4316400.00
44	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा	3200000.00	384000.00	128000.00	48000.00	76800.00	₹ 3836800.00
45	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद	4500000.00	540000.00	180000.00	67500.00	108000.00	₹ 5395500.00
46	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद	3500000.00	420000.00	140000.00	52500.00	84000.00	₹ 4196500.00
47	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल	400000.00	48000.00	16000.00	6000.00	9600.00	₹ 479600.00
48	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण	4000000.00	480000.00	160000.00	60000.00	96000.00	₹ 4796000.00
49	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीवान	4000000.00	480000.00	160000.00	60000.00	96000.00	₹ 4796000.00
50	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज	4300000.00	516000.00	172000.00	64500.00	103200.00	₹ 5155700.00
51	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	3800000.00	456000.00	152000.00	57000.00	91200.00	₹ 4556200.00
52	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली	3300000.00	396000.00	132000.00	49500.00	79200.00	₹ 3956700.00
53	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	4500000.00	540000.00	180000.00	67500.00	108000.00	₹ 5395500.00
54	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प० चम्पारण	3000000.00	360000.00	120000.00	45000.00	72000.00	₹ 3597000.00
55	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी	3500000.00	420000.00	140000.00	52500.00	84000.00	₹ 4196500.00
56	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर	800000.00	96000.00	32000.00	12000.00	19200.00	₹ 959200.00
57	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर	6000000.00	720000.00	240000.00	90000.00	144000.00	₹ 7194000.00
58	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बांका	2100000.00	252000.00	84000.00	31500.00	50400.00	₹ 2517900.00
59	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी	3600000.00	432000.00	144000.00	54000.00	86400.00	₹ 4316400.00
60	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर	3500000.00	420000.00	140000.00	52500.00	84000.00	₹ 4196500.00
61	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा	4600000.00	552000.00	184000.00	69000.00	110400.00	₹ 5515400.00
62	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा	4400000.00	528000.00	176000.00	66000.00	105600.00	₹ 5275600.00
63	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा	1500000.00	180000.00	60000.00	22500.00	36000.00	₹ 1798500.00
64	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल	1200000.00	144000.00	48000.00	18000.00	28800.00	₹ 1438800.00
65	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया	800000.00	96000.00	32000.00	12000.00	19200.00	₹ 959200.00
66	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया	1400000.00	168000.00	56000.00	21000.00	33600.00	₹ 1678600.00
67	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज	1200000.00	144000.00	48000.00	18000.00	28800.00	₹ 1438800.00
68	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार	2500000.00	300000.00	100000.00	37500.00	60000.00	₹ 2997500.00
69	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर	700000.00	84000.00	28000.00	10500.00	16800.00	₹ 839300.00
70	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जमुई	800000.00	96000.00	32000.00	12000.00	19200.00	₹ 959200.00
71	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगुसराय	4100000.00	492000.00	164000.00	61500.00	98400.00	₹ 4915900.00
72	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया	1400000.00	168000.00	56000.00	21000.00	33600.00	₹ 1678600.00
73	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय	1600000.00	192000.00	64000.00	24000.00	38400.00	₹ 1918400.00
74	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा	1400000.00	168000.00	56000.00	21000.00	33600.00	₹ 1678600.00
	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल हेतु						
75	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर	14850000.00	1782000.00	594000.00	222750.00	356400.00	₹ 17805150.00
76	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रोहतास	20350000.00	2442000.00	814000.00	305250.00	488400.00	₹ 24399650.00
77	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर	14350000.00	1722000.00	574000.00	215250.00	344400.00	₹ 17205650.00
78	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालन्दा	31850000.00	3822000.00	1274000.00	477750.00	764400.00	₹ 38188150.00
79	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना	20850000.00	2502000.00	834000.00	312750.00	500400.00	₹ 24999150.00
80	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमुर	15350000.00	1842000.00	614000.00	230250.00	368400.00	₹ 18404650.00
81	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया	33850000.00	4062000.00	1354000.00	507750.00	812400.00	₹ 40586150.00
82	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा	20850000.00	2502000.00	834000.00	312750.00	500400.00	₹ 24999150.00
83	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद	14850000.00	1782000.00	594000.00	222750.00	356400.00	₹ 17805150.00
84	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद	7850000.00	942000.00	314000.00	117750.00	188400.00	₹ 9412150.00
85	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल	5850000.00	702000.00	234000.00	87750.00	140400.00	₹ 7014150.00
86	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण	15850000.00	1902000.00	634000.00	237750.00	380400.00	₹ 19004150.00
87	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीवान	22850000.00	2742000.00	914000.00	342750.00	548400.00	₹ 27397150.00
88	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज	14850000.00	1782000.00	594000.00	222750.00	356400.00	₹ 17805150.00

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन						योग
		वेतन 0003.01.01	जी०या०भत्ता 0003.01.03	म०भत्ता 0003.01.04	प०भत्ता 0003.01.05	चि०भत्ता 0003.01.06		
1	2	3	4	5	6	7	8	
89	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	16350000.00	1962000.00	654000.00	245250.00	392400.00	₹	19603650.00
90	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली	14350000.00	1722000.00	574000.00	215250.00	344400.00	₹	17205650.00
91	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	21850000.00	2622000.00	874000.00	327750.00	524400.00	₹	26198150.00
92	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प० चम्पारण	19850000.00	2382000.00	794000.00	297750.00	476400.00	₹	23800150.00
93	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी	12850000.00	1542000.00	514000.00	192750.00	308400.00	₹	15407150.00
94	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर	7350000.00	882000.00	294000.00	110250.00	176400.00	₹	8812650.00
95	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर	9850000.00	1182000.00	394000.00	147750.00	236400.00	₹	11810150.00
96	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बांका	8350000.00	1002000.00	334000.00	125250.00	200400.00	₹	10011650.00
97	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी	24850000.00	2982000.00	994000.00	372750.00	596400.00	₹	29795150.00
98	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर	26850000.00	3222000.00	1074000.00	402750.00	644400.00	₹	32193150.00
99	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा	27850000.00	3342000.00	1114000.00	417750.00	668400.00	₹	33392150.00
100	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा	8350000.00	1002000.00	334000.00	125250.00	200400.00	₹	10011650.00
101	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा	12350000.00	1482000.00	494000.00	185250.00	296400.00	₹	14807650.00
102	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल	14850000.00	1782000.00	594000.00	222750.00	356400.00	₹	17805150.00
103	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया	14850000.00	1782000.00	594000.00	222750.00	356400.00	₹	17805150.00
104	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया	14850000.00	1782000.00	594000.00	222750.00	356400.00	₹	17805150.00
105	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज	13850000.00	1662000.00	554000.00	207750.00	332400.00	₹	16606150.00
106	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार	12350000.00	1482000.00	494000.00	185250.00	296400.00	₹	14807650.00
107	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर	7850000.00	942000.00	314000.00	117750.00	188400.00	₹	9412150.00
108	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जमुई	10850000.00	1302000.00	434000.00	162750.00	260400.00	₹	13009150.00
109	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगुसराय	16850000.00	2022000.00	674000.00	252750.00	404400.00	₹	20203150.00
110	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया	9350000.00	1122000.00	374000.00	140250.00	224400.00	₹	11210650.00
111	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय	7650000.00	918000.00	306000.00	114750.00	183600.00	₹	9172350.00
112	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा	6150000.00	738000.00	246000.00	92250.00	147600.00	₹	7373850.00
	कुल योग :–	735450000.00	88254000.00	29418000.00	11031750.00	17650800.00	₹	881804550.00

(अठ्ठासी करोड़ अठ्ठारह लाख चार हजार पचास रुपये) मात्र

सहायक   विशेष कार्य पदा०

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

(42)

पत्रांकः 5प / स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05 / 2019 / 07 (3110) / पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
पटना, गया, सारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णियाँ एवं मुंगेर।

पटना, दिनांक 09.05.2019

विषय : **वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-003-प्रशिक्षण-उपशीर्ष-0001-कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत" मद में राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाईवार अंकित राशि **कुल ₹1,17,50,000.00 (एक करोड़ सतरह लाख पचास हजार रूपये)** मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05 / 98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019 एवं 3392 दिनांक 01.03.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. वित्त विभागीय पत्रांक 599 दिनांक 07.07.2010 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं आने वाले वित्तीय वर्षो के आय-व्ययक में वेतन की विषय शीर्षो (0101 से 0107) में उपबंधित राशि को घटा-बढाकर आवंटित किया जा सकता है। इन विषय शीर्षों (0101 से 0107) के लिए पुनर्विनियोग की आवश्यकता नहीं है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 23 दिनांक 23.01.2019** द्वारा नामित संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों के **प्रभारी प्राचार्य** होंगे, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से करेंगें।

5. सर्वप्रथम इस आवंटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाये वेतन आदि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक है, तो उसका भुगतान किया जाये। ततपश्चात अवशेष राशि से नियमित वेतन का भुगतान किया जाये। यदि इसके बाद भी राशि अवशेष रहती है, तो नियमानुसार बकाया वेतन की निकासी की जा सकती है।

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Commt Exp\Prakshian Sansthan\Letter.docx

लगातार..........

51

6. आवंटित राशि का भुगतान नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण यां अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एव मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशो का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. आवंटित राशि की व्यय विवरणी अगले माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

12. इस आवंटन आदेश तथा विवरणी के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13: इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

14. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या 16-2515000030001 है।

15. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

9/5/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2019/07(310)/पं०रा० पटना, दिनांक 09/05/
प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

9/5/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

(40)

ज्ञापांकः 5प / स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05 / 2019 / 97(अ0) / पं०रा० पटना, दिनांक 09/05/2
प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

9/5/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Commt Exp\Prakshian Sansthan\Letter.docx

पंचायती राज विभाग

वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–003–प्रशिक्षण–उपशीर्ष–0001–कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत" मद में राशि का आवंटन विवरणी।

(राशि रुपये में)

क्र०	संस्थान का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन: वेतन 0001.01.01	वेतन: जी० या० भत्ता 0001.01.03	वेतन: मकान भत्ता 0001.01.04	वेतन: ओ० भत्ता 0001.01.05	वेतन: चि० भत्ता 0001.01.06	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, पटना,	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना	1500000.00	180000.000	120000.000	60000.000	15000.000	1875000.00
2	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, गया	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया	1200000.00	144000.000	96000.000	48000.000	12000.000	1500000.00
3	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, सारण	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण	1000000.00	120000.000	80000.000	40000.000	10000.000	1250000.00
4	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर,	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	1000000.00	120000.000	80000.000	40000.000	10000.000	1250000.00
5	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, भागलपुर,	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर	800000.00	96000.000	64000.000	32000.000	8000.000	1000000.00
	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, दरभंगा	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा	800000.00	96000.000	64000.000	32000.000	8000.000	1000000.00
	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, सहरसा	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा	700000.00	84000.000	56000.000	28000.000	7000.000	875000.00
	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, पूर्णिया	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया	2000000.00	240000.000	160000.000	80000.000	20000.000	2500000.00
	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, मुंगेर,	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर	400000.00	48000.000	32000.000	16000.000	4000.000	500000.00
	कुल योग		9400000.00	1128000.00	752000.00	376000.00	94000.00	11750000.00

(एक करोड़ सतरह लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2019/ 08(आ०) /पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

प्रभारी प्राचार्य,
पटना, गया, सारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णियाँ एवं मुंगेर।

पटना, दिनांक 09/05/20

विषय : **वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–003–प्रशिक्षण–उपशीर्ष–0001–कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत" मद में राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाईवार अंकित राशि **कुल ₹1,17,50,000.00 (एक करोड़ सतरह लाख पचास हजार रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019 एवं 3392 दिनांक 01.03.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. वित्त विभागीय पत्रांक 599 दिनांक 07.07.2010 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं आने वाले वित्तीय वर्षो के आय–व्ययक में वेतन की विषय शीर्षो (0101 से 0107) में उपबंधित राशि को घटा–बढाकर आवंटित किया जा सकता है। इन विषय शीर्षों (0101 से 0107) के लिए पुनर्विनियोग की आवश्यकता नहीं है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 23 दिनांक 23.01.2019** द्वारा नामित संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों के **प्रभारी प्राचार्य होंगे,** जो राशि की निकासी **संबंधित जिला कोषागार** से करेंगें।

5. **सर्वप्रथम इस आवंटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाये वेतन आदि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक है, तो उसका भुगतान किया जाये। तत्पश्चात अवशेष राशि से नियमित वेतन का भुगतान किया जाये। यदि इसके बाद भी राशि अवशेष रहती है, तो नियमानुसार बकाया वेतन की निकासी की जा सकती है।**

लगातार..........

6. आवंटित राशि का भुगतान नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. आवंटित राशि की व्यय विवरणी अगले माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

12. इस आवंटन आदेश तथा विवरणी के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

14. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या 16-2515000030001 है।

15. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

9/5/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2019/08(अनु०)/पं०रा० पटना, दिनांक 09/05/
प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/5/19

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Comm Exp\Prakshian Sansthan\Letter.docx

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2019/08(3110)/पं०रा० पटना, दिनांक09|05
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

9/5/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Commt Exp\Prakshian Sansthan\Letter.docx

पंचायती राज विभाग

वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष--003–प्रशिक्षण–उपशीर्ष–0001–कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत" मद में राशि का आवंटन विवरणी।

(राशि रूपये में)

क्र०	संस्थान का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन					योग
			वेतन 0001.01.01	जी० या० भत्ता 0001.01.03	मकान भत्ता 0001.01.04	प० भत्ता 0001.01.05	चि० भत्ता 0001.01.06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, पटना	प्रभारी प्राचार्य, पटना	1500000.00	180000.000	120000.000	60000.000	15000.000	1875000.00
2	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, गया	प्रभारी प्राचार्य, गया	1200000.00	144000.000	96000.000	48000.000	12000.000	1500000.00
3	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, सारण	प्रभारी प्राचार्य, सारण	1000000.00	120000.000	80000.000	40000.000	10000.000	1250000.00
4	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर	प्रभारी प्राचार्य, मुजफ्फरपुर	1000000.00	120000.000	80000.000	40000.000	10000.000	1250000.00
5	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, भागलपुर	प्रभारी प्राचार्य, भागलपुर	800000.00	96000.000	64000.000	32000.000	8000.000	1000000.00
6	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, दरभंगा	प्रभारी प्राचार्य, दरभंगा	800000.00	96000.000	64000.000	32000.000	8000.000	1000000.00
7	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, सहरसा	प्रभारी प्राचार्य, सहरसा	700000.00	84000.000	56000.000	28000.000	7000.000	875000.00
8	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, पूर्णिया	प्रभारी प्राचार्य, पूर्णिया	2000000.00	240000.000	160000.000	80000.000	20000.000	2500000.00
9	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, मुंगेर	प्रभारी प्राचार्य, मुंगेर	400000.00	48000.000	32000.000	16000.000	4000.000	500000.00
	कुल योग		9400000.00	1128000.00	752000.00	376000.00	94000.00	11750000.00

(एक करोड़ सतरह लाख पचास हजार रूपये) मात्र की राशि

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

अत्यावश्यक
ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/.09(3॥0)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सिवान ।

पटना, दिनांक 17/05/2019

विषय : स्व० शाहनवाज हैदर, वार्ड सदस्य, आश्रित पत्नी को, वार्ड संख्या–05, ग्राम पंचायत–चॉप, प्रखंड–हुसैनगंज, जिला– सिवान, की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला पदाधिकारी, सिवान के कार्यालय पत्रांक संख्या 363–II दिनांक 29.04.2019 द्वारा स्व० शाहनवाज हैदर, वार्ड सदस्य आश्रित पत्नी को, वार्ड संख्या–05, ग्राम पंचायत–चॉप, प्रखंड–हुसैनगंज, जिला– सिवान, की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 एवं जिला पदाधिकारी, सिवान का पत्रांक संख्या–363–II दिनांक 29.04.2019 के आलोक में जिला पदाधिकारी, सिवान को कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु आवंटित की जाती है।**

3. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य स्कीम अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0101–मुख्यालय पंचायत की स्थापना"** मद के विषय शीर्ष **'0101.37. 01–अनुग्रह अनुदान'** से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं विपत्र कोड संख्या **16–2515000010101** है।

4. **यह आवंटन** वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 289 दिनांक 28.03.2018, 354 दिनांक 28.03.2018 एवं 3244 दिनांक 04.05.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **जिला पदाधिकारी, सिवान** होंगे जो राशि की निकासी **जिला कोषागार, सिवान** से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

16/5/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/09(3110)/पं०रा० पटना, दिनांक 17/05/2019

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, सिवान/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिवान /प्रभारी पदाधिकारी–08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/5/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/09(3110) पं०रा० पटना, दिनांक 17/05/2019

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/5/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\ - 2515 ... letter

पत्रांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2019/...10(आ०)./पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

सभी संबंधित जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
(पटना, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर,
दरभंगा एवं अररिया को छोड़कर)।

पटना, दिनांक 06/06/2019

विषय : पंचायत चुनाव, 2011 के अवसर पर कराये गये कार्यों के बकाया भुगतान हेतु राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत उप निर्वाचन, 2019 हेतु निम्नलिखित विवरणी के अनुसार **0002.11.01–यात्रा व्यय इकाई से कुल ₹64,04,328.00 (चौसठ लाख चार हजार तीन सौ अठाईस रूपये) मात्र की राशि** वित्तीय वर्ष 2019–20 में आवंटित की जाती है:–

क्र०	जिला का नाम	वास्तविक मतदान केन्द्रों की संख्या	₹2310.00 प्रति मतदान केन्द की दर से यात्रा व्यय इकाई में पत्रांक 74(आ०) दिनांक 18.03.2019 द्वारा आवंटित राशि	₹7812.00 प्रति मतदान केन्द्र की दर से यात्रा व्यय इकाई में आवंटित अन्तर राशि 7812–2310=₹5502.00	
1	2	3	4	5	
1	रोहतास	29	66990	159558.00	(एक लाख उनसठ हजार पाँच सौ अंठावन रूपये) मात्र
2	भोजपुर	27	62370	148554.00	(एक लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ चौवन रूपये) मात्र
3	नालन्दा	32	73920	176064.00	(एक लाख छियत्तर हजार चौसठ रूपये) मात्र
4	कैमूर	21	48510	115542.00	(एक लाख पन्द्रह हजार पाँच सौ बेयालिस रूपये) मात्र
5	गया	28	64680	154056.00	(एक लाख चौवन हजार छप्पन रूपये) मात्र.
6	नवादा	49	113190	269598.00	(दो लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ अनठानवे रूपये) मात्र
7	औरंगाबाद	16	36960	88032.00	(अट्ठासी हजार बत्तीस रूपये) मात्र
8	जहानाबाद	16	36960	88032.00	(अट्ठासी हजार बत्तीस रूपये) मात्र
9	अरवल	15	34650	82530.00	(बेयासी हजार पाँच सौ तीस रूपये) मात्र
10	सारण	47	108570	258594.00	(दो लाख अनठावन हजार पाँच सौ चौरानवे रूपये) मात्र

लगातार ––

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Comm Exp\Election\Letter.docx

11	सिवान	95	219450	522690.00	(पाँच लाख बाइस हजार छः सौ नब्बे रूपये) मात्र
12	गोपालगंज	95	219450	522690.00	(पाँच लाख बाइस हजार छः सौ नब्बे रूपये) मात्र
13	मुजफ्फरपुर	29	66990	159558.00	(एक लाख उनसठ हजार पाँच सौ अनठावन रूपये) मात्र
14	पू० चम्पारण	58	133980	319116.00	(तीन लाख उन्नीस हजार एक सौ सोलह रूपये) मात्र
15	भागलपुर	35	80850	192570.00	(एक लाख बानवे हजार पाँच सौ सत्तर रूपये) मात्र
16	बाँका	43	99330	236586.00	(दो लाख छत्तीस हजार पाँच सौ छियासी रूपये) मात्र
17	मधुबनी	65	150150	357630.00	(तीन लाख सनतावन हजार छः सौ तीस रूपये) मात्र
18	सहरसा	35	80850	192570.00	(एक लाख बानवे हजार पाँच सौ सत्तर रूपये) मात्र
19	मधेपुरा	46	106260	253092.00	(दो लाख तीरपन हजार बानवे रूपये) मात्र
20	सुपौल	56	129360	308112.00	(तीन लाख आठ हजार एक सौ बारह रूपये) मात्र
21	पूर्णिया	39	90090	214578.00	(दो लाख चौदह हजार पाँच सौ अठहत्तर रूपये) मात्र
22	किशनगंज	37	85470	203574.00	(दो लाख तीन हजार पाँच सौ चौहत्तर रूपये) मात्र
23	कटिहार	104	240240	572208.00	(पाँच लाख बहत्तर हजार दो सौ आठ रूपये) मात्र
24	मुंगेर	30	69300	165060.00	(एक लाख पैसठ हजार साठ रूपये) मात्र
25	जमुई	31	71610	170562.00	(एक लाख सत्तर हजार पाँच सौ बासठ रूपये) मात्र
26	बेगूसराय	24	55440	132048.00	(एक लाख बतीस हजार अड़तालीस रूपये) मात्र
27	खगड़िया	50	115500	275100.00	(दो लाख पचहत्तर हजार एक सौ रूपये) मात्र
28	शेखपुरा	4	9240	22008.00	(बाईस हजार आठ रूपये) मात्र
29	पं० चम्पारण	3	6930	16506.00	(सोलह हजार पाँच सौ छः रूपये) मात्र
30	बक्सर	3	6930	16506.00	(सोलह हजार पाँच सौ छः रूपये) मात्र
31	लखीसराय	2	4620	11004.00	(ग्यारह हजार चार रूपये) मात्र
	कुल	**1164**	**2688840**	**6404328**	**(चौसठ लाख चार हजार तीन सौ अठाईस रूपये) मात्र**

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के **जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)** होंगे।

3. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के **"मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–109–पंचायतों / स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–उपशीर्ष–0002–जिला परिषदों / पंचायत समितियों / ग्राम पंचायतों का चुनाव"** अंतर्गत विषय शीर्ष **"0002.13.01–कार्यालय व्यय"** इकाई से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड 16–2015001090002** है।

4. **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि संबंधित जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।**

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019 एवं 3392 दिनांक 01.03.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिले के **जिला कोषागार** से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/ उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

5/6/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2019/10(3110) / पं०रा० पटना, दिनांक 06

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रभारी प्रशाखा–05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/6/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Commt Exp\Election\Letter.docx

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-06/2019/10(अनु०)/पं०रा० पटना, दिनांक 06/06/2019,
प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Commt Exp\Election\Letter.docx

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–08/2019/ 11(3110) /पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मुंगेर।

पटना, दिनांक 06/06/2019

विषय : पंचायत चुनाव, 2011 के अवसर पर कराये गये कार्यों के बकाया भुगतान हेतु राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत चुनाव, 2011 के अवसर पर बरियारपुर प्रखण्ड के मतगणना कक्ष निर्माण का बकाया भुगतान हेतु कुल ₹48,199.00 (अड़तालीस हजार एक सौ निन्यानवे रूपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2019–20 में आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मुंगेर** होंगे।

3. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के **"मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–109–पंचायतों/ स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–उपशीर्ष–0002–जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव"** अंतर्गत विषय शीर्ष "0002.13.01–कार्यालय व्यय" इकाई से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड 16–2015001090002** है।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account **(विपत्र कोड)** को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019 एवं 3392 दिनांक 01.03.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटित राशि की निकासी **जिला कोषागार, मुंगेर** से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/ उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

[illegible] [illegible] [illegible]

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
6/6/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2019/111(आ0)/ पं०रा० पटना, दिनांक 06/06/201
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रभारी प्रशाखा–05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/6/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2019/111(आ0)/पं०रा० पटना, दिनांक 06/06/2019
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6/6/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Commt Exp\Election\Letter.docx

(818)

अत्यावश्यक
ई-मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम-02-13/2017/ 12(अनु)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

उप सचिव-सह-निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांकः 11/06/2019

विषयः **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04(स्वी०) दिनांक 07.06.2019 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल ₹635.00 करोड़ (छह अरब पैंतीस करोड़ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04(स्वी०) **दिनांक 07.06.2019** द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य स्कीम मद से "मुख्यमंत्री निश्चय योजना" अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी 'अनुलग्नक-A' के अनुसार कुल **₹635.00 करोड़ (छह अरब पैंतीस करोड़ रूपये)** मात्र की राशि को राज्य के 3982 (तीन हजार नौ सौ बयासी) ग्राम पंचायतों में जनसंख्या के आधार पर वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल ₹635.00 करोड़ (छह अरब पैंतीस करोड़ रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु मांग संख्या-16 अंतर्गत राज्य स्कीम मद से निम्नरूपेण की जायेगीः-

क्र०	योजना शीर्ष	राशि (रूपये में)
1	"मुख्य शीर्ष-2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0113-मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड-16-2515001980113 विषय शीर्ष-0113.31.05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण।	4857000000.00
2	"मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0112-मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड-16-2515007890112 विषय शीर्ष-0112.31.05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण।	1393000000.00

लगातार --

814

3	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना योजना–उपशीर्ष–0119–मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड–16-2515007960119 विषय शीर्ष–0119.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण।	100000000.00
	कुल	6350000000.00

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से कर एच०डी०एफ०सी० बैंक, एक्जीबिशन रोड, पटना, बिहार में मुख्यमंत्री निश्चय योजना से संबंधित विभागीय खाता संख्या 50100188122505 में राशि अंतरित करते हुए विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या **04(रवी०) दिनांक 07.06.2019** के साथ संलग्न विवरणी 'अनुलग्नक–A' के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों को PFMS Portal के माध्यम से उनके बैंक खातों में अंतरित करायेंगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019 एवं 3392 दिनांक 01.03.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को इस स्वीकृत एवं आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

(816)

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

11/6/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांकः 5प / राज्य स्कीम–02–13 / 2017 / 12 (अनु) पं०रा० पटना, दिनांक 11/06/2019

प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/6/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांकः 5प / राज्य स्कीम–02–13 / 2017 / 12 (अनु) पं०रा० पटना, दिनांक 11/06/2019

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/6/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

(883)

यावश्यक / अविलम्ब
-मेल / स्पीड पोस्ट

पत्रांक-5प / गैर योजना-01 10 / 2016 / ....13 (3/13) पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 14/06/2019

विषय : **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 05(स्वी०) दिनाक 14.06.2019 द्वारा स्वीकृत कुल ₹3,36,56,000.00 (तीन करोड़ छत्तीस लाख छप्पन हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 05(स्वी०) दिनांक 14.06.2019 द्वारा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बुनियादी अनुदान (Basic Grant) के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल ₹2099.855 करोड़ (बीस अरब निन्यानवें करोड़ पिचासी लाख पचास हजार रूपये) मात्र की द्वितीय किस्त की विमुक्त राशि को भारत सरकार से विमुक्ति हेतु 15 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के उपरांत 09 (नौ) दिनों के विलम्ब अवधि का भारतीय रिजर्व बैंक की 6.50 प्रतिशत बैंक दर से कुल ₹3,36,56,000.00 (तीन करोड़ छत्तीस लाख छप्पन हजार रूपये) मात्र की सूद की राशि को संलग्न विवरणी अनुलग्नक-A (राज्य के सभी 8386 ग्राम पंचायतों हेतु) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल ₹3,36,56,000.00 (तीन करोड़ छत्तीस लाख छप्पन हजार रूपये) मात्र की सूद की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0001-पंचायत राज संस्थाओं को सहायता"** मद के विषय शीर्ष **"0001.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन"** से की जायेगी। इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड 16-2515001980001 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से राशि की निकासी कर 14वे वित्त आयोग से संबंधित एच०डी०एफ०सी० बैंक, एक्जीबिशन रोड, पटना, बिहार (HDFC Bank, Exhibition Road, Patna, Bihar) में संधारित विभागीय खाता संख्या 50100188126888 में राशि अंतरित करते हुए PFMS के माध्यम से विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 05(स्वी०) दिनांक 14.06.2019 के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक-A (राज्य के सभी 8386 ग्राम पंचायतों हेतु) के स्तम्भ 8 एवं 9 के अनुरूप कुल बुनियादी अनुदान का 80% राशि मुख्यमंत्री निश्चय योजना एवं 20% राशि 14वें वित्त आयोग के बैंक खातों में अंतरित करायेंगे।

लगातार.....

882

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05 / 98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019 एवं 3392 दिनांक 01.03.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष / लघुशीर्ष / उपशीर्ष / प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र / वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, पूर्व की आवंटित राशि का अंकेक्षित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा ग्राम पंचायतों के राजस्व के प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण) द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

14/6/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प / गैर योजना–01–10 / 2016 / 13(अ०) पं०रा० पटना, दिनांक 14/06/2019

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, बिहार, पटना / सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् / प्रभारी पदाधिकारी–04 एवं 06, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/6/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प / गैर योजना–01–10 / 2016 / 13(अ०) पं०रा० पटना, दिनांक 14/06/2019

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/6/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2019/ 14 (अ॰) /पं॰रा॰

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त, गोपालगंज, समस्तीपुर, दरभंगा, कटिहार एवं खगड़िया।
सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज (पूर्णियाँ एवं मुंगेर को छोड़कर)।
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 14/06/2019

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष –0003–जिला पंचायत की स्थापना" मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाईवार अंकित **कुल ₹23432184.00 (दो करोड़ चौंतीस लाख बत्तीस हजार एक सौ चौरासी रूपये) मात्र रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि॰ 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019 एवं 3392 दिनांक 01.03.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. **"सर्वप्रथम इस आवंटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाये वेतन आदि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक है, तो उसका भुगतान किया जाये। तत्पश्चात अवशेष राशि से नियमित वेतन का भुगतान किया जाये। यदि इसके बाद भी राशि अवशेष रहती है, तो नियमानुसार बकाया वेतन की निकासी की जा सकती है"।**

4. संलग्न विवरणी की कंडिका–54 में आवंटित राशि से विभागीय ज्ञापांक 3136 दिनांक 15.05.19 के आलोक में श्री महेश प्रसाद चौधरी, प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, फुलवारीशीरफ, पटना को चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में कुल ₹83,184.00 (तिरासी हजार एक सौ चौरासी रूपये) मात्र की राशि आवंटित है।

5. आवंटित राशि का भुगतान नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार/जिला कोषागार से की जायेगी।

लगातार –

D:\VS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Commt Exp\Zila Panchayat\Letter.docx

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. **आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये। व्यय न होने पर शून्य व्यय विवरणी भेजी जाये।**

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड संख्या 16–2515000010003** है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

14/6/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2018/14(3/8)/पं०रा० पटना, दिनांक 14/6/19
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

14/6/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2017/14(3/7)/पं०रा० पटना, दिनांक 14/06/19
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

14/6/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Commt Exp\Zila Panchayat\Letter.docx

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0003–जिला पंचायत की स्थापना" अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु राशि का आवंटन (रूपये में) विवरणी।

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	चि० प्रतिपूर्ति 0003.06.01	यात्रा व्यय 0003.11.01	कार्यालय व्यय 0003.13.01	दूरभाष 0003.13.03	भाड़े की गाड़ी का भुगतान 0003.13.10	संविदा सेवाएँ 0003.28.02	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	उप विकास आयुक्त कार्यालय स्थापना हेतु							
1	उप विकास आयुक्त, गोपालगंज	—	—	—	—	—	140000	₹ 140000.00
2	उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर	—	—	—	—	—	300000	₹ 300000.00
3	उप विकास आयुक्त, दरभंगा	—	—	—	—	—	210000	₹ 210000.00
4	उप विकास आयुक्त, कटिहार	—	—	—	—	—	350000	₹ 350000.00
5	उप विकास आयुक्त, खगड़िया	—	—	—	—	—	420000	₹ 420000.00
	प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज कार्यालय स्थापना हेतु							
6	उप निदेशक, पंचायत राज, पटना	—	0	20000	3000	—	—	₹ 23000.00
7	उप निदेशक, पंचायत राज, गया	—	10000	20000	3000	—	—	₹ 33000.00
8	उप निदेशक, पंचायत राज, सारण	—	0	20000	3000	—	—	₹ 23000.00
9	उप निदेशक, पंचायत राज, मुजफ्फरपुर	—	10000	20000	3000	—	—	₹ 33000.00
10	उप निदेशक, पंचायत राज, भागलपुर	—	10000	20000	3000	27000	—	₹ 60000.00
11	उप निदेशक, पंचायत राज, दरभंगा	—	10000	20000	3000	—	—	₹ 33000.00
12	उप निदेशक, पंचायत राज, सहरसा	—	10000	20000	3000	—	—	₹ 33000.00
13	उप निदेशक, पंचायत राज, पूर्णिया	—	—	—	—	—	—	₹ 0.00
14	उप निदेशक, पंचायत राज, मुंगेर	—	—	—	—	—	—	₹ 0.00

लगातार –

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	चि० प्रतिपूर्ति 0003.06.01	यात्रा व्यय 0003.11.01	कार्यालय व्यय 0003.13.01	दूरभाष 0003.13.03	भाड़े की गाड़ी का भुगतान 0003.13.10	संविदा सेवाएँ 0003.28.02	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	जिला पंचायत राज पदाधिकारी कार्यालय स्थापना हेतु							
15	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर	—	16000	35000	3500	120000	—	₹ 174500.00
16	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रोहतास	—	16000	35000	3500	120000	—	₹ 174500.00
17	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर	—	16000	35000	3500	120000	—	₹ 174500.00
18	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालन्दा	—	16000	35000	3500	120000	—	₹ 174500.00
19	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना	—	16000	35000	3500	120000	—	₹ 174500.00
20	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमुर	—	16000	35000	3500	120000	—	₹ 174500.00
21	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया	—	16000	35000	3500	120000	250000	₹ 424500.00
22	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा	—	16000	35000	3500	120000	200000	₹ 374500.00
23	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद	—	16000	35000	3500	120000	—	₹ 174500.00
24	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद	—	16000	35000	3500	120000	—	₹ 174500.00
25	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल	—	16000	35000	3500	120000	—	₹ 174500.00
26	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण	—	16000	35000	3500	120000	—	₹ 174500.00
27	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीवान	—	16000	35000	3500	120000	—	₹ 174500.00
28	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज	—	16000	35000	3500	120000	200000	₹ 374500.00
29	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	—	16000	35000	3500	120000	250000	₹ 424500.00
30	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली	—	16000	35000	3500	120000	—	₹ 174500.00
31	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	—	16000	35000	3500	120000	200000	₹ 374500.00
32	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प० चम्पारण	—	16000	35000	3500	120000	800000	₹ 974500.00
33	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी	—	16000	35000	3500	120000	—	₹ 174500.00
34	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर	—	16000	35000	3500	120000	170000	₹ 344500.00
35	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर	—	16000	35000	3500	120000	—	₹ 174500.00
36	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बांका	—	16000	35000	3500	120000	—	₹ 174500.00
37	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी	—	16000	35000	3500	120000	—	₹ 174500.00

क्र०सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	चि० प्रतिपूर्ति 0003.06.01	यात्रा व्यय 0003.11.01	कार्यालय व्यय 0003.13.01	दूरभाष 0003.13.03	भाड़े की गाड़ी का भुगतान 0003.13.10	संविदा सेवाएँ 0003.28.02	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर	—	16000	35000	3500	120000	800000	₹ 974500.00
39	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा	—	16000	35000	3500	120000	800000	₹ 974500.00
40	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा	—	16000	35000	3500	120000	—	₹ 174500.00
41	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा	—	16000	35000	3500	120000	—	₹ 174500.00
42	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल	—	16000	35000	3500	120000	—	₹ 174500.00
43	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया	—	16000	35000	3500	120000	—	₹ 174500.00
44	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया	—	16000	35000	3500	120000	—	₹ 174500.00
45	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज	—	16000	35000	3500	120000	—	₹ 174500.00
46	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार	—	16000	35000	3500	120000	600000	₹ 774500.00
47	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर	—	16000	35000	3500	120000	100000	₹ 274500.00
48	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जमुई	—	16000	35000	3500	120000	190000	₹ 364500.00
49	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगुसराय	—	16000	35000	3500	120000	—	₹ 174500.00
50	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया	—	16000	35000	3500	120000	—	₹ 174500.00
51	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय	—	16000	35000	3500	120000	—	₹ 174500.00
52	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा	—	16000	35000	3500	120000	—	₹ 174500.00
	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल हेतु							
53	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालन्दा	—	—	—	—	—	1000000	₹ 1000000.00
54	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना	83184	—	—	—	—	1500000	₹ 1583184.00
55	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद	—	—	—	—	—	500000	₹ 500000.00
56	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद	—	—	—	—	—	500000	₹ 500000.00
57	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज	—	—	—	—	—	600000	₹ 600000.00
58	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी	—	—	—	—	—	400000	₹ 400000.00
59	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बांका	—	—	—	—	—	300000	₹ 300000.00
60	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी	—	—	—	—	—	1000000	₹ 1000000.00

लगातार — —

क्र०	निकासी एवं व्ययन प्रदाधिकारी	चि० प्रतिपूर्ति 0003.06.01	यात्रा व्यय 0003.11.01	कार्यालय व्यय 0003.13.01	दूरभाष 0003.13.03	भाड़े की गाड़ी का भुगतान 0003.13.10	संविदा सेवाएँ 0003.28.02	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर	—	—	—	—	—	1000000	₹ 1000000.00
62	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा	—	—	—	—	—	1000000	₹ 1000000.00
63	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया	—	—	—	—	—	800000	₹ 800000.00
64	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार	—	—	—	—	—	800000	₹ 800000.00
65	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर	—	—	—	—	—	500000	₹ 500000.00
66	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगुसराय	—	—	—	—	—	600000	₹ 600000.00
	सकल कुल	83184	658000	1470000	154000	4587000	16480000	₹ 23432184.00

(दो करोड़ चौंतीस लाख बत्तीस हजार एक सौ चौरासी रुपये) मात्र

14/6/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

116

पत्रांकः 5प / राज्य स्कीम–02–11 / 2017 / 1530 / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 14/06/2019

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 06(स्वी०) दिनांक 14.06.2019 द्वारा स्वीकृत कुल ₹7,68,96,000.00 (सात करोड़ अड़सठ लाख छियानवें हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 06(स्वी०) दिनांक 14.06.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना हेतु विभिन्न कार्यालयों में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के पैनल से अनुबंध / संविदा के आधार पर प्रखण्ड स्तरीय कार्यपालक सहायकों के पारिश्रमिक / मानदेय भुगतान हेतु उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी के अनुरूप कुल ₹7,68,96,000.00 (सात करोड़ अड़सठ लाख छियानवें हजार रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त के आलोक में स्वीकृत्यादेश एवं इसके साथ संलग्न विवरणी के अनुरूप **कुल ₹7,68,96,000.00 (सात करोड़ अड़सठ लाख छियानवें हजार रूपये) मात्र की राशि** वित्तीय वर्ष 2019–20 में आवंटित की जाती है।

3. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी** होगें, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. **सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16–2515000010102) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।**

5. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग संख्या–16 के राज्य स्कीम अंतर्गत **''मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0102–जिला पंचायत की स्थापना''** मद के विषय शीर्ष **'0102.28.02–संविदा सेवाएँ'** इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड **16–2515000010102** है।

लगातार....

115

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019 एवं 3392 दिनांक 01.03.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः– यथा उपर्युक्त।

15/6/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/15(3118)/पं०रा० पटना, दिनांक 14/06/2019

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/6/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/15(3118)/पं०रा० पटना, दिनांक 14/06/2019

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/6/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\State Scheme\P 2515000010107\Letter.docx

अत्यावश्यक ई–मेल/फैक्स

पत्रांक: 5प/राज्य स्कीम–02–12/2017/ 16(अ०१०) / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार।
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 18/07/2019

विषय : विभागीय राज्यादेश संख्या 02(स्वी०) दिनांक 31.05.2019 द्वारा स्वीकृत राशि के विरूद्व कुल ₹1,14,45,55,200.00 (एक अरब चौदह करोड़ पैंतालीस लाख पचपन हजार दो सौ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 02(स्वी०) दिनांक 31.05.2019 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सदस्य)/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप–प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच को वित्तीय वर्ष 2019–20 में समेकित नियत (मासिक) भत्ता भुगतान हेतु उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न जिलावार विवरणी–1 के अनुसार जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को ₹4,26,12,000.00 (चार करोड़ छब्बीस लाख बारह हजार रूपये) मात्र की राशि, विवरणी–2 के अनुसार पंचायत समिति के प्रमुख, उप–प्रमुख तथा सदस्यों को ₹22,08,48,000.00 (बाईस करोड़ आठ लाख अड़तालीस हजार रूपये) मात्र की राशि, विवरणी–3 के अनुसार ग्राम पंचायत के मुखिया, उप–मुखिया तथा सदस्यों को ₹1,01,28,25,200.00 (एक अरब एक करोड़ अट्ठाईस लाख पच्चीस हजार दो सौ रूपये) मात्र की राशि, तथा विवरणी–4 के अनुसार ग्राम कचहरी के सरपंच, उप–सरपंच, तथा सदस्यों (पंचों) को ₹1,01,28,25,200.00 (एक अरब एक करोड़ अट्ठाईस लाख पच्चीस हजार दो सौ रूपये) मात्र की राशि, कुल मिलाकर ₹2,28,91,10,400.00 (दो अरब अट्ठाईस करोड़ इक्यानबे लाख दस हजार चार सौ रूपये) मात्र एवं पूर्व वर्षों के बकाया भत्ता भुगतान हेतु ₹1,21,08,89,600.00 (एक अरब इक्कीस करोड़ आठ लाख नवासी हजार छह सौ रूपये) मात्र की राशि अर्थात कुल ₹3,50,00,00,000.00 (तीन अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति इस आधार पर दी गई है कि योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अन्तर्गत ही राशि आवंटित की जायेगी।

2. उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 256 दिनांक 26.02.2019 द्वारा "01 अप्रैल 2019 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष के लिए बजट में प्रावधानित राशि का 33 प्रतिशत राशि को नियमानुसार व्यय किये जाने का निदेश दिया गया है।

3. **उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में नियत भत्ता की राशि की निकासी हेतु इस आवंटनादेश के साथ संलग्न विवरणी–I के अनुसार जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹2,13,06,000.00 (दो करोड़ तेरह लाख छह हजार रूपये) मात्र, विवरणी–II के अनुसार पंचायत समिति के प्रमुख, उप–प्रमुख एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹11,04,24,000.00 (ग्यारह करोड़ चार लाख चौबीस हजार रूपये) मात्र, विवरणी–III के अनुसार ग्राम पंचायत के मुखिया, उप–मुखिया एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹50,64,12,600.00 (पचास करोड़ चौसठ लाख बारह हजार छह सौ रूपये) मात्र एवं विवरणी–IV के अनुसार ग्राम कचहरी के सरपंच, उप–सरपंच एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹50,64,12,600.00 (पचास करोड़ चौसठ लाख बारह हजार छह सौ रूपये) मात्र अर्थात कुल मिलाकर ₹1,14,45,55,200.00 (एक अरब चौदह करोड़ पैंतालीस लाख पचपन हजार दो सौ रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।**

4. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं ग्राम कचहरी के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग राज्यादेश संख्या 02(स्वी०) दिनांक 31.05.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

5. इस आवंटित राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए तथा विगत वर्षों के बकाया भुगतान के लिए पूर्व निर्धारित दर से किया जायेगा।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019 एवं 3392 दिनांक 01.03.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 के मांग संख्या–16 के अन्तर्गत राज्य स्कीम में उपबंधित निम्नांकित बजट शीर्षों के अन्तर्गत की जायेगी :–

<u>जिला परिषदों के लिए</u> –

(क) सामान्य घटक:– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0106–जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515001960106 है।

लगातार – –

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0106–जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515007890106 है।

पंचायत समितियों के लिए –

(क) सामान्य घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–197–ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्त्ती स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0103–पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0103.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515001970103 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0105–पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0105.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515007890105 है।

ग्राम पंचायतों के लिए –

(क) सामान्य घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0105–ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0105.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515001980105 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0103–ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0103.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515007890103 है।

ग्राम कचहरियों के लिए –

(क) सामान्य घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम– उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0106–ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515001980106 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0104–ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0104.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515007890104 है।

8. **संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS के Budget Module द्वारा राशि को आवंटित की जा सके।**

9. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी।

10. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

11. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

12. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

13. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

14. इस आवंटित राशि की व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

15. इस आवंटन आदेश तथा इसके साथ विवरणी के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

16. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

17. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त

17/7/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-12/2017/16(अनु)/ पं०रा० पटना, दिनांक 18/07/2019

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रशाखा 08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त

17/7/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–12/2017/ 1६८(अ॰)/ पं०रा० पटना, दिनांक 18.07.2019

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

17/7/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2019–20 में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को जिले की त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत जिला परिषद् (जिला परिषद् अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	जिला परिषदों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001960106 के विषय शीर्ष–0106.31. 06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890106 के विषय शीर्ष–0106.31. 06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	
1	2	3	4	5
1	बक्सर	333660.00	68340.00	402000.00
2	रोहतास	495510.00	101490.00	597000.00
3	भोजपुर	470610.00	96390.00	567000.00
4	नालन्दा	507960.00	104040.00	612000.00
5	पटना	657360.00	134640.00	792000.00
6	कैमूर	321210.00	65790.00	387000.00
7	गया	657360.00	134640.00	792000.00
8	नवादा	395910.00	81090.00	477000.00
9	औरंगाबाद	433260.00	88740.00	522000.00
10	जहानाबाद	246510.00	50490.00	297000.00
11	अरवल	196710.00	40290.00	237000.00
12	सारण	669810.00	137190.00	807000.00
13	सिवान	595110.00	121890.00	717000.00
14	गोपालगंज	483060.00	98940.00	582000.00
15	मुजफ्फरपुर	756960.00	155040.00	912000.00
16	वैशाली	595110.00	121890.00	717000.00

लगातार – –

क्र०	जिला	जिला परिषदों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001960106 के विषय शीर्ष–0106.31. 06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890106 के विषय शीर्ष–0106.31. 06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	
17	पू० चम्पारण	794310.00	162690.00	957000.00
18	प० चम्पारण	607560.00	124440.00	732000.00
19	सीतामढ़ी	557760.00	114240.00	672000.00
20	शिवहर	171810.00	35190.00	207000.00
21	भागलपुर	470610.00	96390.00	567000.00
22	बांका	395910.00	81090.00	477000.00
23	मधुबनी	781860.00	160140.00	942000.00
24	समस्तीपुर	719610.00	147390.00	867000.00
25	दरभंगा	669810.00	137190.00	807000.00
26	सहरसा	346110.00	70890.00	417000.00
27	मधेपुरा	371010.00	75990.00	447000.00
28	सुपौल	395910.00	81090.00	477000.00
29	पूर्णियाँ	507960.00	104040.00	612000.00
30	अररिया	458160.00	93840.00	552000.00
31	किशनगंज	308760.00	63240.00	372000.00
32	कटिहार	495510.00	101490.00	597000.00
33	मुंगेर	258960.00	53040.00	312000.00
34	जमुई	333660.00	68340.00	402000.00
35	बेगुसराय	520410.00	106590.00	627000.00
36	खगड़िया	308760.00	63240.00	372000.00
37	लखीसराय	221610.00	45390.00	267000.00
38	शेखपुरा	171810.00	35190.00	207000.00
	कुल राशि	**17683980.00**	**3622020.00**	**21306000.00**

(दो करोड़ तेरह लाख छह हजार रूपये) मात्र

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

विवरणी–II

वित्तीय वर्ष 2019–20 में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को जिले की त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत पंचायत समिति (पंचायत समिति प्रमुख/उप–प्रमुख/पंचायत समिति सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	पंचायत समितियों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001970103 के विषय शीर्ष–0103.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890105 के विषय शीर्ष–0105.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	
1	2	3	4	5
1	बक्सर	1708140.00	349860.00	2058000.00
2	रोहतास	2873460.00	588540.00	3462000.00
3	भोजपुर	2450160.00	501840.00	2952000.00
4	नालन्दा	2997960.00	614040.00	3612000.00
5	पटना	3700140.00	757860.00	4458000.00
6	कैमूर	1638420.00	335580.00	1974000.00
7	गया	3839580.00	786420.00	4626000.00
8	नवादा	2171280.00	444720.00	2616000.00
9	औरंगाबाद	2131440.00	436560.00	2568000.00
10	जहानाबाद	1090620.00	223380.00	1314000.00
11	अरवल	761940.00	156060.00	918000.00
12	सारण	3610500.00	739500.00	4350000.00
13	सिवान	3082620.00	631380.00	3714000.00
14	गोपालगंज	2499960.00	512040.00	3012000.00
15	मुजफ्फरपुर	3670260.00	751740.00	4422000.00
16	वैशाली	3002940.00	615060.00	3618000.00

लगातार – –

क्र०	जिला	पंचायत समितियों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001970103 के विषय शीर्ष–0103.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890105 के विषय शीर्ष–0105.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	
17	पू० चम्पारण	4372440.00	895560.00	5268000.00
18	प० चम्पारण	3246960.00	665040.00	3912000.00
19	सीतामढ़ी	3012900.00	617100.00	3630000.00
20	शिवहर	682260.00	139740.00	822000.00
21	भागलपुर	2599560.00	532440.00	3132000.00
22	बांका	1957140.00	400860.00	2358000.00
23	मधुबनी	4123440.00	844560.00	4968000.00
24	समस्तीपुर	3894360.00	797640.00	4692000.00
25	दरभंगा	3421260.00	700740.00	4122000.00
26	सहरसा	1673280.00	342720.00	2016000.00
27	मधेपुरा	1962120.00	401880.00	2364000.00
28	सुपौल	1982040.00	405960.00	2388000.00
29	पूर्णियाँ	2604540.00	533460.00	3138000.00
30	अररिया	2091600.00	428400.00	2520000.00
31	किशनगंज	1329660.00	272340.00	1602000.00
32	कटिहार	2669280.00	546720.00	3216000.00
33	मुंगेर	1259940.00	258060.00	1518000.00
34	जमुई	1608540.00	329460.00	1938000.00
35	बेगुसराय	2803740.00	574260.00	3378000.00
36	खगड़िया	1374480.00	281520.00	1656000.00
37	लखीसराय	1015920.00	208080.00	1224000.00
38	शेखपुरा	737040.00	150960.00	888000.00
	कुल राशि	**91651920.00**	**18772080.00**	**110424000.00**

(ग्यारह करोड़ चार लाख चौबीस हजार रूपये) मात्र

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

विवरणी–III

वित्तीय वर्ष 2019–20 में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को जिले की त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया/ग्राम पंचायत सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	ग्राम पंचायतों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001980105 के विषय शीर्ष–0105.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890103 के विषय शीर्ष–0103.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	
1	2	3	4	5
1	बक्सर	7193112.00	1473288.00	8666400.00
2	रोहतास	11624316.00	2380884.00	14005200.00
3	भोजपुर	12099408.00	2478192.00	14577600.00
4	नालन्दा	12299604.00	2519196.00	14818800.00
5	पटना	16226832.00	3323568.00	19550400.00
6	कैमूर	6983454.00	1430346.00	8413800.00
7	गया	16677522.00	3415878.00	20093400.00
8	नवादा	9272262.00	1899138.00	11171400.00
9	औरंगाबाद	10315074.00	2112726.00	12427800.00
10	जहानाबाद	4654308.00	953292.00	5607600.00
11	अरवल	3194670.00	654330.00	3849000.00
12	सारण	16551528.00	3390072.00	19941600.00
13	सिवान	14843388.00	3040212.00	17883600.00
14	गोपालगंज	11639754.00	2384046.00	14023800.00
15	मुजफ्फरपुर	19309950.00	3955050.00	23265000.00
16	वैशाली	14489808.00	2967792.00	17457600.00

क्र०	जिला	ग्राम पंचायतों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001980105 के विषय शीर्ष–0105.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890103 के विषय शीर्ष–0103.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	
17	पू० चम्पारण	20487720.00	4196280.00	24684000.00
18	प० चम्पारण	15470370.00	3168630.00	18639000.00
19	सीतामढ़ी	13902168.00	2847432.00	16749600.00
20	शिवहर	2704638.00	553962.00	3258600.00
21	भागलपुर	11640252.00	2384148.00	14024400.00
22	बांका	9123360.00	1868640.00	10992000.00
23	मधुबनी	20113224.00	4119576.00	24232800.00
24	समस्तीपुर	19049496.00	3901704.00	22951200.00
25	दरभंगा	16350834.00	3348966.00	19699800.00
26	सहरसा	7570596.00	1550604.00	9121200.00
27	मधेपुरा	8291700.00	1698300.00	9990000.00
28	सुपौल	9181626.00	1880574.00	11062200.00
29	पूर्णियाँ	12271716.00	2513484.00	14785200.00
30	अररिया	10924128.00	2237472.00	13161600.00
31	किशनगंज	6412746.00	1313454.00	7726200.00
32	कटिहार	11920128.00	2441472.00	14361600.00
33	मुंगेर	5010876.00	1026324.00	6037200.00
34	जमुई	7326078.00	1500522.00	8826600.00
35	बेगुसराय	11826504.00	2422296.00	14248800.00
36	खगड़िया	6684654.00	1369146.00	8053800.00
37	लखीसराय	4051230.00	829770.00	4881000.00
38	शेखपुरा	2633424.00	539376.00	3172800.00
	कुल राशि	420322458.00	**86090142.00**	**506412600.00**

(पचास करोड़ चौसठ लाख बारह हजार छह सौ रूपये) मात्र

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

विवरणी–IV

वित्तीय वर्ष 2019–20 में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को जिले के ग्राम कचहरी (ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच/पंच) के लिए बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	ग्राम कचहरियों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001980106 के विषय शीर्ष–0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890104 के विषय शीर्ष–0104.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	
1	2	3	4	5
1	बक्सर	7193112.00	1473288.00	8666400.00
2	रोहतास	11624316.00	2380884.00	14005200.00
3	भोजपुर	12099408.00	2478192.00	14577600.00
4	नालन्दा	12299604.00	2519196.00	14818800.00
5	पटना	16226832.00	3323568.00	19550400.00
6	कैमूर	6983454.00	1430346.00	8413800.00
7	गया	16677522.00	3415878.00	20093400.00
8	नवादा	9272262.00	1899138.00	11171400.00
9	औरंगाबाद	10315074.00	2112726.00	12427800.00
10	जहानाबाद	4654308.00	953292.00	5607600.00
11	अरवल	3194670.00	654330.00	3849000.00
12	सारण	16551528.00	3390072.00	19941600.00
13	सिवान	14843388.00	3040212.00	17883600.00
14	गोपालगंज	11639754.00	2384046.00	14023800.00
15	मुजफ्फरपुर	19309950.00	3955050.00	23265000.00
16	वैशाली	14489808.00	2967792.00	17457600.00

क्र०	जिला	ग्राम कचहरियों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001980106 के विषय शीर्ष–0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890104 के विषय शीर्ष–0104.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	
17	पू० चम्पारण	20487720.00	4196280.00	24684000.00
18	प० चम्पारण	15470370.00	3168630.00	18639000.00
19	सीतामढ़ी	13902168.00	2847432.00	16749600.00
20	शिवहर	2704638.00	553962.00	3258600.00
21	भागलपुर	11640252.00	2384148.00	14024400.00
22	बांका	9123360.00	1868640.00	10992000.00
23	मधुबनी	20113224.00	4119576.00	24232800.00
24	समस्तीपुर	19049496.00	3901704.00	22951200.00
25	दरभंगा	16350834.00	3348966.00	19699800.00
26	सहरसा	7570596.00	1550604.00	9121200.00
27	मधेपुरा	8291700.00	1698300.00	9990000.00
28	सुपौल	9181626.00	1880574.00	11062200.00
29	पूर्णियाँ	12271716.00	2513484.00	14785200.00
30	अररिया	10924128.00	2237472.00	13161600.00
31	किशनगंज	6412746.00	1313454.00	7726200.00
32	कटिहार	11920128.00	2441472.00	14361600.00
33	मुंगेर	5010876.00	1026324.00	6037200.00
34	जमुई	7326078.00	1500522.00	8826600.00
35	बेगुसराय	11826504.00	2422296.00	14248800.00
36	खगड़िया	6684654.00	1369146.00	8053800.00
37	लखीसराय	4051230.00	829770.00	4881000.00
38	शेखपुरा	2633424.00	539376.00	3172800.00
	कुल राशि	**420322458.00**	**86090142.00**	**506412600.00**

(पचास करोड़ चौसठ लाख बारह हजार छह सौ रूपये) मात्र

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/17(आ10)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी
(नालन्दा, पटना, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर,
शिवहर, किशनगंज एवं जमुई को छोड़कर) बिहार।

पटना, दिनांक 18/06/2019

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 3888 दिनांक 19.06.2019 द्वारा स्वीकृत कुल ₹2,68,67,904.00 (दो करोड़ अड़सठ लाख सड़सठ हजार नौ सौ चार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या **3888** दिनांक **19.06.2019** द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना हेतु विभिन्न कार्यालयों में अनुबंध/संविदा के आधार पर कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर एवं आई०टी० ब्यॉय के पारिश्रमिक/मानदेय भुगतान हेतु निम्नांकित विवरणी के अनुरूप **कुल ₹2,68,67,904.00 (दो करोड़ अड़सठ लाख सड़सठ हजार नौ सौ चार रूपये) मात्र की राशि** की स्वीकृति प्रदान की गई हैः–

क्र०	कार्यालय का नाम	स्वीकृत राशि
1	पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना 09 (नौ) प्रोग्रामर पारिश्रमिक/मानदेय (माह फरवरी, 2019 तक)	₹4,07,808.00 (चार लाख सात हजार आठ सौ आठ रूपये) मात्र।
2	पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना 38 (अड़तीस) प्रोग्रामर पारिश्रमिक/मानदेय (माह मार्च, 2019 से फरवरी, 2020 तक)	₹2,06,62,272.00 (दो करोड़ छह लाख बासठ हजार दो सौ बहत्तर रूपये) मात्र।
3	पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना 17 (सतरह) डाटा इन्ट्री ऑपरेटर पारिश्रमिक/मानदेय (माह मार्च, 2019 से फरवरी, 2020 तक)	₹52,10,160.00 (बावन लाख दस हजार एक सौ साठ रूपये) मात्र।
4	पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना 03 (तीन) आई०टी० ब्यॉय पारिश्रमिक/मानदेय (माह मार्च, 2019 से फरवरी, 2020 तक)	₹5,87,664.00 (पाँच लाख सतासी हजार छह सौ चौसठ रूपये) मात्र।
	कुल	₹2,68,67,904.00 (दो करोड़ अड़सठ लाख सड़सठ हजार नौ सौ चार रूपये) मात्र

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\State Scheme\P 25150000101\Letter docx

17/7

उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में उपर्युक्त विवरणी के अनुरूप कुल **₹2,68,67,904.00 (दो करोड़ अड़सठ लाख सड़सठ हजार नौ सौ चार रूपये) मात्र की राशि** वित्तीय वर्ष 2019–20 में आवंटित की जाती है।

3. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना** होगें, जो राशि की निकासी विकास भवन, नया सचिवालय, कोषागार, पटना से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी **वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग संख्या–16** के राज्य स्कीम अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0102–जिला पंचायत की स्थापना"** मद के विषय शीर्ष **'0102.28.02–संविदा सेवाएँ'** इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड **16–2515000010102** है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019 एवं 3392 दिनांक 01.03.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. **इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए।** राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि **कोई व्यय अथवा राशि की निकासी** अनियमित नहीं हो।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त-निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

11/7

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\State Scheme\P 2515000010102\Letter docx

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/17(आ0)/पं०रा० पटना, दिनांक 18/07/2019

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, कोषागार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/17(आ0)/पं०रा० पटना, दिनांक 18/07/2019

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17/7/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\State Scheme\P 2515000010102\Letter.docx

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/18(31/0)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी
(नालन्दा, पटना, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर,
शिवहर, किशनगंज एवं जमुई को छोड़कर) बिहार।

पटना, दिनांक 18/07/2019

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 3839 दिनांक 18.06.2019 द्वारा स्वीकृत कुल ₹64,93,755.00 (चौसठ लाख तिरानवे हजार सात सौ पचपन रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या **3839** दिनांक **18.06.2019** द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय में अनुबंध/संविदा पर कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक के पारिश्रमिक/मानदेय भुगतान हेतु कुल ₹64,93,755.00 (चौसठ लाख तिरानवे हजार सात सौ पचपन रूपये) मात्र की राशि को निम्नलिखित विवरणी के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है:–

क्र०	कार्यालय का नाम	स्वीकृत राशि
1	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया	₹2,46,100.00 (दो लाख छियालीस हजार एक सौ रूपये) मात्र।
2	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल	₹2,02,116.00 (दो लाख दो हजार एक सौ सोलह रूपये) मात्र।
3	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद	₹2,02,116.00 (दो लाख दो हजार एक सौ सोलह रूपये) मात्र।
4	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बांका	₹2,02,116.00 (दो लाख दो हजार एक सौ सोलह रूपये) मात्र।
5	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर	₹2,02,116.00 (दो लाख दो हजार एक सौ सोलह रूपये) मात्र।
6	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगूसराय	₹2,02,116.00 (दो लाख दो हजार एक सौ सोलह रूपये) मात्र।
7	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर	₹2,02,116.00 (दो लाख दो हजार एक सौ सोलह रूपये) मात्र।
8	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा	₹2,02,116.00 (दो लाख दो हजार एक सौ सोलह रूपये) मात्र।

लगातार

9	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	₹2,39,292.00 (दो लाख उनतालीस हजार दो सौ बानवे रूपये) मात्र।
10	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया	₹2,02,116.00 (दो लाख दो हजार एक सौ सोलह रूपये) मात्र।
11	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज	₹2,02,116.00 (दो लाख दो हजार एक सौ सोलह रूपये) मात्र।
12	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद	₹2,02,116.00 (दो लाख दो हजार एक सौ सोलह रूपये) मात्र।
13	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार	₹2,02,116.00 (दो लाख दो हजार एक सौ सोलह रूपये) मात्र।
14	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमूर	₹2,02,116.00 (दो लाख दो हजार एक सौ सोलह रूपये) मात्र।
15	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया	₹2,02,116.00 (दो लाख दो हजार एक सौ सोलह रूपये) मात्र।
16	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय	₹2,02,116.00 (दो लाख दो हजार एक सौ सोलह रूपये) मात्र।
17	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा	₹2,02,116.00 (दो लाख दो हजार एक सौ सोलह रूपये) मात्र।
18	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर	₹2,02,116.00 (दो लाख दो हजार एक सौ सोलह रूपये) मात्र।
19	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी	₹2,02,116.00 (दो लाख दो हजार एक सौ सोलह रूपये) मात्र।
20	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा	₹2,39,292.00 (दो लाख उनतालीस हजार दो सौ बानवे रूपये) मात्र।
21	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णियाँ	₹3,73,029.00 (तीन लाख तीहत्तर हजार उनतीस रूपये) मात्र।
22	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रोहतास	₹2,02,116.00 (दो लाख दो हजार एक सौ सोलह रूपये) मात्र।
23	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल	₹2,46,100.00 दो लाख छियालीस हजार एक सौ रूपये) मात्र।
24	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर	₹2,02,116.00 (दो लाख दो हजार एक सौ सोलह रूपये) मात्र।
25	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा	₹2,02,116.00 (दो लाख दो हजार एक सौ सोलह रूपये) मात्र।
26	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी	₹2,39,292.00 (दो लाख उनतालीस हजार दो सौ बानवे रूपये) मात्र।
27	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली	₹2,02,116.00 (दो लाख दो हजार एक सौ सोलह रूपये) मात्र।
28	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पं० चम्पारण	₹2,39,292.00 (दो लाख उनतालीस हजार दो सौ बानवे रूपये) मात्र।

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\State Scheme\P 2515000010102\Letter.docx

29	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा	₹2,02,116.00 (दो लाख दो हजार एक सौ सोलह रूपये) मात्र।
30	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर	₹2,24,806.00 (दो लाख चौबीस हजार आठ सौ छः रूपये) मात्र।
	कुल	**₹64,93,755.00 (चौसठ लाख तिरानवे हजार सात सौ पचपन रूपये) मात्र**

उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में उपर्युक्त विवरणी के अनुरूप **कुल ₹64,93,755.00 (चौसठ लाख तिरानवे हजार सात सौ पचपन रूपये) मात्र की राशि** वित्तीय वर्ष 2019–20 में आवंटित की जाती है।

3. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी** होगें, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार सहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी **वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग संख्या–16** के राज्य स्कीम अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष--0102–जिला पंचायत की स्थापना"** मद के विषय शीर्ष **'0102.28.02–संविदा सेवाएँ'** इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड **16–2515000010102** है।

5. **सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16–2515000010102) को यथाशीघ्र Map/Tag कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।**

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019 एवं 3392 दिनांक 01.03.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

1/7

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
17/7/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/18(3110)/पं०रा० पटना, दिनांक 18/07/2019
प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/18(3110)/पं०रा० पटना, दिनांक 18/07/2019
प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17/7/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

17/7

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\State Scheme\P 2515000010102\Letter.docx

पत्रांकः 5प / राज्य स्कीम–02–11 / 2017 / 19(आ०) / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

शुद्धि पत्र

विभागीय आवंटनादेश संख्या 17(आ०) दिनांक 18.07.2019 द्वारा प्रेषित पत्र के संबोधन में अंकित "सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी (नालन्दा, पटना, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, शिवहर, किशनगंज एवं जमुई को छोड़कर) बिहार।" के स्थान पर "**उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना**" पढ़ा जाये। इस पत्र को इस हद तक संशोधित समझा जाये।

(2) आवंटनादेश की अन्य शर्त्तें पूर्ववत रहेंगी।

विश्वासभाजन

29/7/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प / राज्य स्कीम–02–11 / 2017 / 19(आ०) / पं०रा० पटना, दिनांक 30/07/2019

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन **पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना / सभी जिला पदाधिकारी / सभी जिला पंचायत** राज पदाधिकारी / सभी जिला कोषागार पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 03 एवं 06 **को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।**

29/7/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प / राज्य स्कीम–02–11 / 2017 / 19(आ०) / पं०रा० पटना, दिनांक 30/07/2019

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/7/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\State Scheme\P 2515000010102\Letter.docx

पत्रांकः 5प / स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–08 / 2018 / 20(अ०10)... / पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
गया।

पटना, दिनांक 30/07/2019

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 3838 दिनांक 18.06.2019 द्वारा स्वीकृत कुल ₹10.00 लाख (दस लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 3838 दिनांक 18.06.2019 द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के अवसर पर कर्त्तव्य के दौरान स्व० फुलचन्द्र प्रसाद, सिपाही संख्या–44, गया जिला बल, गया की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रिता को ₹10.00 लाख (दस लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल ₹10.00 लाख (दस लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),** गया होंगे।

3. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के **"मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–109–पंचायतों / स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–उपशीर्ष–0002–जिला परिषदों / पंचायत समितियों / ग्राम पंचायतों का चुनाव"** अंतर्गत विषय शीर्ष **"0002.37.01–अनुग्रह अनुदान"** इकाई से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड 16–2015001090002** है।

4. **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि संबंधित जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।**

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05 / 98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019 एवं 3392 दिनांक 01.03.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटित राशि की निकासी **जिला कोषागार, गया** से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष / लघुशीर्ष / उपशीर्ष / प्राथमिक इकाई आदि

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019 20\Estb & Commt Exp\Election\Letter.docx

की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
29/7/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–08/2018/20(3110)/ पं०रा० पटना, दिनांक 30/07/19
प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, गया/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रभारी प्रशाखा–05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–08/2018/20(3110)/पं०रा० पटना, दिनांक 30/07/19
प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/7/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

अत्यावश्यक
ई–मेल / स्पीड पोस्ट

पत्रांकः 5प / राज्य स्कीम–02–09 / 2017 / 21(अनु०) / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
वैशाली।

पटना, दिनांक 05/08/2019

विषय : स्व० नितेश कुमार चौधरी, पंचायत समिति सदस्य, पिता–श्री योगेन्द्र चौधरी, ग्राम–रामपुर चकलाला, थाना–जन्दाहा, जिला–वैशाली, की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला पदाधिकारी, वैशाली के कार्यालय पत्रांक संख्या 801 दिनांक 16.07.2019 द्वारा स्व० नितेश कुमार चौधरी, पंचायत समिति सदस्य, पिता–श्री योगेन्द्र चौधरी, ग्राम–रामपुर चकलाला, थाना–जन्दाहा, जिला–वैशाली, की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 एवं जिला पदाधिकारी, वैशाली का पत्रांक संख्या–801 दिनांक 16.07.2019 के आलोक में जिला पदाधिकारी, वैशाली को कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु आवंटित की जाती है।**

3. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य स्कीम अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0101–मुख्यालय पंचायत की स्थापना"** मद के विषय शीर्ष **'0101.37.01–अनुग्रह अनुदान'** से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या **16** एवं विपत्र कोड संख्या **16–2515000010101** है।

4. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16–2515000010101) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05 / 98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 289 दिनांक 28.03.2018, 354 दिनांक 28.03.2018 एवं 3244 दिनांक 04.05.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **जिला पदाधिकारी, वैशाली** होंगे जो राशि की निकासी **जिला कोषागार, वैशाली** से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

– – – भगातार – – –

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\P 2515000010101\Letter docx

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/21(अ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 05/08/2019
प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, वैशाली/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली/प्रभारी पदाधिकारी–08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/21(अ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 05/08/2019
प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

1030

अत्यावश्यक / अविलम्ब ई-मेल / स्पीड पोस्ट

पत्रांक-5प / गैर योजना-01-10 / 2016 / 22 (अनु) / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 06/08/2019

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 10(स्वी०) दिनांक 06.08.2019 द्वारा स्वीकृत कुल ₹3,49,50,000.00 (तीन करोड़ उनचास लाख पचास हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 10(स्वी०) दिनांक 06.08.2019 द्वारा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बुनियादी अनुदान (Basic Grant) के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल ₹2099.855 करोड़ (बीस अरब निन्यानवें करोड़ पिचासी लाख पचास हजार रूपये) मात्र की द्वितीय किस्त की विमुक्त राशि को भारत सरकार से विमुक्ति हेतु 15 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के उपरांत 09 (नौ) दिनों के विलम्ब अवधि का भारतीय रिजर्व बैंक की 6.75 प्रतिशत बैंक दर से कुल **₹3,49,50,000.00 (तीन करोड़ उनचास लाख पचास हजार रूपये) मात्र** की सूद की राशि को संलग्न विवरणी अनुलग्नक-A (राज्य के सभी 8386 ग्राम पंचायतों हेतु) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में **कुल ₹3,49,50,000.00 (तीन करोड़ उनचास लाख पचास हजार रूपये) मात्र की सूद की राशि** आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0001-पंचायत राज संस्थाओं को सहायता"** मद के विषय शीर्ष **"0001.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन"** से की जायेगी। इसकी मांग **संख्या-16** एवं विपत्र कोड **16-2515001980001** है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से राशि की निकासी कर 14वें वित्त आयोग से संबंधित एच०डी०एफ०सी० बैंक, एक्जीबिशन रोड, पटना, बिहार (HDFC Bank, Exhibition Road, Patna, Bihar) में संधारित विभागीय खाता संख्या 50100188126888 में राशि अंतरित करते हुए PFMS के माध्यम से विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 10(स्वी०) दिनांक 06.08.2019 के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक-A (राज्य के सभी 8386 ग्राम पंचायतों हेतु) के स्तम्भ 8 एवं 9 के अनुरूप कुल बुनियादी अनुदान का 80% राशि मुख्यमंत्री निश्चय योजना एवं 20% राशि 14वें वित्त आयोग के बैंक खातों में अंतरित करायेंगे।

(1029)

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, पूर्व की आवंटित राशि का अंकेक्षित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा ग्राम पंचायतों के राजस्व के प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण) द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
6/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/गैर योजना–01–10/2016/22(अनु)/पं०रा० पटना, दिनांक 06/08/2019
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, बिहार, पटना/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/प्रभारी पदाधिकारी–04 एवं 06, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/गैर योजना–01–10/2016/22(अनु)/पं०रा० पटना, दिनांक 06/08/2019
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

पत्रांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–03/2019/23(आ०)../पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 08/08/2019

विषय : वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय "मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–101–निर्वाचन आयोग–उपशीर्ष–0001–राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज)" मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार इकाईवार अंकित राशि **कुल ₹2,12,45,000.00 (दो करोड बारह लाख पैंतालीस हजार रूपये)** मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. आवंटित की जा रही राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना** होंगे। इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. जिन मदों में सम्पादित कार्य अथवा आपूर्ति के विरूद्व भुगतान नहीं किया जा सका हो, उसके भुगतान की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाये। आवश्यकतानुसार पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश के विरूद्व प्रतिस्थानी आदेश निर्गत किया जाये।

5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Commt Exp\Nirwachan Aayog\Letter.docx

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड संख्या 16–2015001010001** है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

8/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–03/2019/23(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 08/08/2019
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

8/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–03/2019/23(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 08/08/2019
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

8/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

U:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019 20\Estb & Commt Exp\Nirwachan Aayog\Letter docx

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

विवरणी–1

वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु मांग संख्या–16 अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय "मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–101–निर्वाचन आयोग–उपशीर्ष–0001–राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज)" मद में राशि का आवंटन की विवरणी। (विपत्र कोड– 16–2015001010001)

क्र०	विषय शीर्ष	उपबंधित राशि	आवंटित राशि	आवंटन हेतु प्रस्तावित राशि	
1	2	3	4	5	
1	0001.01.01 – वेतन	17000000.00	5610000.00	11390000.00	(एक करोड़ तेरह लाख नब्बे हजार रूपये) मात्र
2	0001.01.02 – विशेष वेतन	0.00	0.00	0.00	(शून्य रूपये) मात्र
3	0001.01.03 – जीवन यापन भत्ता	3800000.00	1254000.00	2546000.00	(पच्चीस लाख छियालीस हजार रूपये) मात्र
4	0001.01.04 – मकान किराया भत्ता	2290000.00	755000.00	1535000.00	(पन्द्रह लाख पैंतीस हजार रूपये) मात्र
5	0001.01.05 – परिवहन भत्ता	650000.00	214000.00	436000.00	(चार लाख छत्तीस हजार रूपये) मात्र
6	0001.01.06 – चिकित्सा भत्ता	276000.00	91000.00	185000.00	(एक लाख पिचासी हजार रूपये) मात्र
7	0001.01.07 – अन्य भत्ता	72000.00	23000.00	49000.00	(उनचास हजार रूपये) मात्र
8	0001.01.08 – त्योहार अग्रिम	0.00	0.00	0.00	(शून्य रूपये) मात्र
9	0001.06.01 – चिकित्सा प्रतिपूर्ति	400000.00	132000.00	268000.00	(दो लाख अड़सठ हजार रूपये) मात्र
10	0001.11.01 – यात्रा व्यय	300000.00	99000.00	201000.00	(दो लाख एक हजार रूपये) मात्र
11	0001.13.01 – कार्यालय व्यय	2000000.00	660000.00	1340000.00	(तेरह लाख चालीस हजार रूपये) मात्र
12	0001.13.02 – वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	500000.00	165000.00	335000.00	(तीन लाख पैंतीस हजार रूपये) मात्र
13	0001.13.03 – दूरभाष	250000.00	82000.00	168000.00	(एक लाख अड़सठ हजार रूपये) मात्र
14	0001.13.04 – विद्युत प्रभार	500000.00	165000.00	335000.00	(तीन लाख पैंतीस हजार रूपये) मात्र
15	0001.13.05 – विधि प्रभार	1200000.00	396000.00	804000.00	(आठ लाख चार हजार रूपये) मात्र
16	0001.13.06 – वर्दी/पोशाक	15000.00	4000.00	11000.00	(ग्यारह हजार रूपये) मात्र
17	0001.13.10 – भाड़े की गाड़ी का भुगतान	1000.00	0.00	0.00	(शून्य रूपये) मात्र
18	0001.14.01 – किराया महसूल एवं कर	650000.00	214000.00	436000.00	(चार लाख छत्तीस हजार रूपये) मात्र
19	0001.20.01 – आतिथ्य व्यय	200000.00	66000.00	134000.00	(एक लाख चौंतीस हजार रूपये) मात्र
20	0001.20.02 – कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	1000.00	0.00	0.00	(शून्य रूपये) मात्र
21	0001.20.03 – प्रशिक्षण व्यय	1000.00	0.00	0.00	(शून्य रूपये) मात्र
22	0001.28.02 – संविदा सेवायें	1600000.00	528000.00	1072000.00	(दस लाख बहत्तर हजार रूपये) मात्र
23	0001.51.01 – मोटर गाड़ी–कार्यालय	1000.00	0.00	0.00	(शून्य रूपये) मात्र
	कुल योग :–	31707000.00	10458000.00	21245000.00	(दो करोड़ बारह लाख पैंतालीस हजार रूपये) मात्र

8/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक(अनुश्रवण)
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–09/2017/ 25(अ॰10)../पं०रा०

अत्यावश्यक
ई–मेल/फैक्स

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 08/08/2019

विषय : विभागीय राज्यादेश संख्या 08(स्वी०) दिनांक 12.07.2019 द्वारा स्वीकृत कुल ₹1,50,00,00,000.00 (एक अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 08(स्वी०) दिनांक 12.07.2019 एवं इसके साथ संलग्न जिलावार विवरणी के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2019–20 में ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय की राशि ₹6,000.00 (छह हजार रूपये) प्रतिमाह की दर से **₹72,94,79,640.00 (बहत्तर करोड़ चौरानवें लाख उन्यासी हजार छह सौ चालीस रूपये) मात्र** एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्रों को नियत फीस की राशि ₹7,000.00 (सात हजार रूपये) प्रतिमाह की दर से **₹77,05,20,360.00 (सतहत्तर करोड़ पाँच लाख बीस हजार तीन सौ साठ रूपये) मात्र** अर्थात कुल **₹1,50,00,00,000.00 (एक अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र की राशि** की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उप मुख्यशीर्ष–00 –लघुशीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0010–ग्राम कचहरी की विभिन्न मदों हेतु" मद के विषय शीर्ष '0010.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन' इकाई से विभागीय राज्यादेश संख्या 08(स्वी०) दिनांक 12.07.2019 के साथ संलग्न जिलावार विवरणी के अनुरूप कुल **₹1,50,00,00,000.00 (एक अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है। इसकी मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड 16–2515001980010 है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग विभागीय राज्यादेश संख्या 08(स्वी०) दिनांक 12.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

5. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिले के जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी।

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Esto & Commi Exp\Gram kachahri sachiv & Nyaymitr 2017-18\Letter.docx

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये। भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप (विवरणी सहित) में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इस आवंटन आदेश तथा इसके साथ संलग्न विवरणी के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. **इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी** दी जा रही है।

विश्वासभाजन
7/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-09/2017/24(अनु०)/पं०रा० पटना, दिनांक 08/08/2019
प्रतिलिपिः-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रशाखा-08 एवं 05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-09/2017/24(अनु०)/पं०रा० पटना, दिनांक 08/08/2019
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019/.25(अनु0)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक ..08/08/2019

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 07(स्वी०) दिनांक 20.06.2019 द्वारा स्वीकृत कुल ₹2,49,97,70,000.00 (दो अरब उनचास करोड़ सत्तानवें लाख सत्तर हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 03(स्वी०) दिनांक 03.06.2019 के अनुरूप ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रति पंचायत सरकार भवन ₹1,14,43,136.00 (एक करोड़ चौदह लाख तैंतालिस हजार एक सौ छत्तीस रूपये) मात्र की प्राक्कलित राशि की दर से वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक राज्य में कुल 1435 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु कुल ₹1642.09 करोड़ (सोलह अरब बयालीस बयालिस करोड़ नौ लाख रूपये) मात्र की राशि प्रावधानित है। उक्त राज्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 07(स्वी०) दिनांक 20.06.2019 के साथ संलग्न अनुलग्न–1 के अनुरूप कुल ₹2,49,97,70,000.00 (दो अरब उनचास करोड़ सत्तानवे लाख सत्तर हजार रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 07(स्वी०) दिनांक 20.06.2019 के साथ संलग्न अनुलग्न–1 के अनुरूप कुल ₹2,49,97,70,000.00 (दो अरब उनचास करोड़ सत्तानवे लाख सत्तर हजार रूपये) मात्र राशि आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी** होंगे। इस आवंटित राशि को जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी से प्राप्त लक्ष्य की सूची के अनुरूप संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपावंटित किया जायेगा, जिसके आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निकासी कर संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जायेगा। इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी **वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग संख्या–16** के राज्य स्कीम अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–101–पंचायती राज–उपशीर्ष–0108–पंचायत सरकार भवन"** मद के विषय शीर्ष **'0108.53.01–मुख्य निर्माण कार्य'** इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड **16–4515001010108** है।

5. **सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16–4515001010108)**

को यथाशीघ्र Map/Tag कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्‌मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः– यथा उपर्युक्त।

21/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019/25(आ0)/पं०रा० पटना, दिनांक 08/08/2019

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना।/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहार/~~प्रभारी पदाधिकारी~~, प्रशाखा–02 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019/25(आ0)/पं०रा० पटना, दिनांक 08/08/2019

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\State Scheme\Panchayat Sarkar Bhawan 2019-20\Letter.docx

पत्रांकः 5प / राज्य स्कीम–02–11 / 2017 / 26(अनु०) / पं०रा०
बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

उप सचिव–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 15/08/2019

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 12 (स्वी०) दिनांक 09.08.2019 द्वारा स्वीकृत कुल ₹4,47,500.00 (चार लाख सैंतालीस लाख पाँच सौ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 12 (स्वी०) **दिनांक 09.08.2019** द्वारा सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में निर्गत अद्यतन दिशा निदेशों से अवगत कराने और उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित व्यवहारिक पहलूओं पर प्रशिक्षित कर्मी के उदेश्य से राज्य स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण–सह–उन्मुखीकरण कार्यक्रम हेतु संलग्न अनुलग्नक–1 में अंकित गतिविधियों के अनुरूप व्यय हेतु **कुल ₹4,47,500.00 (चार लाख सैंतालीस लाख पाँच सौ रूपये)** मात्र राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में **कुल ₹4,47,500.00 (चार लाख सैंतालीस लाख पाँच सौ रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है।

3. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना** होगें, जो राशि की निकासी विकास भवन, नया सचिवालय, कोषागार, पटना से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी **वित्तीय वर्ष 2019–20** में **मांग संख्या–16** के राज्य स्कीम अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0102–जिला पंचायत की स्थापना"** मद के विषय शीर्ष **'0102.20.03–प्रशिक्षण व्यय'** ईकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड **16–2515000010102** है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019 एवं 3392 दिनांक 01.03.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

क्रमशः

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\State Scheme\F 2515000010102\letter.docx

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

अनुलग्नकः–यथाउपर्युक्त।

विश्वासभाजन

14/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/26(अ10)/पं०रा० पटना, दिनांक 14/08/2019
प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/26(अ10)/पं०रा० पटना, दिनांक 14/08/2019
प्रतिलिपिः प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–02/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

— लगातार —

अनुलग्नक–1

प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों का एक दिवसीय राज स्तरीय प्रशिक्षण–सह– उन्मुखीकरण कार्यक्रम हेतु आवंटित राशि

क्र०सं०	ईकाई / विवरणी	दर	कुल प्राक्कलित राशि
1	अधिवेशन भवन सभागार की बुकिंग हेतु प्राक्कलित राशि		₹60000.00
2	नियमानुसार अधिवेशन भवन के सिक्युरिटी राशि		₹10000.00
3	प्रतिभागियों / अतिथियों / विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए भोजन इत्यादि	300 प्रतिभागी *₹800	₹240000.00
4	प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री (फोल्डर, नोटपैड, पेन)	250 प्रतिभागी *₹150	₹37500.00
5	अन्य (फोटोग्राफी, विडियोग्राफी, मंच एवं आंतरिक साज–सज्जा, बैनर, पुष्पगुच्छ इत्यादि)		₹100000.00
कुल प्राक्कलित व्यय			₹447500.00

15/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\State Scheme\P 2515000010102\Letter.docx

पत्रांकः 5प / राज्य स्कीम–02–11 / 2017 / 2.77(स्वी0) / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

उप सचिव–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 14/08/2019

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 15 (स्वी०) दिनांक 13.08.2019 द्वारा स्वीकृत कुल ₹2,00,000.00 (दो लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 15 (स्वी०) **दिनांक 13.08.2019** द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में "मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना" एवं "मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना" के क्रियान्वयन में तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु संविदा के आधार पर नियुक्त तकनीकी सहायकों को एक दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु सम्राट अशोक कनवेंशन सेंटर अवस्थित ज्ञान भवन को दिनांक 19.08.2019 (सोमवार) को आरक्षित करने के लिए पंजीकरण की राशि ₹1,75,000.00 **(एक लाख पचहत्तर हजार रूपये)** मात्र एवं सुरक्षित जमा के लिए ₹25,000.00 **(पच्चीस हजार रूपये)** मात्र, अर्थात कुल ₹2,00,000.00 **(दो लाख रूपये)** मात्र के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में **कुल ₹2,00,000.00 (दो लाख रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है।

3. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना** होगें, जो राशि की निकासी विकास भवन, नया सचिवालय, कोषागार, पटना से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी **वित्तीय वर्ष 2019–20** में **मांग संख्या–16** के राज्य स्कीम अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0102–जिला पंचायत की स्थापना"** मद के विषय शीर्ष '0102.28.02–संविदा सेवाएँ' इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड **16–2515000010102** है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05 / 98–2561 वि(2) दि० 1 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019 एवं 3392 दिनांक 01.03.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

S:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\State Scheme\P 2515000010102 Letter.docx

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जायें। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने `वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जायें ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एव ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

14/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017./27(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 14/08/2019

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/27(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 14/08/2019

प्रतिलिपिः प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–03/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–08/2017/ 28(3110)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

उप सचिव–सह–निकासी एवं
व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 21/08/2019

विषयः **वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत कुल ₹913.82 करोड़ (नौ अरब तेरह करोड़ बयासी लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में प्रथम किस्त के रूप में कुल ₹1491.87 करोड़ (चौदह अरब इक्कयानवें करोड़ सत्तासी लाख रूपये) मात्र की राशि राज्य में कार्यरत सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों, एवं ग्राम पंचायतों के बीच वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से ग्राम पंचायतों को प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में क्रमशः ₹604.42 करोड़ (छह अरब चार करोड़ बयालीस लाख रूपये रूपये) मात्र एवं ₹309.40 करोड़ (तीन अरब नौ करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र अर्थात कुल ₹913.82 करोड़ (नौ अरब तेरह करोड़ बयासी लाख रूपये) मात्र की राशि स्वीकृत है।

2. उक्त विभागीय राज्यादेश एवं इसके साथ संलग्न विवरणी–1 के अनुरूप राज्य के सभी ग्राम पंचायातों को प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में क्रमशः ₹604.42 करोड़ (छह अरब चार करोड़ बयालीस लाख रूपये रूपये) मात्र एवं ₹309.40 करोड़ (तीन अरब नौ करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र अर्थात कुल ₹913.82 करोड़ (नौ अरब तेरह करोड़ बयासी लाख रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, पंचायती राज विभाग होंगे, जो विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से CFMS के माध्यम से करेंगे एवं उक्त राज्यादेश के साथ संलग्न विवरणी–1 के अनुरूप CFMS के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में राशि अंतरित करायेंगे। प्रतिनिधायन मद में ग्राम पंचायत को आवंटित राशि का 90% ग्राम पंचायत के मुख्यमंत्री निश्चय योजना के बैंक खातों में,

जबकि 10% एवं अनुदान मद की राशि पंचम् राज्य वित्त आयोग के ग्राम पंचायत के बैंक खातों में CFMS के माध्यम से राशि अंतरित की जायेगी।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 में **मांग संख्या–16** अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से निम्नरूपेण से की जायेगीः–

क्र०	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष	इकाई	राशि (करोड़ रूपये में)
1	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता– उपशीर्ष–0009–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान।" विपत्र कोड–16–2515001980009	(i) 0009.31.05– सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों का निर्माण	604.42
		(ii) 0009.31.06– सहायक अनुदान–गैर वेतन	309.40
		कुल	**913.82**
			(नौ अरब तेरह करोड़ बयासी लाख रूपये) मात्र

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण यां अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

21/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प / स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–08 / 2017 / 28(आ०) / पं०रा० पटना, दिनांक 21/08

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–6 / लेखापाल, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प / स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–08 / 2017 / 28(आ०) / पं०रा० पटना, दिनांक 21/08

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

पत्रांक : 5प / स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–08 / 2017 / 29(अनु0) / पंरा0

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, बिहार।

पटना, दिनांक 21/08/2019

विषय: **विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रथम किस्त की स्वीकृत राशि में से पंचायत समितियों के लिए प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में स्वीकृत कुल ₹130.54 करोड़ (एक अरब तीस करोड़ चौवन लाख रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में प्रथम किस्त के रूप में कुल ₹1491.87 करोड़ (चौदह अरब इक्कयानवें करोड़ सत्तासी लाख रूपये) मात्र की राशि राज्य में कार्यरत सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों, एवं ग्राम पंचायतों के बीच वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से पंचायत समितियों को प्रतिनिधायन तथा अनुदान मद में क्रमशः ₹86.34 करोड़ (छियासी करोड़ चौंतीस लाख रूपये) मात्र तथा ₹44.20 करोड़ (चौवालीस करोड़ बीस लाख रूपये) मात्र अर्थात कुल ₹130.54 करोड़ (एक अरब तीस करोड़ चौवन लाख रुपये) मात्र की राशि स्वीकृत है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में संलग्न जिलावार विवरणी–2 के अनुरूप पंचायत समितियों को प्रतिनिधायन तथा अनुदान मद में क्रमशः ₹86.34 करोड़ (छियासी करोड़ चौंतीस लाख रूपये) मात्र तथा ₹44.20 करोड़ (चौवालीस करोड़ बीस लाख रूपये) मात्र अर्थात कुल ₹130.54 करोड़ (एक अरब तीस करोड़ चौवन लाख रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–197–ब्लॉक पंचायतों / मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0004–राज्य

वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान'' से इस आवंटनादेश के साथ संलग्न जिलावार विवरणी–01 के अनुसार प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद के सामने के सामने अंकित 0004.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन' एवं विषय शीर्ष '0004.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण' के अनुरूप किया जायेगा। इसकी मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड 16–2515001970004 है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01–08/2017/2919(अनु0)/ पं०रा० पटना, दिनांक 21/08/2019

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग एवं 06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

21/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01–08/2017/2919(अनु0)/ पं०रा० पटना, दिनांक 21/08/2019

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

21/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

विवरणी–2

पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में प्रथम किस्त के रूप में पंचायत समिति हेतु आवंटित राशि की विवरणी

क्रं	जिला	पंचायत समिति की संख्या	प्रतिनिधायन विषय शीर्ष 0004.31.06	अनुदान विषय शीर्ष 0004.31.05	कुल आवंटित राशि (4+5)
1	2	3	4	5	6
1	Arwal	5	6181145.00	3164311.00	9345456.00
2	Araria	9	24367313.00	12474349.00	36841662.00
3	Aurangabad	11	20681191.00	10587314.00	31268505.00
4	Banka	11	18660968.00	9553102.00	28214070.00
5	Begusarai	18	23276037.00	11915692.00	35191729.00
6	Bhagalpur	16	23154391.00	11853418.00	35007809.00
7	Bhojpur	14	20951976.00	10725936.00	31677912.00
8	Buxar	11	14180017.00	7259171.00	21439188.00
9	Darbhanga	18	33494586.00	17146870.00	50641456.00
10	East Champaran	27	44989036.00	23031220.00	68020256.00
11	Gopalganj	14	21817206.00	11168872.00	32986078.00
12	Jamui	10	15437009.00	7902662.00	23339671.00
13	Jehanabad	7	9204076.00	4711837.00	13915913.00
14	Kaimur	11	14518571.00	7432484.00	21951055.00
15	Katihar	16	26927672.00	13785074.00	40712746.00
16	Gaya	24	35961274.00	18409641.00	54370915.00
17	Khargaria	7	14501448.00	7423722.00	21925170.00
18	Kishanganj	7	14406828.00	7375282.00	21782110.00
19	Lakhisarai	7	8205105.00	4200435.00	12405540.00
20	Madhepura	13	19219912.00	9839242.00	29059154.00
21	Madhubani	21	40633709.00	20801596.00	61435305.00
22	Muzzafarpur	16	38844561.00	19885679.00	58730240.00
23	Munger	9	9286185.00	4753873.00	14040058.00
24	Nalanda	20	23370330.00	11963966.00	35334296.00
25	Nawada	14	19867790.00	10170909.00	30038699.00
26	Patna	23	31095828.00	15918875.00	47014703.00
27	Purnia	14	27911616.00	14288782.00	42200398.00
28	Rohtas	19	22623108.00	11581438.00	34204546.00
29	Saharsa	10	16657318.00	8527374.00	25184692.00
30	Samastipur	20	37934295.00	19419688.00	57353983.00
31	Saran	20	31938979.00	16350509.00	48289488.00
32	Seohar	5	6178550.00	3162983.00	9341533.00
33	Shekhpura	6	5382602.00	2755512.00	8138114.00
34	Sitamarhi	17	30712399.00	15722587.00	46434986.00
35	Supaul	11	20132369.00	10306356.00	30438725.00
36	Siwan	19	27914920.00	14290473.00	42205393.00
37	Vaishali	16	28973315.00	14832298.00	43805613.00
38	West Champaran	18	33806365.00	17306468.00	51112833.00
	Gross Total	534	863400000.00	442000000.00	1305400000.00

(एक अरब तीस करोड़ चौवन लाख रूपये) मात्र

21/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण),
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक : 5प / स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–08 / 2017 / 30(3110) / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, बिहार।

पटना, दिनांक ......21/08/2019......

विषयः **विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 की स्वीकृत प्रथम किस्त की राशि में से जिला परिषदों के लिए स्वीकृत कुल ₹261.08 करोड़ (दो अरब इकसठ करोड़ आठ लाख रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में प्रथम किस्त के रूप में कुल ₹1491.87 करोड़ (चौदह अरब इक्कयानवें करोड़ सत्तासी लाख रूपये) मात्र की राशि राज्य में कार्यरत सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों, एवं ग्राम पंचायतों के बीच वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से जिला परिषदों को प्रतिनिधायन एवं अनुदान हेतु क्रमशः ₹172.69 करोड़ (एक अरब बहत्तर करोड़ उनहत्तर लाख रूपये) मात्र एवं ₹88.39 करोड़ (अट्ठासी करोड़ उनचालीस लाख रूपये) मात्र अर्थात कुल ₹261.08 करोड़ (दो अरब इकसठ करोड आठ लाख रुपये) मात्र की राशि स्वीकृत है।

2. उक्त विभागीय राज्यादेश के आलोक में इस आवंटनादेश के साथ संलग्न जिलावार विवरणी–3 के अनुसार जिला परिषदों को प्रतिनिधायन एवं अनुदान हेतु क्रमशः ₹172.69 करोड़ (एक अरब बहत्तर करोड़ उनहत्तर लाख रूपये) मात्र एवं ₹88.39 करोड़ (अट्ठासी करोड़ उनचालीस लाख रूपये) मात्र अर्थात कुल ₹261.08 करोड़ (दो अरब इकसठ करोड़ आठ लाख रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

4. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–196–जिला परिषदों / जिला स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0007–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान" से इस आवंटनादेश के साथ संलग्न जिलावार विवरणी–03 के अनुसार प्रतिनिधायन एवं अनुदान के सामने क्रमशः अंकित विषय शीर्ष '0007.31.06–सहायक अनुदान– गैर वेतन एवं 0007.31.04–सहायक अनुदान–वेतन' के अनुरूप किया जायेगा। इसकी मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड 16–2515001960007 है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

21/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01–08/2017/30(अ०)/ पं०रा० पटना, दिनांक 21/08/2019
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग एवं 06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

21/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01–08/2017/30(अ०)/ पं०रा० पटना, दिनांक 21/08/2019
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

21/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Commt Exp\5th SFC 2019-20\First Instl Allot 19-20\ZP\1st Inst of 19-20 SFC ZP Grant, Devolution.docx

विवरणी—3

पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019—20 में प्रथम किस्त के रूप में जिला परिषदों को आवंटित राशि की विवरणी:—

क्र०	जिला	प्रतिनिधायन की राशि विषय शीर्ष 0007.31.06	अनुदान की राशि विषय शीर्ष 0007.31.04	कुल
1	2	3	4	6
1	Araria	50552222.00	25874752.00	76426974.00
2	Arwal	15626205.00	7998148.00	23624353.00
3	Aurangabad	44409467.00	22730632.00	67140099.00
4	Banka	39390874.00	20161905.00	59552779.00
5	Begusarai	44852537.00	22957414.00	67809951.00
6	Bhagalpur	45554833.00	23316878.00	68871711.00
7	Bhojpur	42618213.00	21813793.00	64432006.00
8	Buxar	29895713.00	15301882.00	45197595.00
9	Darbhanga	62077201.00	31773720.00	93850921.00
10	E.Champaran	81717113.00	41826253.00	123543366.00
11	Gaya	69884749.00	35769952.00	105654701.00
12	Gopalganj	43410001.00	22219063.00	65629064.00
13	Jamui	35321977.00	18079273.00	53401250.00
14	Jehanabad	21120591.00	10810406.00	31930997.00
15	Kaimur	33145027.00	16965018.00	50110045.00
16	Katihar	52843588.00	27047569.00	79891157.00
17	Khagaria	31982754.00	16370118.00	48352872.00
18	Kishanganj	32613940.00	16693185.00	49307125.00
19	Lakhisarai	19318214.00	9887874.00	29206088.00
20	Madhepura	38020556.00	19460518.00	57481074.00
21	Madhubani	76182046.00	38993173.00	115175219.00
22	Munger	21395837.00	10951288.00	32347125.00
23	Muzaffarpur	73199818.00	37466743.00	110666561.00
24	Nalanda	44809508.00	22935390.00	67744898.00
25	Nawada	40284615.00	20619359.00	60903974.00
26	Patna	58742996.00	30067134.00	88810130.00
27	Purnea	55150749.00	28228471.00	83379220.00
28	Rohtas	47498551.00	24311755.00	71810306.00
29	Saharsa	34577865.00	17698405.00	52276270.00
30	Samastipur	71810604.00	36755685.00	108566289.00
31	Saran	61046440.00	31246133.00	92292573.00
32	Sheikhpura	13750336.00	7038000.00	20788336.00
33	Sheohar	15567249.00	7967972.00	23535221.00
34	Sitamarhi	58437267.00	29910649.00	88347916.00
35	Siwan	54172700.00	27727865.00	81900565.00
36	Supaul	41909660.00	21451126.00	63360786.00
37	Vaishali	56199522.00	28765278.00	84964800.00
38	W.Champaran	67808462.00	34707221.00	102515683.00
	Total :-	1726900000.00	883900000.00	2610800000.00

(दो अरब इकसठ करोड़ आठ लाख रुपये) मात्र

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण),
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक : 5प / स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–08 / 2017 / 31(आ0) / पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, बिहार।

पटना, दिनांक 21/08/2019

विषयः विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 की स्वीकृत प्रथम किस्त की राशि में से मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के लिए स्वीकृत कुल ₹81.00 करोड़ (इक्कयासी करोड़ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में प्रथम किस्त के रूप में कुल ₹1491.87 करोड़ (चौदह अरब इक्कयानवें करोड़ सत्तासी लाख रूपये) मात्र की राशि राज्य में कार्यरत सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों, एवं ग्राम पंचायतों के बीच वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है,जिसमें से मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के लिए स्वीकृत कुल ₹81.00 करोड़ (इक्कयासी करोड़ रुपये) मात्र की राशि स्वीकृत है।

2. उक्त विभागीय राज्यादेश के आलोक में इस आवंटनादेश के साथ संलग्न जिलावार विवरणी–4 के अनुरूप मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के लिए स्वीकृत कुल ₹81.00 करोड़ (इक्कयासी करोड़ रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

3. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–196–जिला परिषदों / जिला स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0007–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान" से इस आवंटनादेश के साथ संलग्न

जिलावार विवरणी–03 के अनुसार प्रतिनिधायन एवं अनुदान के सामने क्रमशः अंकित विषय शीर्ष '0007.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन' के अनुरूप किया जायेगा। इसकी मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड 16–2515001960007 है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन
21/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01–08/2017/31(3110)/पं०रा० पटना, दिनांक 21/08/2019
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग एवं 06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

21/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प / स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01–08 / 2017 / 3।।(आ9) पं०रा० पटना, दिनांक 21।08।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

21।8।17

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

विवरणी—4

विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 के आलोक में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के लिए जिला परिषद् को आवंटित राशि की विवरणी:—

क्र	जिला	ग्राम पंचायत हेतु आवंटित राशि	पंचायत समिति हेतु आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि (राशि रूपये में)
		विषय शीर्ष 0007.31.06	विषय शीर्ष 0007.31.06	
1	2	7	8	9
1	अरवल	5250000	2250000	7500000
2	अररिया	16500000	2250000	18750000
3	औरंगाबाद	15000000	4500000	19500000
4	बांका	14250000	4500000	18750000
5	बेगूसराय	17250000	6750000	24000000
6	भागलपुर	18000000	4500000	22500000
7	भोजपुर	17250000	4500000	21750000
8	बक्सर	10500000	4500000	15000000
9	दरभंगा	24000000	6750000	30750000
10	पूर्वी चम्पारण	30750000	9000000	39750000
11	गोपालगंज	17250000	4500000	21750000
12	जमुई	11250000	2250000	13500000
13	जहानाबाद	6750000	2250000	9000000
14	कैमूर	11250000	4500000	15750000
15	कटिहार	18000000	4500000	22500000
16	गया	24750000	9000000	33750000
17	खगड़िया	9750000	2250000	12000000
18	किशनगंज	9750000	2250000	12000000
19	लखीसराय	6000000	2250000	8250000
20	मधेपुरा	12750000	4500000	17250000
21	मधुबनी	30000000	6750000	36750000
22	मुजफ्फरपुर	29250000	4500000	33750000
23	मुंगेर	7500000	2250000	9750000
24	नालन्दा	18750000	6750000	25500000
25	नवादा	14250000	4500000	18750000
26	पटना	24000000	6750000	30750000
27	पूर्णियां	18750000	4500000	23250000
28	रोहतास	18750000	6750000	25500000
29	सहरसा	11250000	2250000	13500000
30	समस्तीपुर	28500000	6750000	35250000
31	सारण	24000000	6750000	30750000
32	शिवहर	3750000	2250000	6000000
33	शेखपुरा	3750000	2250000	6000000
34	सीतामढ़ी	20250000	6750000	27000000
35	सुपौल	13500000	4500000	18000000
36	सिवान	21750000	6750000	28500000
37	वैशाली	21750000	4500000	26250000
38	पश्चिम चम्पारण	24000000	6750000	30750000
	Total :-	**630000000**	**180000000**	**810000000**

(इक्कयासी करोड़ रूपये) मात्र

21/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण),
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–08/2017/3213110)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 21/08/2019

विषयः वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों के कार्यपालक सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु स्वीकृत कुल ₹45.00 करोड़ (पैंतालीस करोड़ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में प्रथम किस्त के रूप में कुल ₹1491.87 करोड़ (चौदह अरब इक्कयानवें करोड़ सत्तासी लाख रूपये) मात्र की राशि राज्य में कार्यरत सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों, एवं ग्राम पंचायतों के बीच वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से ग्राम पंचायतों के कार्यपालक सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु कुल ₹45.00 करोड़ (पैंतालीस करोड़ रूपये) मात्र की राशि स्वीकृत है।

2. उक्त विभागीय राज्यादेश एवं इसके साथ संलग्न विवरणी–5 के अनुरूप ग्राम पंचायतों के कार्यपालक सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु कुल ₹45.00 करोड़ (पैंतालीस करोड़ रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी संबंधित जिले के जिला कोषागार से करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष– 198–ग्राम पंचायतों को सहायता– उपशीर्ष– 0009–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान" अंतर्गत विषय शीर्ष '0009.31.04– सहायक अनुदान–वेतन' से की जायेगी। इसकी मांग संख्या– 16 एवं विपत्र कोड– 16–2515001980009 है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

लगातार...

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

21/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-08/2017/321(आ0)/पं०रा० पटना, दिनांक 21/08/2019

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-6/लेखापाल, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

21/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-08/2017/321(आ0)/पं०रा० पटना, दिनांक 21/08/2019

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

21/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\145 Fresh Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Commt Exp\5th SFC 2019-20\First Instl Allot 19-20\GP\1st Inst of 19-20 SFC GP Excutie Assistan.docx

विवरणी—5

विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019—20 में प्रथम किस्त के रूप में ग्राम पंचायत के कार्यपालक सहायक के मानदेय हेतु आवंटित राशि की विवरणी:—

क्र०	जिला	आवंटित राशि (रूपये में)।
1	2	3
1	Arwal	0.00
2	Araria	10000000.00
3	Aurangabad	8000000.00
4	Banka	8068939.00
5	Begusarai	0.00
6	Bhagalpur	11907382.00
7	Bhojpur	10000000.00
8	Buxar	10000000.00
9	Darbhanga	18300000.00
10	E. Champaran	26700000.00
11	Gopalganj	20000000.00
12	Jamui	20000000.00
13	Jehanabad	9000000.00
14	Kaimur	20000000.00
15	Katihar	15000000.00
16	Gaya	10000000.00
17	Khargaria	6200000.00
18	Kishanganj	10000000.00
19	Lakhisarai	3500000.00
20	Madhepura	7000000.00
21	Madhubani	0.00
22	Muzzafarpur	30000000.00
23	Munger	5723679.00
24	Nalanda	0.00
25	Nawada	6500000.00
26	Patna	15000000.00
27	Purnia	5000000.00
28	Rohtas	6000000.00
29	Saharsa	0.00
30	Samastipur	25000000.00
31	Saran	25000000.00
32	Sheohar	7600000.00
33	Sheikhpura	4000000.00
34	Sitamarhi	14000000.00
35	Supaul	20000000.00
36	Siwan	25000000.00
37	Vaishali	7500000.00
38	W. Champaran	30000000.00
	Total :-	450000000.00

(पैंतालीस करोड़ रूपये) मात्र

21/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–08/2017/3310(अनु0)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 21/08/2019

विषयः वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम कचहरी के कार्यालय सहायता हेतु स्वीकृत कुल ₹41.93 करोड़ (इकतालीस करोड़ तीरानवें लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में प्रथम किस्त के रूप में कुल ₹1491.87 करोड़ (चौदह अरब इक्कयानवें करोड़ सत्तासी लाख रूपये) मात्र की राशि राज्य में कार्यरत सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों, एवं ग्राम पंचायतों के बीच वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से ग्राम कचहरी के कार्यालय सहायता हेतु कुल ₹41.93 करोड़ (इकतालीस करोड़ तीरानवें लाख रूपये) मात्र की राशि स्वीकृत है।

2. उक्त के आलोक में संलग्न विवरणी–6 के अनुरूप ग्राम कचहरी के कार्यालय सहायता हेतु कुल ₹41.93 करोड़ (इकतालीस करोड़ तीरानवें लाख रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी संबंधित जिले के जिला कोषागार से करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0014–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम कचहरियों को अंशदान" के विषय शीर्ष '0014.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन' से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड 16–2515001980014 है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड,

विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

21/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-08/2017/33(अ0)/पं०रा० पटना, दिनांक 21/08/2019

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-6, पंचायती राज विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

21/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-08/2017/33(अ0)/पं०रा० पटना, दिनांक 21/08/2019

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

21/8/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Comm Exp\5th SFC 2019-20\First Instl Allot 19-20\GK\2nd Inst of 19-20 for GK.docx

विवरणी—6

विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019—20 में प्रथम किस्त के रूप में ग्राम कचहरियों के कार्यालय सहायता हेतु आवंटित राशि की विवरणी।

क्र०	जिला	ग्राम पंचायत / ग्राम कचहरियों की संख्या	ग्राम कचहरियों के कार्यालय सहायता हेतु आवंटित राशि (₹50000/—प्रतिग्राम कचहरी) विषय शीर्ष—0014.31.06
1	2	3	4
1	Arwal	65	3250000.00
2	Araria	218	10900000.00
3	Aurangabad	204	10200000.00
4	Banka	185	9250000.00
5	Begusarai	229	11450000.00
6	Bhagalpur	242	12100000.00
7	Bhojpur	228	11400000.00
8	Buxar	142	7100000.00
9	Darbhanga	324	16200000.00
10	East Champaran	405	20250000.00
11	Gopalganj	234	11700000.00
12	Jamui	153	7650000.00
13	Jehanabad	93	4650000.00
14	Kaimur	149	7450000.00
15	Katihar	235	11750000.00
16	Gaya	332	16600000.00
17	Khargaria	129	6450000.00
18	Kishanganj	126	6300000.00
19	Lakhisarai	80	4000000.00
20	Madhepura	170	8500000.00
21	Madhubani	399	19950000.00
22	Muzzafarpur	385	19250000.00
23	Munger	101	5050000.00
24	Nalanda	249	12450000.00
25	Nawada	187	9350000.00
26	Patna	322	16100000.00
27	Purnia	246	12300000.00
28	Rohtas	245	12250000.00
29	Saharsa	151	7550000.00
30	Samastipur	381	19050000.00
31	Saran	323	16150000.00
32	Sheohar	53	2650000.00
33	Sheikhpura	54	2700000.00
34	Sitamarhi	270	13500000.00
35	Supaul	181	9050000.00
36	Siwan	293	14650000.00
37	Vaishali	288	14400000.00
38	West Champaran	315	15750000.00
	Total :-	8386	419300000.00

(इकतालीस करोड़ तीरानवें लाख रूपये) मात्र

21/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-08/2017/3५।(3०।९)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

उप सचिव-सह-निकासी एवं
व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 31/08/2019..

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायत सरकार भवन में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा एवं BPRO हेतु 1373 लैपटॉप की अधिप्राप्ति हेतु स्वीकृत कुल ₹9.50 करोड़ (नौ करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में प्रथम किस्त के रूप में कुल ₹1491.87 करोड़ (चौदह अरब इक्कयानवें करोड़ सत्तासी लाख रूपये) मात्र की राशि राज्य में कार्यरत सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों, एवं ग्राम पंचायतों के बीच वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से पंचायत सरकार भवन में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा एव BPRO हेतु 1373 लैपटॉप की अधिप्राप्ति हेतु कुल ₹9.50 करोड़ (नौ करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र की राशि स्वीकृत है।

2. उक्त विभागीय राज्यादेश के आलोक में पंचायत सरकार भवन में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा एवं BPRO हेतु 1373 लैपटॉप की अधिप्राप्ति हेतु कुल ₹9.50 करोड़ (नौ करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, पंचायती राज विभाग होंगे, जो विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से CFMS के माध्यम से करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष- 198-ग्राम पंचायतों को सहायता- उपशीर्ष- 0009-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान" अंतर्गत विषय शीर्ष '0009.31.04- सहायक अनुदान-वेतन' से की जायेगी। इसकी मांग संख्या- 16 एवं विपत्र कोड- 16-2515001980009 है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

21/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–08/2017/3511(310) पं०रा० पटना, दिनांक 21/08/2019

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–6/लेखापाल, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Commt Exp\5th SFC 2019-20\First Instl Allot 19-20\GP\1st Inst of 19-20 SFC Computer Pur.....docx

ज्ञापाक : 5प/स्थापना एव प्रतिबद्ध व्यय–01–08/2017/3५(अनु०) पं०रा० पटना, दिनांक २१/०८

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

२१/८/१९

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Commt Exp\5th SFC 2019-20\First Instl Allot 19-20\GP\1st inst of 19-20 SFC Computer Pur... .docx

पत्रांकः 5प / गैर योजना–01–10 / 2016 / 35(आ०)..../ पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

शुद्धि पत्र

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 10(स्वी०) दिनांक 06.08.2019 के आलोक में निर्ग
विभागीय आवंटनादेश संख्या 22 (आ०) दिनांक 06.08.2019 की कंडिका–2 में निम्नांकित अंश क
समाहित किया जाता है:–

"साथ ही विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 05(स्वी०) दिनांक 14.06.2019 (विवरणी सहित एवं आवंटनादेश संख्या 13(आ०) दिनांक 14.06.2019 को निरस्त किया जाता है।

(2) उक्त आवंटनादेश को इस हद तक संशोधित समझा जाये। आवंटनादेश की अन्य शर यथावत् रहेंगी।

विश्वासभाजन

27/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प / गैर योजना–01–10 / 2016 / 35(आ०) / पं०रा० पटना, दिनांक 28/08/2019

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / उप सचिव–सह–निकासी एवं व्यय पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नया सचिवालय विकास भवन, बिहार, पटना / सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिल परिषद् / प्रभारी पदाधिकारी–04 एवं 06, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ ए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प / गैर योजना–01–10 / 2016 / 35(आ०) / पं०रा० पटना, दिनांक 28/08/2019

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

पत्रांक : 5प/राज्य स्कीम–02–14/2017/36(अनु०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 30/08/2019

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 13(स्वी०) दिनांक 13.08.2019 द्वारा स्वीकृत कुल ₹3,96,36,000.00 (तीन करोड़ छियानवें लाख छत्तीस हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में वैसे ग्राम कचहरी जिन्हें अपना भवन नहीं है, को प्रतिमाह अधिकतम ₹1,000.00 (एक हजार रूपये) मात्र की दर से भवन किराया हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 13(स्वी०) दिनांक 13.08.2019 के साथ संलग्न **विवरणी अनुलग्नक–1 के अनुसार कुल ₹3,96,36,000.00** (तीन करोड़ छियानवें लाख छत्तीस हजार रूपये) मात्र अनुदान स्वरूप राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश 13(स्वी०) दिनांक 13.08.2019 के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक–1 के अनुसार कुल ₹3,96,36,000.00 (तीन करोड़ छियानवें लाख छत्तीस हजार रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. इस राशि की निकासी राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष–0112–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु" मद के विषय शीर्ष "0112.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन" इकाई से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2515008000112 है।

5. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में जिला कोषागार से करेंगे। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\State Scheme\P 2515008000112\Letter.docx

कृ०प०उ०...

एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण) पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

29/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–14/2017/36(अ०10)/पं०रा० पटना, दिनांक 30/08/2019

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी /सभी कोषागार पदाधिकारी /प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–05 (उपयोगिता प्रामण पत्र कोषांग) एवं 08 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–14/2017/36(अ०10)/पं०रा० पटना, दिनांक 30/08/2019

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\State Scheme\P 25150080001 17\Letter.docx

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–14/2017/37(अनु0)/पं0रा0

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 30/08/2019

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 14(स्वी0) दिनांक 13.08.2019 द्वारा स्वीकृत कुल ₹3,35,44,000.00 (तीन करोड़ पैंतीस लाख चौवालीस हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 14(स्वी0) दिनांक 13.08.2019 द्वारा राज्य की प्रत्येक ग्राम कचहरी (कुल 8386 ग्राम कचहरियों) को प्रशासनिक व्यय हेतु ₹4,000.00 (चार हजार रूपये) मात्र की दर से कुल ₹3,35,44,000.00 (तीन करोड़ पैंतीस लाख चौवालीस हजार रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश 14(स्वी0) दिनांक 13.08.2019 के साथ संलग्न जिलावार विवरणी अनुलग्नक–1 के अनुसार कुल ₹3,35,44,000.00 (तीन करोड़ पैंतीस लाख चौवालीस हजार रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि0 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. इस राशि की निकासी राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष–0112–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु" मद के विषय शीर्ष "0112.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन" इकाई से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2515008000112 है।

5. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में जिला कोषागार से करेंगे। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड

एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण) पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

29/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प / राज्य स्कीम–02–14 / 2017 / 37(3/10) / पं०रा० पटना, दिनांक 30/08/2019

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / सभी जिला पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–05 (उपयोगिता प्रामण पत्र कोषांग) एवं 08 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प / राज्य स्कीम–02–14 / 2017 / 37(3/10) / पं०रा० पटना, दिनांक 30/08/20

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\State Scheme\P 2515008000112\Letter.docx

अत्यावश्यक
ई–मेल/फैक्स

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–12/2017/38(आ०)..../ पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार।
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 05/09/2019

विषय : विभागीय राज्यादेश संख्या 02(स्वी०) दिनांक 31.05.2019 द्वारा स्वीकृत राशि के विरूद्व कुल ₹1,14,45,55,200.00 (एक अरब चौदह करोड़ पैंतालीस लाख पचपन हजार दो सौ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 02(स्वी०) दिनांक 31.05.2019 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सदस्य)/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप–प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच को वित्तीय वर्ष 2019–20 में समेकित नियत (मासिक) भत्ता भुगतान हेतु उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न जिलावार विवरणी–1 के अनुसार जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को ₹4,26,12,000.00 (चार करोड़ छब्बीस लाख बारह हजार रूपये) मात्र की राशि, विवरणी–2 के अनुसार पंचायत समिति के प्रमुख, उप–प्रमुख तथा सदस्यों को ₹22,08,48,000.00 (बाईस करोड़ आठ लाख अड़तालीस हजार रूपये) मात्र की राशि, विवरणी–3 के अनुसार ग्राम पंचायत के मुखिया, उप–मुखिया तथा सदस्यों को ₹1,01,28,25,200.00 (एक अरब एक करोड़ अट्ठाईस लाख पच्चीस हजार दो सौ रूपये) मात्र की राशि, तथा विवरणी–4 के अनुसार ग्राम कचहरी के सरपंच, उप–सरपंच, तथा सदस्यों (पंचों) को ₹1,01,28,25,200.00 (एक अरब एक करोड़ अट्ठाईस लाख पच्चीस हजार दो सौ रूपये) मात्र की राशि, कुल मिलाकर ₹2,28,91,10,400.00 (दो अरब अट्ठाईस करोड़ इक्यानबे लाख दस हजार चार सौ रूपये) मात्र एवं पूर्व वर्षों के बकाया भत्ता भुगतान हेतु ₹1,21,08,89,600.00 (एक अरब इक्कीस करोड़ आठ लाख नबासी हजार छह सौ रूपये) मात्र की राशि अर्थात कुल ₹3,50,00,00,000.00 (तीन अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति इस आधार पर दी गई है कि योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अन्तर्गत ही राशि आवंटित की जायेगी।

उक्त के आलोक में विभागीय आवंटनादेश संख्या 16(आ०) दिनांक 18.07.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019--20 में जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों, पंचायत समिति के प्रमुख, उप–प्रमुख एवं सदस्यों, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप–मुखिया एवं सदस्यों तथा ग्राम कचहरी के सरपंच, उप–सरपंच एवं सदस्यों (पंचों) के मानदेय/भत्ता के भुगतान हेतु **कुल ₹1,14,45,55,200.00 (एक अरब चौदह करोड़ पैंतालीस लाख पचपन हजार दो सौ रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की गई है

लगातार - -

2. उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 732 दिनांक 31.07.2019 द्वारा बिहार विनियोग (संख्या–2) अधिनियम, 2019 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट में प्रावधानित राशि का व्यय 31 मार्च, 2020 तक नियमानुसार किये जाने का निदेश दिया गया है।

3. **उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में नियत भत्ता की राशि की निकासी हेतु इस आवंटनादेश के साथ संलग्न विवरणी–I के अनुसार जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹2,13,06,000.00 (दो करोड़ तेरह लाख छह हजार रूपये) मात्र, विवरणी–II के अनुसार पंचायत समिति के प्रमुख, उप–प्रमुख एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹11,04,24,000.00 (ग्यारह करोड़ चार लाख चौबीस हजार रूपये) मात्र, विवरणी–III के अनुसार ग्राम पंचायत के मुखिया, उप–मुखिया एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹50,64,12,600.00 (पचास करोड़ चौसठ लाख बारह हजार छह सौ रूपये) मात्र एवं विवरणी–IV के अनुसार ग्राम कचहरी के सरपंच, उप–सरपंच एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹50,64,12,600.00 (पचास करोड़ चौसठ लाख बारह हजार छह सौ रूपये) मात्र अर्थात कुल मिलाकर ₹1,14,45,55,200.00 (एक अरब चौदह करोड़ पैंतालीस लाख पचपन हजार दो सौ रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।**

4. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं ग्राम कचहरी के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग राज्यादेश संख्या 02(स्वी०) दिनांक 31.05.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

5. इस आवंटित राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए तथा विगत वर्षों के बकाया भुगतान के लिए पूर्व निर्धारित दर से किया जायेगा।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 के मांग संख्या–16 के अन्तर्गत राज्य स्कीम में उपबंधित निम्नांकित बजट शीर्षों के अन्तर्गत की जायेगी :–

<u>**जिला परिषदों के लिए**</u> –

(क) सामान्य घटक:– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0106–जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515001960106 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0106–जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515007890106 है।

<u>पंचायत समितियों के लिए</u> –

(क) सामान्य घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–197–ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष –0103–पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0103.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515001970103 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0105–पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0105.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515007890105 है।

<u>ग्राम पंचायतों के लिए</u> –

(क) सामान्य घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0105–ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0105.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515001980105 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0103–ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0103.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515007890103 है।

<u>ग्राम कचहरियों के लिए</u> –

(क) सामान्य घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम– उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0106–ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515001980106 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0104–ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0104.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515007890104 है।

8. **संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS के Budget Module द्वारा राशि को आवंटित की जा सके।**

9. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी।

10. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

11. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

12. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

13. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

14. इस आवंटित राशि की व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

15. इस आवंटन आदेश तथा इसके साथ विवरणी के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

16. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

17. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

03/9/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–12/2017/3813(अनु०)/ पं०रा० पटना, दिनांक 04/09/2019

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रशाखा 08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

03/9/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–12/2017/38(अनु0)/ पं0रा0 पटना, दिनांक 05/09/2019

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

03/9/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2019–20 में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को जिले की त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत जिला परिषद् (जिला परिषद् अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	जिला परिषदों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001960106 के विषय शीर्ष–0106.31. 06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890106 के विषय शीर्ष–0106.31. 06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	
1	2	3	4	5
1	बक्सर	333660.00	68340.00	402000.00
2	रोहतास	495510.00	101490.00	597000.00
3	भोजपुर	470610.00	96390.00	567000.00
4	नालन्दा	507960.00	104040.00	612000.00
5	पटना	657360.00	134640.00	792000.00
6	कैमूर	321[illegible]10.00	65790.00	387000.00
7	गया	657360.00	134640.00	792000.00
8	नवादा	395910.00	81090.00	477000.00
9	औरंगाबाद	433260.00	88740.00	522000.00
10	जहानाबाद	246510.00	50490.00	297000.00
11	अरवल	196710.00	40290.00	237000.00
12	सारण	669810.00	137190.00	807000.00
13	सिवान	595110.00	121890.00	717000.00
14	गोपालगंज	483060.00	98940.00	582000.00
15	मुजफ्फरपुर	756960.00	155040.00	912000.00
16	वैशाली	595110.00	121890.00	717000.00

क्र०	जिला	जिला परिषदों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001960106 के विषय शीर्ष–0106.31. 06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890106 के विषय शीर्ष–0106.31. 06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	
17	पू० चम्पारण	794310.00	162690.00	957000.00
18	प० चम्पारण	607560.00	124440.00	732000.00
19	सीतामढ़ी	557760.00	114240.00	672000.00
20	शिवहर	171810.00	35190.00	207000.00
21	भागलपुर	470610.00	96390.00	567000.00
22	बांका	395910.00	81090.00	477000.00
23	मधुबनी	781860.00	160140.00	942000.00
24	समस्तीपुर	719610.00	147390.00	867000.00
25	दरभंगा	669810.00	137190.00	807000.00
26	सहरसा	346110.00	70890.00	417000.00
27	मधेपुरा	371010.00	75990.00	447000.00
28	सुपौल	395910.00	81090.00	477000.00
29	पूर्णियाँ	507960.00	104040.00	612000.00
30	अररिया	458160.00	93840.00	552000.00
31	किशनगंज	308760.00	63240.00	372000.00
32	कटिहार	495510.00	101490.00	597000.00
33	मुंगेर	258960.00	53040.00	312000.00
34	जमुई	333660.00	68340.00	402000.00
35	बेगुसराय	520410.00	106590.00	627000.00
36	खगड़िया	308760.00	63240.00	372000.00
37	लखीसराय	221610.00	45390.00	267000.00
38	शेखपुरा	171810.00	35190.00	207000.00
	कुल राशि	17683980.00	3622020.00	21306000.00

(दो करोड़ तेरह लाख छह हजार रूपये) मात्र

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

विवरणी–II

वित्तीय वर्ष 2019–20 में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को जिले की त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत पंचायत समिति (पंचायत समिति प्रमुख/उप–प्रमुख/पंचायत समिति सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	पंचायत समितियों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001970103 के विषय शीर्ष–0103.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890105 के विषय शीर्ष–0105.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	
1	2	3	4	5
1	बक्सर	1708140.00	349860.00	2058000.00
2	रोहतास	2873460.00	588540.00	3462000.00
3	भोजपुर	2450160.00	501840.00	2952000.00
4	नालन्दा	2997960.00	614040.00	3612000.00
5	पटना	3700140.00	757860.00	4458000.00
6	कैमूर	1638420.00	335580.00	1974000.00
7	गया	3839580.00	786420.00	4626000.00
8	नवादा	2171280.00	444720.00	2616000.00
9	औरंगाबाद	2131440.00	436560.00	2568000.00
10	जहानाबाद	1090620.00	223380.00	1314000.00
11	अरवल	761940.00	156060.00	918000.00
12	सारण	3610500.00	739500.00	4350000.00
13	सिवान	3082620.00	631380.00	3714000.00
14	गोपालगंज	2499960.00	512040.00	3012000.00
15	मुजफ्फरपुर	3670260.00	751740.00	4422000.00
16	वैशाली	3002940.00	615060.00	3618000.00

क्र०	जिला	पंचायत समितियों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001970103 के विषय शीर्ष–0103.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890105 के विषय शीर्ष–0105.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	
17	पू० चम्पारण	4372440.00	895560.00	5268000.00
18	प० चम्पारण	3246960.00	665040.00	3912000.00
19	सीतामढ़ी	3012900.00	617100.00	3630000.00
20	शिवहर	682260.00	139740.00	822000.00
21	भागलपुर	2599560.00	532440.00	3132000.00
22	बाका	1957140.00	400860.00	2358000.00
23	मधुबनी	4123440.00	844560.00	4968000.00
24	समस्तीपुर	3894360.00	797640.00	4692000.00
25	दरभंगा	3421260.00	700740.00	4122000.00
26	सहरसा	1673280.00	342720.00	2016000.00
27	मधेपुरा	1962120.00	401880.00	2364000.00
28	सुपौल	1982040.00	405960.00	2388000.00
29	पूर्णियाँ	2604540.00	533460.00	3138000.00
30	अररिया	2091600.00	428400.00	2520000.00
31	किशनगंज	1329660.00	272340.00	1602000.00
32	कटिहार	2669280.00	546720.00	3216000.00
33	मुंगेर	1259940.00	258060.00	1518000.00
34	जमुई	1608540.00	329460.00	1938000.00
35	बेगुसराय	2803740.00	574260.00	3378000.00
36	खगड़िया	1374480.00	281520.00	1656000.00
37	लखीसराय	1015920.00	208080.00	1224000.00
38	शेखपुरा	737040.00	150960.00	888000.00
	कुल राशि	91651920.00	18772080.00	110424000.00

(ग्यारह करोड़ चार लाख चौबीस हजार रूपये) मात्र

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

विवरणी–III

वित्तीय वर्ष 2019–20 में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को जिले की त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया/ग्राम पंचायत सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	ग्राम पंचायतों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001980105 के विषय शीर्ष–0105.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890103 के विषय शीर्ष–0103.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	
1	2	3	4	5
1	बक्सर	7193112.00	1473288.00	8666400.00
2	रोहतास	11624316.00	2380884.00	14005200.00
3	भोजपुर	12099408.00	2478192.00	14577600.00
4	नालन्दा	12299604.00	2519196.00	14818800.00
5	पटना	16226832.00	3323568.00	19550400.00
6	कैमूर	6983454.00	1430346.00	8413800.00
7	गया	16677522.00	3415878.00	20093400.00
8	नवादा	9272262.00	1899138.00	11171400.00
9	औरंगाबाद	10315074.00	2112726.00	12427800.00
10	जहानाबाद	4654308.00	953292.00	5607600.00
11	अरवल	3194670.00	654330.00	3849000.00
12	सारण	16551528.00	3390072.00	19941600.00
13	सिवान	14843388.00	3040212.00	17883600.00
14	गोपालगंज	11639754.00	2384046.00	14023800.00
15	मुजफ्फरपुर	19309950.00	3955050.00	23265000.00
16	वैशाली	14489808.00	2967792.00	17457600.00

क्र०	जिला	ग्राम पंचायतों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001980105 के विषय शीर्ष–0105.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890103 के विषय शीर्ष–0103.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	
17	पू० चम्पारण	20487720.00	4196280.00	24684000.00
18	प० चम्पारण	15470370.00	3168630.00	18639000.00
19	सीतामढ़ी	13902168.00	2847432.00	16749600.00
20	शिवहर	2704638.00	553962.00	3258600.00
21	भागलपुर	11640252.00	2384148.00	14024400.00
22	बांका	9123360.00	1868640.00	10992000.00
23	मधुबनी	20113224.00	4119576.00	24232800.00
24	समस्तीपुर	19049496.00	3901704.00	22951200.00
25	दरभंगा	16350834.00	3348966.00	19699800.00
26	सहरसा	7570596.00	1550604.00	9121200.00
27	मधेपुरा	8291700.00	1698300.00	9990000.00
28	सुपौल	9181626.00	1880574.00	11062200.00
29	पूर्णियाँ	12271716.00	2513484.00	14785200.00
30	अररिया	10924128.00	2237472.00	13161600.00
31	किशनगंज	6412746.00	1313454.00	7726200.00
32	कटिहार	11920128.00	2441472.00	14361600.00
33	मुंगेर	5010876.00	1026324.00	6037200.00
34	जमुई	7326078.00	1500522.00	8826600.00
35	बेगुसराय	11826504.00	2422296.00	14248800.00
36	खगड़िया	6684654.00	1369146.00	8053800.00
37	लखीसराय	4051230.00	829770.00	4881000.00
38	शेखपुरा	2633424.00	539376.00	3172800.00
	कुल राशि	**420322458.00**	**86090142.00**	**506412600.00**

(पचास करोड़ चौसठ लाख बारह हजार छह सौ रूपये) मात्र

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

विवरणी–IV

वित्तीय वर्ष 2019–20 में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को जिले के ग्राम कचहरी (ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच/पंच) के लिए बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	ग्राम कचहरियों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001980106 के विषय शीर्ष–0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890104 के विषय शीर्ष–0104.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	
1	2	3	4	5
1	बक्सर	7193112.00	1473288.00	8666400.00
2	रोहतास	11624316.00	2380884.00	14005200.00
3	भोजपुर	12099408.00	2478192.00	14577600.00
4	नालन्दा	12299604.00	2519196.00	14818800.00
5	पटना	16226832.00	3323568.00	19550400.00
6	कैमूर	6983454.00	1430346.00	8413800.00
7	गया	16677522.00	3415878.00	20093400.00
8	नवादा	9272262.00	1899138.00	11171400.00
9	औरंगाबाद	10315074.00	2112726.00	12427800.00
10	जहानाबाद	4654308.00	953292.00	5607600.00
11	अरवल	3194670.00	654330.00	3849000.00
12	सारण	16551528.00	3390072.00	19941600.00
13	सिवान	14843388.00	3040212.00	17883600.00
14	गोपालगंज	11639754.00	2384046.00	14023800.00
15	मुजफ्फरपुर	19309950.00	3955050.00	23265000.00
16	वैशाली	14489808.00	2967792.00	17457600.00

क्र०	जिला	ग्राम कचहरियों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001980106 के विषय शीर्ष–0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890104 के विषय शीर्ष–0104.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	
17	पू० चम्पारण	20487720.00	4196280.00	24684000.00
18	प० चम्पारण	15470370.00	3168630.00	18639000.00
19	सीतामढ़ी	13902168.00	2847432.00	16749600.00
20	शिवहर	2704638.00	553962.00	3258600.00
21	भागलपुर	11640252.00	2384148.00	14024400.00
22	बांका	9123360.00	1868640.00	10992000.00
23	मधुबनी	20113224.00	4119576.00	24232800.00
24	समस्तीपुर	19049496.00	3901704.00	22951200.00
25	दरभंगा	16350834.00	3348966.00	19699800.00
26	सहरसा	7570596.00	1550604.00	9121200.00
27	मधेपुरा	8291700.00	1698300.00	9990000.00
28	सुपौल	9181626.00	1880574.00	11062200.00
29	पूर्णियाँ	12271716.00	2513484.00	14785200.00
30	अररिया	10924128.00	2237472.00	13161600.00
31	किशनगंज	6412746.00	1313454.00	7726200.00
32	कटिहार	11920128.00	2441472.00	14361600.00
33	मुंगेर	5010876.00	1026324.00	6037200.00
34	जमुई	7326078.00	1500522.00	8826600.00
35	बेगुसराय	11826504.00	2422296.00	14248800.00
36	खगड़िया	6684654.00	1369146.00	8053800.00
37	लखीसराय	4051230.00	829770.00	4881000.00
38	शेखपुरा	2633424.00	539376.00	3172800.00
कुल राशि		**420322458.00**	**86090142.00**	**506412600.00**

(पचास करोड़ चौसठ लाख बारह हजार छह सौ रूपये) मात्र

03/9/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017/39(आ०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

उप सचिव–सह–निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांकः 04/09/2019

विषयः **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 01(स्वी०) दिनांक 26.04.2019 के आलोक में कुल ₹1,00,500.00 (एक लाख पाँच सौ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 01(स्वी०) दिनांक 26.04.2019 के माध्यम से पंचायती राज विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना से संबंधित HDPE/MDPE/UPVC Pipes & Fitting सामग्रियों का प्री डिलिवरी एवं पोस्ट डिलिवरी इंस्पेक्शन विषय पर प्रभारी कनीय अभियंताओं का एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला दिनांक 18.09.2018 एवं दिनांक 05.10.2018 दिया गया है; जिसमें प्रत्येक प्रशिक्षु ₹1,500.00(पन्द्रह सौ रूपये) मात्र की दर से क्रमशः प्रथम प्रशिक्षण हेतु 33 प्रशिक्षुओं के लिए ₹49,500.00 (उनचास हजार पाँच सौ रूपये) मात्र तथा द्वितीय प्रशिक्षण हेतु 34 प्रशिक्षुओं के लिए ₹51,000.00 (इक्कयावन हजार रूपये) मात्र अर्थात **कुल ₹1,00,500.00 (एक लाख पाँच सौ रूपये) मात्र की राशि** CIPET, हाजीपुर को भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की प्रदान की गई है।

2. **उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के अनुरूप कुल ₹1,00,500.00 (एक लाख पाँच सौ रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0113–मुख्यमंत्री निश्चय योजना" के "विषय शीर्ष–0113.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण" से वित्तीय वर्ष 2019–20 में की जायेगी। इसकी माँग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2515001980113 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो आवंटित राशि को सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से CFMS के माध्यम से निकासी कर चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से CIPET, हाजीपुर को उपलब्ध करायेंगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

अगला पृष्ठ....

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

2/9/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017/39(अ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 05/09/2019

प्रतिलिपि: महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ निदेशक, CIPET, हाजीपुर /प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–03 एवं 06(लेखा), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/9/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017/39(अ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 05/09/2019

प्रतिलिपि :आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2/9/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

पत्रांकः 5प / राज्य स्कीम–02–13 / 2017 / 50(आ0) / पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

उप सचिव–सह–निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांकः 05/09/2019

विषयः विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 16(स्वी०) दिनांक 14.08.2019 के आलोक में कुल ₹16,04,817.00 (सोलह लाख चार हज़ार आठ सौ सतरह रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 16(स्वी०) दिनांक 14.08.2019 के माध्यम से NIC Patna द्वारा MIS/Nischay Soft Mobile App/Nischay Soft Portal आदि के निर्माण हेतु मानवबल का उपयोग में किये गये व्यय भार हेतु कुल ₹16,04,817.00 (सोलह लाख चार हजार आठ सौ सतरह रूपये) मात्र की राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के अनुरूप कुल ₹16,04,817.00 (सोलह लाख चार हजार आठ सौ सतरह रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0113–मुख्यमंत्री निश्चय योजना" के "विषय शीर्ष–0113.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण" से वित्तीय वर्ष 2019–20 में की जायेगी। इसकी माँग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2515001980113 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो आवंटित राशि को सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से CFMS के माध्यम से निकासी कर चेक / बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से NICSI, New Delhi को भुगतान करेंगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05 / 98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

लगातार – –

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. **इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी** दी जा रही है।

विश्वासभाजन

03/9/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017/510(अनु०)/पं०रा० पटना, दिनांक 04/09/2019.

प्रतिलिपि: महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ निदेशक, CIPET, हाजीपुर /प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–03 एवं 06(लेखा), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/9/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017/510(अनु०)/पं०रा० पटना, दिनांक 04/09/2019

प्रतिलिपि :आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/9/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2019/411(अनु0)..../पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), जहानाबाद।

पटना, दिनांक 04/09/2019

विषय : बिहार पंचायत चुनाव, 2011 के बकाया भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार पंचायत चुनाव, 2011 का बकाया भुगतान हेतु **कुल ₹9,13,272.00 (नौ लाख तेरह हजार दो सौ बहत्तर रूपये) मात्र की राशि** वित्तीय वर्ष 2019–20 में आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), जहानाबाद** होंगे।

3. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के **"मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–उपशीर्ष–0002–जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव"** अंतर्गत विषय शीर्ष **"0002.13.01–कार्यालय व्यय"** इकाई से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड 16–2015001090002** है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस आवंटित राशि की निकासी **जिला कोषागार, जहानाबाद** से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

लगातार––

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
03/9/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2019/51(आ०)/ पं०रा० पटना, दिनांक 04/09/
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रशाखा–5 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/9/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2019/51(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 04/09
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/9/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Commt Exp\Election\Letter.docx

पत्रांकः 5प / स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06 / 2019 / 42(आ०) / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

सभी संबंधित जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
पटना, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर,
दरभंगा एवं अररिया।

पटना, दिनांक 05/09/2019

विषय : पंचायत उप निर्वाचन, 2019 के अवसर पर कराये गये कार्यों के बकाया भुगतान हेतु राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत उप निर्वाचन, 2019 हेतु निम्नलिखित विवरणी के अनुसार **0002.11.01–यात्रा व्यय इकाई से कुल ₹51,38,868.00 (इक्कयावन लाख अड़तीस हजार आठ सौ अड़सठ रूपये)** मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2019–20 में आवंटित की जाती है:–

क्र०	जिला का नाम	वास्तविक मतदान केन्द्रों की संख्या	₹2310.00 मतदान केन्द्रों की दर से यात्रा व्यय इकाई में पत्रांक 74(आ०) दिनांक 18.03.2019 द्वारा आवंटित राशि	₹7812.00 प्रति मतदान केन्द्र की दर से यात्रा व्यय इकाई में आवंटित अन्तर राशि 7812-2310=5502.00
1	पटना	111	256410.00	610722.00
2	वैशाली	176	406560.00	968352.00
3	सीतामढ़ी	117	270270.00	643734.00
4	शिवहर	161	371910.00	885822.00
5	समस्तीपुर	130	300300.00	715260.00
6	दरभंगा	111	256410.00	610722.00
7	अररिया	128	295680.00	704256.00
	कुल	**934**	**2157540.00**	**5138868.00**

(इक्कयावन लाख अड़तीस हजार आठ सौ अड़सठ रूपये) मात्र

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के **जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)** होंगे।

3. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के **"मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–109–पंचायतों / स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–उपशीर्ष–0002–जिला परिषदों / पंचायत समितियों / ग्राम पंचायतों का चुनाव"** अंतर्गत विषय शीर्ष **"0002.11.01 यात्रा व्यय इकाई"** इकाई से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या **16** एवं विपत्र कोड **16–2015001090002** है।

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Commt Exp\Election\...

लगातार -- -

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि संबंधित जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटित राशि की निकासी **संबंधित जिले के जिला कोषागार** से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय मे लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। **तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।**

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

03/9/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01--06/2019/५२(आ०)/ पं०रा० पटना, दिनांक ०५।०

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रभारी प्रशाखा–05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

...2019-20\Estb & Commt Exp\Election\Letter.docx

अत्यावश्यक
ई–मेल / स्पीड पोस्ट

पत्रांकः 5प / राज्य स्कीम–02–09 / 2017 / [illegible] / पं०रा०
बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा।

पटना, दिनांक [illegible]

विषय : स्व० रविन्द्र रविदास, पंच, ग्राम कचहरी सदस्य, आश्रित पत्नी–श्रीमती रूकमिणी देवी, ग्राम–मालदह, प्रखण्ड–बरबीघा, जिला–शेखपुरा की मृत्यु की स्थिति मे देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि क आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के कार्याल पत्रांक संख्या 703 दिनांक 20.08.2019 द्वारा स्व० रविन्द्र रविदास, पंच, ग्राम कचहरी सदस्य आश्रित पत्नी–श्रीमती रूकमिणी देवी, ग्राम–मालदह, प्रखण्ड–बरबीघा, जिला–शेखपुरा, की मृत्यु क स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि भुगतान कि जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 एवं जिला पदाधिकार शेखपुरा का पत्रांक संख्या–703 दिनांक 20.08.2019 के आलोक में जिला पदाधिकार शेखपुरा को कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2019–2 में व्यय हेतु आवंटित की जाती है।**

3. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य स्कीम अंतर्गत "**मुख शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन ए प्रशासन–उपशीर्ष–0101–मुख्यालय पंचायत की स्थापना**" मद के विषय शीर्ष '**0101.3 01–अनुग्रह अनुदान**' से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं विपत्र कोड संख **16–2515000010101** है।

4. **इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकार शेखपुरा द्वारा अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र को 16–2515000010101) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि त आवंटित की जा सके।**

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05 / 98–2561 वि(2) दि० 17 अ 1998, 289 दिनांक 28.03.2018, 354 दिनांक 28.03.2018 एवं 3244 दिनांक 04.05.2018 में निर्ि अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **जिला पदाधिकारी, शेख** होंगे जो राशि की निकासी **जिला कोषागार, शेखपुरा** से बिहार कोषागार संहिता, 2011 सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\P 2515000010101\Letter.docx

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एव प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/93(3)19/पं०रा० पटना, दिनांक 06/09/2019
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, शेखपुरा/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा/प्रभारी पदाधिकारी–08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/93(3)19/पं०रा० पटना, दिनांक 06/09/2019
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

पत्रांक–5प / गैर योजना–01–10 / 2016 / 551(अनु०) / पं०रा०
बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

अत्यावश्यक / अविलम्ब **ई–मेल / स्पीड पोस्ट**

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 06/09/2019

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 18(स्वी०) दिनांक 05.09.2019 द्वारा स्वीकृत कुल ₹2837.35 करोड़ (अट्ठाईस अरब सैंतीस करोड़ पैंतीस लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 18(स्वी०) दिनांक 05.09.2019 द्वारा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2019–20 में भारत सरकार से प्राप्त बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की प्रथम किस्त कुल ₹2837.35 करोड़ (अट्ठाईस अरब सैंतीस करोड़ पैंतीस लाख रूपये) मात्र की राशि उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक–A (राज्य के सभी 8386 ग्राम पंचायतों हेतु) के अनुसार वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में **कुल ₹2837.35 करोड़ (अट्ठाईस अरब सैंतीस करोड़ पैंतीस लाख रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0001–पंचायत राज संस्थाओं को सहायता"** मद के विषय शीर्ष **"0001.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन"** से की जायेगी। इसकी **मांग संख्या–16** एवं विपत्र कोड **16–2515001980001** है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से राशि की निकासी कर 14वें वित्त आयोग से संबंधित एच०डी०एफ०सी० बैंक, एक्जीबिशन रोड, पटना, बिहार (HDFC Bank, Exhibition Road, Patna, Bihar) में संधारित विभागीय खाता संख्या 50100188126888 में राशि अंतरित करते हुए PFMS के माध्यम से **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 18(स्वी०) दिनांक 05.09.2019** के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक–A (राज्य के सभी 8386 ग्राम पंचायतों हेतु) के स्तम्भ 8 एवं 9 के अनुरूप कुल बुनियादी अनुदान का 80% राशि मुख्यमंत्री निश्चय योजना एवं 20% राशि 14वें वित्त आयोग के बैंक खातों में अंतरित करायेंगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05 / 98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 एवं 6786 दिनांक 19.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य

शीर्ष / लघुशीर्ष / उपशीर्ष / प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशो का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र / वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, पूर्व की आवंटित राशि का अंकेक्षित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा ग्राम पंचायतों के राजस्व के प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण) द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

6/9/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प / गैर योजना–01–10 / 2016 / 454(अनु०) / पं०रा० पटना, दिनांक 05/09/2019

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, बिहार, पटना / सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद / प्रभारी पदाधिकारी–03, 04 एवं 06, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/9/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प / गैर योजना–01–10 / 2016 / 454(अनु०) / पं०रा० पटना, दिनांक 05/09/2019

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6/9/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2019/ 45(अ०प०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त, नवादा, औरंगाबाद, पं चम्पारण, भागलपुर एवं खगड़िया।
सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज, दरभंगा, भागलपुर एवं सहरसा।
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 06/09/2019.

विषय : **स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष –0003–जिला पंचायत की स्थापना" मद में राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाईवार अंकित कुल **₹1,06,82,58,840.00 (एक अरब छह करोड़ बयासी लाख अट्ठावन हजार आठ सौ चालीस रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. उप विकास आयुक्त कार्यालय स्थापना मद में आवंटित राशि से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत जिला अभियंता, यदि किसी जिला परिषद् में हैं, तो उनके वेतनादि का भुगतान भी इस आवंटित राशि से किया जायेगा।

4. **"सर्वप्रथम इस आवंटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाये वेतन आदि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक है, तो उसका भुगतान किया जाये। तत्पश्चात अवशेष राशि से नियमित वेतन का भुगतान किया जाये। यदि इसके बाद भी राशि अवशेष रहती है, तो नियमानुसार बकाया वेतन की निकासी की जा सकती है"।**

5. इस आवंटित राशि का भुगतान नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार/जिला कोषागार से की जायेगी।

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Comm Exp\Zila Panchayat 2019-20\Letter.docx

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. **आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये। व्यय न होने पर शून्य व्यय विवरणी भेजी जाये।**

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड संख्या 16–2515000010003** है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

6/9/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2018/45(अनु०)/पं०रा० पटना, दिनांक 06/09/2019
प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले०-एवं ह०), बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

6/9/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2017/45(अनु०)/पं०रा० पटना, दिनांक 06/09/2019
प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

6/9/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019 20\Estb & Commt Exp\Zila Panchayat 2019 20\Letter.docx

1

पंचायती राज विभाग

वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन–उपशीर्ष–0003–जिला पंचायत की स्थापना" मद में व्यय हेतु राशि का आवंटन (रूपये में) विवरणी।

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन						चि० प्रतिपूर्ति 0003.06.01	यात्रा व्यय 0003.11.01	कार्यालय व्यय 0003.13.01	दूरभाष 0003.13.03	वर्दी/पोशाक 0003.13.08	भाड़े की गाड़ी का भुगतान 0003.13.10	संविदा सेवाएँ 0003.28.02	योग
		वेतन 0003.01.01	म०/या०भत्ता 0003.01.03	म०भत्ता 0003.01.04	प०भत्ता 0003.01.05	चि०भत्ता 0003.01.06	कुल								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	उप विकास आयुक्त कार्यालय स्थापना हेतु														
1	उप विकास आयुक्त, नवादा	—	—	—	—	—	0.00	—	—			—		540000.00	₹ 540000.00
2	उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद	790000.00	130000.00	40000.00	15000.00	19000.00	994000.00	—	—			—		—	₹ 994000.00
3	उप विकास आयुक्त, पश्चिम चम्पारण	—	—	—	—	—	0.00	—	—			—		300000.00	₹ 300000.00
4	उप विकास आयुक्त, भागलपुर	553000.00	91000.00	28000.00	10500.00	13300.00	695800.00	—	—			—		—	₹ 695800.00
5	उप विकास आयुक्त, खगड़िया	1580000.00	260000.00	80000.00	30000.00	38000.00	1988000.00	—	—			—		—	₹ 1988000.00
	प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज कार्यालय स्थापना हेतु														
6	उप निदेशक, पंचायत राज, दरभंगा	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	—		200000	₹ 200000.00
7	उप निदेशक, पंचायत राज, भागलपुर	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	—	120000.00	—	₹ 120000.00
8	उप निदेशक, पंचायत राज, सहरसा	363400.00	59800.00	18400.00	6900.00	8740.00	457240.00	—	—			—		—	₹ 457240.00
	जिला पंचायत राज पदाधिकारी कार्यालय स्थापना हेतु														
9	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर	1580000.00	260000.00	80000.00	30000.00	38000.00	1988000.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 2259000.00
10	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रोहतास	—	—	—	—	—	0.00		16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00		₹ 271000.00
11	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर	1580000.00	260000.00	80000.00	30000.00	38000.00	1988000.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 2259000.00
12	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालन्दा	790000.00	130000.00	40000.00	15000.00	19000.00	994000.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 1265000.00
13	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना	—		—	—	—	0.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 271000.00
14	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमूर				—	—	0.00		16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 271000.00
15	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया	1185000.00	195000.00	60000.00	22500.00	28500.00	1491000.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 1762000.00
18	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा	790000.00	130000.00	40000.00	15000.00	19000.00	994000.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 1265000.00
17	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद	—	—	—	—	—	0.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 271000.00
18	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद	1185000.00	195000.00	60000.00	12500.00	28500.00	1491000.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 1762000.00
19	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल	790000.00	130000.00	40000.00	15000.00	19000.00	994000.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	242000.00	₹ 1507000.00
20	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण	1580000.00	260000.00	80000.00	30000.00	38000.00	1988000.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 2259000.00
21	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीवान	1580000.00	260000.00	80000.00	30000.00	38000.00	1988000.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00		₹ 2259000.00
22	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज	1185000.00	195000.00	60000.00	22500.00	28500.00	1491000.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 1762000.00

लगातार–

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन 0003.01.01	जी०वा०भत्ता 0003.01.03	म०भत्ता 0003.01.04	प०भत्ता 0003.01.05	चि०भत्ता 0003.01.06	कुल	चि० प्रतिपूर्ति 0003.06.01	यात्रा व्यय 0003.11.01	कार्यालय व्यय 0003.13.01	दूरभाष 0003.13.03	वर्दी / पोशाक 0003.13.08	गाड़ी की गाड़ी का भुगतान 0003.13.10	संविदा सेवाएँ 0003.28.02	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	—	—	—	—	—	0.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	15000.00	200000.00	600000.00	₹ 886000.00
24	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली	—	—	—	—	—	0.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 271000.00
25	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	1580000.00	260000.00	80000.00	30000.00	38000.00	1988000.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	15000.00	200000.00	300000.00	₹ 2574000.00
26	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प० चम्पारण	—	—	—	—	—	0.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 271000.00
27	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी	—	—	—	—	—	0.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 271000.00
28	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर	790000.00	130000.00	40000.00	15000.00	19000.00	994000.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 1265000.00
29	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर	—	—	—	—	—	0.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 271000.00
30	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बांका	790000.00	130000.00	40000.00	15000.00	19000.00	994000.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 1265000.00
31	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी	—	—	—	—	—	0.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 271000.00
32	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर	—	—	—	—	—	0.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	10000.00	200000.00	—	₹ 281000.00
33	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा	—	—	—	—	—	0.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 271000.00
34	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा	—	—	—	—	—	0.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 271000.00
35	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा	1185000.00	195000.00	60000.00	22500.00	28500.00	1491000.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 1762000.00
36	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल	1185000.00	195000.00	60000.00	22500.00	28500.00	1491000.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	170000.00	₹ 1932000.00
37	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णियाँ	1975000.00	325000.00	100000.00	37500.00	47500.00	2485000.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 2756000.00
38	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया	790000.00	130000.00	40000.00	15000.00	19000.00	994000.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 1265000.00
39	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज	1185000.00	195000.00	60000.00	22500.00	28500.00	1491000.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 1762000.00
40	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार	—	—	—	—	—	0.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 271000.00
41	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर	1580000.00	260000.00	80000.00	30000.00	38000.00	1988000.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 2259000.00
42	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जमुई	—	—	—	—	—	0.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 271000.00
43	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगुसराय	1185000.00	195000.00	60000.00	22500.00	28500.00	1491000.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 1762000.00
44	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 271000.00
45	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय	790000.00	130000.00	40000.00	15000.00	19000.00	994000.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 1265000.00
46	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा	—	—	—	—	—	0.00	—	16000.00	50000.00	5000.00	—	200000.00	—	₹ 271000.00
	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल हेतु														
47	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर	12640000.00	2080000.00	640000.00	240000.00	304000.00	15904000.00		—			—		—	₹ 15904000.00
48	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रोहतास	20540000.00	3380000.00	1040000.00	390000.00	494000.00	25844000.00	—	—	—	—	—		—	₹ 25844000.00
49	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर	9480000.00	1560000.00	480000.00	180000.00	228000.00	11928000.00	—	—	—	—	—		—	₹ 11928000.00
50	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालन्दा	28440000.00	4680000.00	1440000.00	540000.00	684000.00	35784000.00	—	—	—	—	—		—	₹ 35784000.00
51	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना	18960000.00	3120000.00	960000.00	360000.00	456000.00	23856000.00	—	—	—	—	—		—	₹ 23856000.00
52	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमूर	11850000.00	1950000.00	600000.00	225000.00	285000.00	14910000.00	—	—	—	—	—		1200000.00	₹ 16110000.00
53	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया	27650000.00	4550000.00	1400000.00	525000.00	665000.00	34790000.00	—	—	—	—	—		1000000.00	₹ 35790000.00
54	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा	18960000.00	3120000.00	960000.00	360000.00	456000.00	23856000.00	—	—	—	—	—		—	₹ 23856000.00

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन						चि० प्रतिपूर्ति 0003.06.01	यात्रा व्यय 0003 11.01	कार्यालय व्यय 0003 13.01	दूरभाष 0003 13.03	वर्दी / पोशाक 0003 13.06	भाड़े की गाड़ी का भुगतान 0003 13 10	संविदा सेवाएँ 0003 28 02	योग
		वेतन 0003 01.01	मँ०या०भत्ता 0003 01.03	म०भत्ता 0003 01.04	प०भत्ता 0003 01 05	चि०भत्ता 0003 01 06	कुल								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद	27650000.00	4550000.00	1400000.00	525000.00	665000.00	34790000.00	—	—	—	—	—	—	—	₹ 34790000.00
56	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद	16590000.00	2730000.00	840000.00	315000.00	399000.00	20874000.00	—	—	—	—	—	—	—	₹ 20874000.00
57	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल	5293000.00	871000.00	268000.00	100500.00	127300.00	6659800.00	—	—	—	—	—		—	₹ 6659800.00
58	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण	19750000.00	3250000.00	1000000.00	375000.00	475000.00	24850000.00	—	—	—	—	—		—	₹ 24850000.00
59	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीवान	44240000.00	7280000.00	2240000.00	840000.00	1064000.00	55664000.00	—	—	—	—	—	—	—	₹ 55664000.00
60	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज	31600000.00	5200000.00	1600000.00	600000.00	760000.00	39760000.00	—	—	—	—	—		—	₹ 39760000.00
61	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	31600000.00	5200000.00	1600000.00	600000.00	760000.00	39760000.00	—	—	—	—	—		—	₹ 39760000.00
62	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली	15800000.00	2600000.00	800000.00	300000.00	380000.00	19880000.00	—	—	—	—	—		—	19880000.00
63	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	23700000.00	3900000.00	1200000.00	450000.00	570000.00	29820000.00	—	—	—	—	—		—	29820000.00
64	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प० चम्पारण	27650000.00	4550000.00	1400000.00	525000.00	665000.00	34790000.00	—	—	—	—	—		—	34790000.00
65	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी	31600000.00	5200000.00	1600000.00	600000.00	760000.00	39760000.00	—	—	—	—	—		—	39760000.00
66	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर	3950000.00	650000.00	200000.00	75000.00	95000.00	4970000.00	—	—	—	—	—		—	4970000.00
67	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर	19750000.00	3250000.00	1000000.00	375000.00	475000.00	24850000.00	—	—	—	—	—		—	24850000.00
68	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बांका	20540000.00	3380000.00	1040000.00	390000.00	494000.00	25844000.00	—	—	—	—	—		—	25844000.00
69	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी	39500000.00	6500000.00	2000000.00	750000.00	950000.00	49700000.00	—	—	—	—	—		—	49700000.00
70	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर	31600000.00	5200000.00	1600000.00	600000.00	760000.00	39760000.00	—	—	—	—	—		—	39760000.00
71	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा	39500000.00	6500000.00	2000000.00	750000.00	950000.00	49700000.00	—	—	—	—	—	—	—	49700000.00
72	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा	14220000.00	2340000.00	720000.00	270000.00	342000.00	17892000.00	—	—	—	—	—		—	17892000.00
73	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा	22120000.00	3640000.00	1120000.00	420000.00	532000.00	27832000.00	—	—	—	—	—		—	27832000.00
74	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल	31600000.00	5200000.00	1600000.00	600000.00	760000.00	39760000.00	—	—	—	—	—		—	39760000.00
75	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया	22120000.00	3640000.00	1120000.00	420000.00	532000.00	27832000.00	—	—	—	—	—		—	27832000.00
76	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया	23700000.00	3900000.00	1200000.00	450000.00	570000.00	29820000.00	—	—	—	—	—		—	29820000.00
77	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज	15800000.00	1600000.00	800000.00	300000.00	380000.00	19880000.00			—	—	—		2500000.00	22380000.00
78	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार	19750000.00	3250000.00	1000000.00	375000.00	475000.00	24850000.00	—	—	—	—	—		—	24850000.00
79	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर	7900000.00	1300000.00	400000.00	150000.00	190000.00	9940000.00	—	—	—	—	—		—	9940000.00
80	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जमुई	17380000.00	2860000.00	880000.00	330000.00	418000.00	21868000.00	—	—	—	—	—		1600000.00	₹ 23468000.00
81	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगुसराय	23700000.00	3900000.00	1200000.00	450000.00	570000.00	29820000.00	—	—	—	—	—		—	₹ 25820000.00
82	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया	17380000.00	2860000.00	880000.00	330000.00	418000.00	21868000.00	—	—	—	—	—		3600000.00	₹ 25468000.00
83	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय	3950000.00	650000.00	200000.00	75000.00	95000.00	4970000.00	—	—		—	—		—	₹ 4970000.00
84	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा	3950000.00	650000.00	200000.00	75000.00	95000.00	4970000.00	—	—	—	—	—		—	₹ 4970000.00
	कुल योग :-	830969400.00	136741800.00	42074400.00	15777900.00	19985340.00	1045548840.00	0.00	608000.00	1900000.00	190000.00	40000.00	7730000.00	12252000.00	₹ 1068258840.00

कुल = एक अरब छह करोड़ बयासी लाख अट्ठावन हजार आठ सौ चालीस रुपये मात्र

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

अत्यावश्यक
ई–मेल / स्पीड पोस्ट

पत्रांकः 5प / राज्य स्कीम–02–09 / 2017 / 46 (अनु) / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

पटना, दिनांक 23/07/20

विषय : स्व० इंदु देवी, ग्राम कचहरी पंच, पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या–11, पंचायत–पूर्वी करगहिया, प्रखण्ड–बेतिया, जिला–पश्चिम चम्पारण, की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के कार्यालय पत्रांक संख्या 815 दिनांक 10.08.2019 द्वारा स्व० इंदु देवी, ग्राम कचहरी पंच, पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या–11, पंचायत–पूर्वी करगहिया, प्रखण्ड–बेतिया, जिला–पश्चिम चम्पारण, की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 एवं जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण का पत्रांक संख्या–815 दिनांक 10.08.2019 के आलोक में जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु आवंटित की जाती है।**

3. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य स्कीम अंतर्गत **''मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0101–मुख्यालय पंचायत की स्थापना''** मद के विषय शीर्ष **'0101.37.01–अनुग्रह अनुदान'** से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं विपत्र कोड संख्या **16–2515000010101** है।

4. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16–2515000010101) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 289 दिनांक 28.03.2018, 354 दिनांक 28.03.2018 एवं 3244 दिनांक 04.05.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण** होंगे जो राशि की निकासी **जिला कोषागार, पश्चिम चम्पारण** से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

— लगातार —

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\P 2515000010101\Letter.docx

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

20/9/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/...46(अनु0)/पं०रा० पटना, दिनांक 23/09/2019

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण/प्रभारी पदाधिकारी–08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/46(अनु0)/पं०रा० पटना, दिनांक 23/09/2019

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/9/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20 ...

अत्यावश्यक
ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/...4.7(अनु.)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

पटना, दिनांक 23/09/20

विषय : स्व० ठागो देवी, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या–09, पंचायत–हरदी टेढ़ा, प्रखण्ड–नरकटियागंज, जिला–पश्चिम चम्पारण, की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के कार्यालय पत्रांक संख्या 815 दिनांक 10.08.2019 द्वारा स्व० ठागो देवी, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या–09, पंचायत–हरदी टेढ़ा, प्रखण्ड–नरकटियागंज, जिला–पश्चिम चम्पारण, की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक **01.10.2018 एवं जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण का पत्रांक संख्या–815 दिनांक 10.08.2019 के आलोक में जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु आवंटित की जाती है।**

3. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य स्कीम अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0101–मुख्यालय पंचायत की स्थापना"** मद के विषय शीर्ष **'0101.37.01–अनुग्रह अनुदान'** से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं विपत्र कोड संख्या **16–2515000010101** है।

4. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16–2515000010101) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 289 दिनांक 28.03.2018, 354 दिनांक 28.03.2018 एवं 3244 दिनांक 04.05.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण** होंगे जो राशि की निकासी **जिला कोषागार, पश्चिम चम्पारण** से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\P 2515000010101\Letter.docx

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

20/9/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम-02-09/2017/47(अनु०) पं०रा० पटना, दिनांक 23/09/2019

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण /जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण /प्रभारी पदाधिकारी-08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम-02-09/2017/47(अनु०) पं०रा० पटना, दिनांक 23/09/2019

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करनें हेतु प्रेषित।

20/9/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम--02-13/2017/48(अनु०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार(भोजपुर, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार,
गया, किशनगंज, मधुबनी, रोहतास, समस्तीपुर, वैशाली
एवं पश्चिमी चम्पारण को छोड़कर)।

पटना दिनांक: 26/09/2019

विषयः **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 19(स्वी०) दिनांक 20.09.2019 के आलोक में कुल ₹26,05,62,000.00 (छब्बीस करोड़ पाँच लाख बासठ हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प-4046 दिनांक 25.07.2018 के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 19(स्वी०) दिनांक 20.09.2019 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में नियोजन प्रकियागत जिलों के संविदा/मानदेय आधारित तकनीकी सहायकों को ₹27,000.00 (सत्ताईस हजार रूपये) प्रति माह की दर से **छः** माह के लिए संलग्न विवरणी अनुलग्नक-'क' के अनुरूप **₹12,00,42,000.00 (बारह करोड़ बयालीस हजार रूपये)** मात्र तथा लेखापाल-सह-आई०टी० सहायक का मानदेय ₹20,000.00 (बीस हजार रूपये) प्रति माह की दर से छः माह के लिए विवरणी अनुलग्नक-'ख' के अनुरूप **₹14,05,20,000.00 (चौदह करोड़ पाँच लाख बीस हजार रूपये)** मात्र अर्थात **कुल ₹26,05,62,000.00 (छब्बीस करोड़ पाँच लाख बासठ हजार रूपये)** मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में तकनीकी सहायकों के मानदेय हेतु स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक-'क' के अनुरूप **₹12,00,42,000.00 (बारह करोड़ बयालीस हजार रूपये)** मात्र तथा लेखापाल-सह-आई०टी० सहायक के मानदेय हेतु स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक-'ख' के अनुरूप **₹14,05,20,000.00 (चौदह करोड़ पाँच लाख बीस हजार रूपये)** मात्र अर्थात कुल **₹26,05,62,000.00 (छब्बीस करोड़ पाँच लाख बासठ हजार रूपये)** मात्र की राशि का आवंटित की जाती है।

3. **इस आवंटित राशि की निकासी** "मुख्य शीर्ष--2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0113-मुख्यमंत्री निश्चय योजना" के "विषय शीर्ष--0113.31.05-सहायक

-- लगातार --

अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण" से वित्तीय वर्ष 2019–20 में की जायेगी। इसकी माँग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2515001980113 है।

4. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16-2515001980113) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।

5. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार होंगे।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 एवं 6786 दिनांक 19.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

25.9.19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

लगातार--

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\State Scheme\7 Nishchay\Letter.docx

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017/518(अ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 26/09/2019
प्रतिलिपिःमहालेखाकार (लेखा एवं हक०) , वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रशाखा–03,06(लेखा) एवं 05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांक) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत प्रेषित।

26/9/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017/518(अ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 26/09/2019
प्रतिलिपि :आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/9/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2019/ 49(आ0)../पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

प्रभारी प्राचार्य,
मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक 26/09/2019

विषय : वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–003–प्रशिक्षण–उपशीर्ष–0001–कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत" मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु इकाईवार **कुल ₹22,40,000.00 (बाईस लाख चालीस हजार रूपये)** मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :–

संस्थान का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन					
		वेतन 0001.01.01	जी० या० भत्ता 0001.01.03	मकान भत्ता 0001.01.04	प० भत्ता 0001.01.05	चि० भत्ता 0001.01.06	योग (राशि ₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8
मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर	प्रभारी प्राचार्य, मुजफ्फरपुर	1800000.00	216000.00	144000.00	50000.00	30000.00	2240000.(

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 23 दिनांक 23.01.2019** द्वारा नामित संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों के **प्रभारी प्राचार्य होंगे,** जो राशि की निकासी **संबंधित जिला कोषागार** से करेंगे।

4. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना वाद सं0–3905/2018 विनोद कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 29.08.2019 को पारित न्यायादेश एवं विभागीय कार्यालय आदेश सं0–175–सह–पठित ज्ञापांक–6122 दिनांक 25.09.2019 के आलोक में सर्वप्रथम भुगतान करेंगे। सर्वप्रथम इस आवंटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Commt Exp\Prakshian Sansthan\Letter.docx

अनुपालन में बकाये वेतन आदि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक है, तो उसका भुगतान किया जाये। तत्पश्चात अवशेष राशि से नियमित वेतन का भुगतान किया जाये। यदि इसके बाद भी राशि अवशेष रहती है, तो नियमानुसार बकाया वेतन की निकासी की जा सकती है।

5. आवंटित राशि का भुगतान नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय मे लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी अगले माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

11. इस आवंटन आदेश तथा विवरणी के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12 इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या 16–2515000030001 है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एव ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

26/9/19 26/9/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2019/491(अ०) /पं०रा० पटना, दिनांक 26/09/20

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/ जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/9/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Commt Exp\Prakshian Sansthan\Letter.docx

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2019/49(आ0)/पं०रा० पटना, दिनांक 26/08
प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/9/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Comm Exp\Prakshan Sansthan\Letter docx

अत्यावश्यक
ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/5064/12 पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
नवादा।

पटना, दिनांक 01/10/201

विषय : स्व० अरूण कुमार सिंह, ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड न०–13, पंचायत–खखरी, प्रखण्ड–काशीचक, जिला–नवादा, की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला पदाधिकारी, नवादा के कार्यालय पत्रांक संख्या 894 दिनांक 31.08.2019 द्वारा स्व० अरूण कुमार सिंह, ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड न०–13, पंचायत–खखरी, प्रखण्ड–काशीचक, जिला–नवादा, की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 एवं जिला पदाधिकारी, नवादा का पत्रांक संख्या–894 दिनांक 31.08.2019 के आलोक में जिला पदाधिकारी, नवादा को कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु आवंटित की जाती है।**

3. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य स्कीम अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0101–मुख्यालय पंचायत की स्थापना"** मद के विषय शीर्ष **'0101.37.01–अनुग्रह अनुदान'** से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं विपत्र कोड संख्या **16–2515000010101** है।

4. **इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16–2515000010101) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।**

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 289 दिनांक 28.03.2018, 354 दिनांक 28.03.2018 एवं 3244 दिनांक 04.05.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **जिला पदाधिकारी, नवादा** होंगे जो राशि की निकासी **जिला कोषागार, नवादा** से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\P 2515000010101\Letter.docx

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

01/X/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/ 50(3/B) पं०रा० पटना, दिनांक 01/10/2019

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, नवादा/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा/प्रभारी पदाधिकारी–08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/X/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/ 50(3/B) पं०रा० पटना, दिनांक 01/10/2019

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1/X/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2019/ 51(आ.नि.)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

प्रभारी प्राचार्य,
मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान पटना, गया, सारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णियाँ एवं मुंगेर।

पटना, दिनांक 04/10/2019

विषय : **वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–003–प्रशिक्षण–उपशीर्ष–0001--कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत" मद में राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाईवार अंकित कुल **₹84,22,500.00 (चौरासी लाख बाईस हजार पाँच सौ रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम- 4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 एवं 6786 दिनांक 19.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों के **प्रभारी प्राचार्य होंगे**, जो राशि की निकासी **संबंधित जिला कोषागार** से करेंगें।

4. **सर्वप्रथम इस आवंटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाये वेतन आदि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक है, तो उसका भुगतान किया जाये। तत्पश्चात अवशेष राशि से नियमित वेतन का भुगतान किया जाये। यदि इसके बाद भी राशि अवशेष रहती है, तो नियमानुसार बकाया वेतन की निकासी की जा सकती है।**

5. आवंटित राशि का भुगतान नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या

अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी अगले माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

11. इस आवंटन आदेश तथा विवरणी के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या 16–2515000030001 है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

5/10/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2019/ 51(अ.)/पं०रा० पटना, दिनांक 5/10/
प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

5/10/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2019/ 51(अ.)/पं०रा० पटना, दिनांक 5/10/
प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

5/10/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Commt Exp\Prakshian Sansthan\Letter.docx

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–003–प्रशिक्षण–उपशीर्ष–0001–कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क) पंचायत" मद में राशि का आवंटन विवरणी।

क्र०	संस्थान का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन						यात्रा व्यय 0001.11.01	कार्यालय व्यय 0001.13.01	विद्युत प्रभार 0001.13.04	किराया महसूल एवं कर 0001.14.01	कुल योग
			वेतन 0001.01.01	जी० या० भत्ता 0001.01.03	मकान भत्ता 0001.01.04	प० भत्ता 0001.01.05	चि० भत्ता 0001.01.06	योग					
1	2	,3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, पटना	प्रभारी प्राचार्य, पटना	800000.00	96000.00	140000.00	60000.00	15000.00	1111000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	₹ 1151000.00
2	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, गया	प्रभारी प्राचार्य, गया	1725000.00	276000.00	138000.00	69000.00	34500.00	2242500.00	0.00	56000.00	0.00	60000.00	₹ 2358500.00
3	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, सारण	प्रभारी प्राचार्य, सारण	1000000.00	150000.00	76000.00	38000.00	19000.00	1283000.00	0.00	56000.00	0.00	0.00	₹ 1339000.00
4	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर	प्रभारी प्राचार्य, मुजफ्फरपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24000.00	56000.00	0.00	0.00	₹ 80000.00
5	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, भागलपुर	प्रभारी प्राचार्य, भागलपुर	400000.00	48000.00	32000.00	16000.00	4000.00	500000.00	0.00	56000.00	0.00	0.00	₹ 556000.00
6	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, दरभंगा	प्रभारी प्राचार्य, दरभंगा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55000.00	10000.00	140000.00	₹ 205000.00
7	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, सहरसा	प्रभारी प्राचार्य, सहरसा	700000.00	84000.00	56000.00	28000.00	7000.00	875000.00	0.00	55000.00	0.00	0.00	₹ 930000.00
8	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, पूर्णिया	प्रभारी प्राचार्य, पूर्णिया	300000.00	50000.00	50000.00	50000.00	8000.00	458000.00	0.00	55000.00	0.00	0.00	₹ 513000.00
9	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, मुंगेर	प्रभारी प्राचार्य, मुंगेर	1000000.00	120000.00	80000.00	40000.00	10000.00	1250000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	₹ 1290000.00
	कुल योग		5925000.00	824000.00	572000.00	301000.00	97500.00	7719500.00	24000.00	469000.00	10000.00	200000.00	₹ 8422500.00

चौरासी लाख बाईस हजार पाँच सौ रूपये मात्र :

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2019/ 52(अनु०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), अरवल।

पटना, दिनांक 04/10/2019

विषय : पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के अवसर पर कराये गये कर्यो का बकाया भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के अवसर पर कराये गये कर्यों का बकाया भुगतान हेतु **कुल ₹43,15,338.00 (तैतालीस लाख पन्द्रह हजार तीन सौ अड़तीस रूपये) मात्र की राशि** वित्तीय वर्ष 2019–20 में आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), अरवल** होंगे।

3. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के **"मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–उपशीर्ष–0002–जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव"** अंतर्गत विषय शीर्ष "0002.13.01–कार्यालय व्यय" इकाई से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड 16–2015001090002** है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 एवं 6786 दिनांक 19.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस आवंटित राशि की निकासी **जिला कोषागार, अरवल** से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

5/10/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय--01--06/2019/52(अनु)/ पं०रा० पटना, दिनांक 4/10/
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/ सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रशाखा--5 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/10/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय--01--06/2019/52(अनु)/ पं०रा० पटना, दिनांक 4/10/
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5/10/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

अत्यावश्यक / अविलम्ब
ई मेल / स्पीड पोस्ट

पत्रांक—5प / गैर योजना- 01--10 / 2016 / 53 (अनु) पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 31.10.19

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 24(स्वी०) दिनांक 31.10.2019 द्वारा स्वीकृत कुल ₹2837.35 करोड़ (अट्ठाईस अरब सैंतीस करोड़ पैंतीस लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 24(स्वी०) दिनांक 31.10.2019 द्वारा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2019--20 में भारत सरकार से प्राप्त बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की द्वितीय किस्त कुल ₹2837.35 करोड़ (अट्ठाईस अरब सैंतीस करोड़ पैंतीस लाख रूपये) मात्र की राशि उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक--A (राज्य के सभी 8386 ग्राम पंचायतों हेतु) के अनुसार वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में **कुल ₹2837.35 करोड़ (अट्ठाईस अरब सैंतीस करोड़ पैंतीस लाख रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019--20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष--2515--अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- उपमुख्य शीर्ष--00--लघु शीर्ष- 198- ग्राम पंचायतों को सहायता -उपशीर्ष--0001--पंचायत राज संस्थाओं को सहायता"** मद के विषय शीर्ष **"0001.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन"** से की जायेगी। इसकी मांग **संख्या 16** एवं विपत्र कोड **16--2515001980001** है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से राशि की निकासी कर 14वें वित्त आयोग से संबंधित एच०डी०एफ०सी० बैंक, एक्जीबिशन रोड, पटना, बिहार (HDFC Bank, Exhibition Road, Patna, Bihar) में संधारित विभागीय खाता संख्या 50100188126888 में राशि अंतरित करते हुए PFMS के माध्यम से **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 24(स्वी०) दिनांक 31.10.2019** के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक--A (राज्य के सभी 8386 ग्राम पंचायतों हेतु) के स्तम्भ 8 एवं 9 के अनुरूप कुल बुनियादी अनुदान का 80% राशि मुख्यमंत्री निश्चय योजना एवं 20% राशि 14वें वित्त आयोग के बैंक खातों में अंतरित करायेंगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम- 4--05 / 98--2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 एवं 6786 दिनांक 19.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य

शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, पूर्व की आवंटित राशि का अंकेक्षित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा ग्राम पंचायतों के राजस्व के प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण) द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

31/10/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/गैर योजना–01–10/2016/ 53 (अनु०) पं०रा० पटना, दिनांक 31.10.19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, बिहार, पटना/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/प्रभारी पदाधिकारी–03, 04 एवं 06, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/10/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/गैर योजना–01–10/2016/ 53 (अनु०) पं०रा० पटना, दिनांक 31.10.19

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31/10/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

पत्रांकः 5प / राज्य स्कीम–02- 13 / 2017 / 5५ (अनु) पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

उप सचिव–सह–निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांकः 31.10.19

विषयः **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 21(स्वी०) दिनांक 24.10.2019 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल ₹550.00 करोड़ (पाँच अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या **21(स्वी०) दिनांक 24.10.2019** द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य स्कीम मद से "मुख्यमंत्री निश्चय योजना" अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु **कुल ₹550.00 करोड़ (पाँच अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र की राशि** उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी 'अनुलग्नक–A' के अनुसार राज्य के 3982 (तीन हजार नौ सौ बयासी) ग्राम पंचायतों में वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल ₹550.00 करोड़ (पाँच अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु मांग संख्या–16 अंतर्गत राज्य स्कीम मद से निम्नरूपेण की जायेगीः–

क्र०	योजना शीर्ष	राशि (करोड़ में)
1	"मुख्य शीर्ष 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 198 ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष 0113 मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड 16-2515001980113 विषय शीर्ष 0113.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण।	398.0745
2	"मुख्य शीर्ष 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उपशीर्ष 0112 मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड 16-2515007890112 विषय शीर्ष 0112.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण।	141.4195
3	"मुख्य शीर्ष 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना उपशीर्ष 0119 मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड 16-2515007960119 विषय शीर्ष 0119.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण।	10.506
	कुल (पाँच अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र	550.00

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से करेंगे एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या **21(स्वी०) दिनांक 24.10.2019** के साथ संलग्न विवरणी 'अनुलग्नक–A' के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के मुख्यमंत्री निश्चय योजना के बैंक खातों में CFMS Portal के माध्यम से अंतरित करायेंगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 एवं 6786 दिनांक 19.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को इस स्वीकृत एवं आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र मे उपलब्ध करायेंगे।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

31/10/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017/554(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 31.10.19

प्रतिलिपि: महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/~~सभी जिला~~ पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/10/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम--02-13/2017/54 (अनु) पं०रा० पटना, दिनांक 31.10.19

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31/10/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

अत्यावश्यक
ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/55(अनु0)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
भोजपुर।

पटना, दिनांक 05/11/2019

विषय : स्व० अरूण कुमार सिंह, मुखिया, ग्राम पंचायत– बराप, प्रखंड– गड़हनी, जिला– भोजपुर, की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला पदाधिकारी, भोजपुर के कार्यालय पत्रांक संख्या 1475 दिनांक 16.10.2019 द्वारा स्व० अरूण कुमार सिंह, मुखिया, ग्राम पंचायत– बराप, प्रखंड– गड़हनी, जिला– भोजपुर, की मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 एवं जिला पदाधिकारी, भोजपुर का पत्रांक संख्या–1475 दिनांक 16.10.2019 के आलोक में जिला पदाधिकारी, भोजपुर को कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **जिला पदाधिकारी, भोजपुर** होंगे जो राशि की निकासी **जिला कोषागार, भोजपुर** से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. **इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16–2515000010101) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।**

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य स्कीम अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0101–मुख्यालय पंचायत की स्थापना"** मद के विषय शीर्ष **'0101.37.01–अनुग्रह अनुदान'** से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या **16–2515000010101** है।

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\P 2515000010101\Letter.docx

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

05/11/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/55(अ10)/पं०रा० पटना, दिनांक 05/11/2019

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर/प्रभारी पदाधिकारी–08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/11/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/55(अ10)पं०रा० पटना, दिनांक 05/11/2019

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05/11/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\WS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\P 2515000010101\Letter.doc

पत्रांकः 5प / राज्य स्कीम–02–11 / 2017 / 56(आठ) / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी
पटना, मुजफ्फरपुर एवं शिवहर।

पटना, दिनांक 05/11/2019

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश 22(स्वी०) दिनांक 24.10.2019 द्वारा स्वीकृत कुल ₹6,11,043.00 (छह लाख ग्यारह हजार तैतालीस रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या **22(स्वी०) दिनांक 24.10.2019** द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय में अनुबंध/संविदा पर कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक के पारिश्रमिक/मानदेय भुगतान हेतु कुल ₹6,11,043.00 (छह लाख ग्यारह हजार तैतालीस रूपये) मात्र की राशि को निम्नलिखित विवरणी के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है:–

क्र०	कार्यालय का नाम	स्वीकृत राशि (रूपये में)	
1	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना	240149.00	दो लाख चालीस एक सौ उनचास रूपये मात्र
2	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	229606.00	दो लाख उनतीस हजा छह सौ छह रूपये मात्र
3	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर	141288.00	एक लाख इकतालीस हजार दो सौ अट्ठासी रूपये मात्र
	कुल	**611043.00**	छह लाख ग्यारह हजार तैतालीस रूपये मात्र

3. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में उपर्युक्त विवरणी के अनुरूप **कुल ₹6,11,043.00 (छह लाख ग्यारह हजार तैतालीस रूपये) मात्र की राशि** वित्तीय वर्ष 2019–20 में आवंटित की जाती है।

3. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी** होगें, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी **वित्तीय वर्ष 2019–20** में **मांग संख्या 16** के राज्य स्कीम अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0102 -जिला पंचायत की स्थापना"** मद व विषय शीर्ष **'0102.28.02 संविदा सेवाएँ'** इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड **16–2515000010102** है।

5. सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे अपने **CFMS Office** में उक्त **Head Of Account** (विपत्र कोड 16–2515000010102) को यथाशीघ्र **Map/Tag** कर लें ताकि **CFMS** द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\State Scheme\P 2515000010102\Letter.docx

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम--4-05/98--2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 एवं 6786 दिनांक 19.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वितीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय--समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

05/11/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम--02--11/2017/56(अ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 05/11/2019

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा--06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/11/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम--02--11/2017/56(अ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 05/11/2019

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05/11/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019 20\State Scheme\P 2515000010107\Letter.docx

पत्रांकः 5प / स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01- 06 / 2019 / ...5...7(स्था) पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), औरंगाबाद।

पटना, दिनांक 21.11.2019

विषय : पंचायत आम निर्वाचन, 2011 के अवसर पर कराये गये कार्यों का बकाया भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2011 के अवसर पर कराये गये कार्यों का बकाया भुगतान हेतु **कुल ₹20,41,362.00 (बीस लाख इकतालीस हजार तीन सौ बासठ रूपये) मात्र की राशि** वित्तीय वर्ष 2019--20 में आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), औरंगाबाद** होंगे।

3. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के **"मुख्य शीर्ष--2015--निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00--लघुशीर्ष–109–पंचायतों / स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार--उपशीर्ष–0002–जिला परिषदों / पंचायत समितियों / ग्राम पंचायतों का चुनाव"** अंतर्गत विषय शीर्ष **"0002.13.01–कार्यालय व्यय"** इकाई से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड 16–2015001090002** है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05 / 98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 एवं 6786 दिनांक 19.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस आवंटित राशि की निकासी **जिला कोषागार, औरंगाबाद** से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष / लघुशीर्ष / उपशीर्ष / प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019 20\Estb & Comm. Exp\Election\Letter.docx

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
19/11/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01 06/2019/ 57 (अ) पं०रा० पटना, दिनांक 21/11/19
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रशाखा–5 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2019/ 57 (अ) पं०रा० पटना, दिनांक 21/11/19
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/11/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

पत्रांकः 5प / राज्य स्कीम-02-01 / 2018 / 58(आर)/ पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
गया, नवादा, अरवल, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, बाँका, दरभंगा, किशनगंज, कटिहार, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय एवं सुपौल।

पटना, दिनांक ....

विषय : **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 23(स्वी०) दिनांक 30.10.2019 द्वारा स्वीकृत कुल ₹2,05,00,000.00 (दो करोड़ पाँच लाख रूपये) मात्र राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय **स्वीकृत्यादेश संख्या 23(स्वी०) दिनांक 30.10.2019** द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्ण 42 नवनिर्मित पंचायत सरकार भवनों (उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुलग्नक-'क' के अनुरूप) में से 41 पंचायत भवनों के रख रखाव एवं प्रशासनिक व्यय/उपस्कर क्रय हेतु ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि प्रति ग्राम पंचायत की दर से कुल **₹2,05,00,000.00 (दो करोड़ पाँच लाख रूपये)** मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश 23(स्वी०) दिनांक 30.10.2019 के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक-'क' के अनुरूप कुल ₹2,05,00,000.00 (दो करोड़ पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटित की जाती है।**

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 एवं 6786 दिनांक 19.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य स्कीम के **"मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय-उपशीर्ष-0114- ग्राम पंचायतों के विभिन्न मदों हेतु"** मद अंतर्गत **'0114.31. 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन'** इकाई से किया जायेगा। **इसकी मांग संख्या-16** एवं विपत्र कोड संख्या **16-2515008000114** है।

5. इस आवंटित राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी** होंगे, जो राशि की निकासी विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 23(स्वी०) दिनांक 30.10.2019 एवं बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में **संबंधित जिला कोषागार** से करेंगे। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. आवंटित राशि की व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण) द्वारा हस्ताक्षरित है।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-01/2018/58(अनु) पं०रा० पटना, दिनांक 28/11/2019

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा 02, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\State Scheme\...

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–01/2018/5869 पं०रा० पटना, दिनांक 28/11/2019

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/11/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\State Scheme\P 2515008000114\Letter.docx

पत्रांकः 5प / स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 05 / 2019 / 59(अनु0) / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

उप विकास आयुक्त, गया, सारण, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, सहरसा, पूर्णियाँ, कटिहार एवं खगड़िया।
प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज, गया, सारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा एवं सहरसा।
जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना, भोजपुर, नालन्दा, औरंगाबाद, अरवल, सीतामढ़ी, सारण, सहरसा वैशाली, अररिया, मुंगेर, जमुई, खगड़ीया एवं लखीसराय।

पटना, दिनांक 10/12/201

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष 0003 -जिला पंचायत की स्थापना" मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019 20 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी 1 के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाईवार अंकित **कुल ₹3,13,33,300.00 (तीन करोड़ तेरह लाख तैंतीस हजार तीन सौ रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम 4 05 / 98 2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 एवं 6786 दिनांक 19.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. उप विकास आयुक्त कार्यालय स्थापना मद में आवंटित राशि से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत जिला अभियंता, यदि किसी जिला परिषद् में हैं, तो उनके वेतनादि का भुगतान भी इस आवंटित राशि से किया जायेगा।

4. **"सर्वप्रथम इस आवंटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाये वेतन आदि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक है, तो उसका भुगतान किया जाये। तत्पश्चात अवशेष राशि से नियमित वेतन का भुगतान किया जाये। यदि इसके बाद भी राशि अवशेष रहती है, तो नियमानुसार बकाया वेतन की निकासी की जा सकती है"।**

5. इस आवंटित राशि का भुगतान नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार / जिला कोषागार से की जायेगी।

6. संलग्न विवरणी की क्र० 24 में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक 1531 दिनांक 23.10.2019, क्र० 25 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 6603 दिनांक 18.10.2019

एवं 7117 दिनांक 06.11.2019 तथा क्र० 30 में जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक 884 दिनांक 11.11.2019 के आलोक में चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु राशि आवंटित है।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. **आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये। व्यय न होने पर शून्य व्यय विवरणी भेजी जाये।**

12. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

14. इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड संख्या 16 -2515000010003** है।

15. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

9/12/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-05/2018/57(अनु) पं०रा० पटना, दिनांक 10/12/

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

9/12/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-05/2017/57(अनु) पं०रा० पटना, दिनांक 10/12/

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

9/12/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Commt Exp\Zila Panchayat 2019-20\Letter.docx

1

विवरणी—1

पंचायती राज विभाग

वित्तीय वर्ष 2019—20 में स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष—2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—उपमुख्य शीर्ष—00—लघु शीर्ष—001—निदेशन तथा प्रशासन—उपशीर्ष—0003—जिला पंचायत की स्थापना" मद में व्यय हेतु राशि (रूपये में) का आवंटन विवरणी।

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन						अन्य भत्ता 0003.01.07	चि० प्रतिपूर्ति 0003.06.01	वर्दी / पोशाक 0003 13.06	भाड़े की गाड़ी का भुगतान 0003.13.10	संविदा सेवाएँ 0003.28.02	योग
		वेतन 0003.01.01	जी०या०भत्ता 0003.01.03	म०भत्ता 0003.01.04	प०भत्ता 0003.01.05	चि०भत्ता 0003.01.06	कुल						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	उप विकास आयुक्त कार्यालय स्थापना हेतु												
1	उप विकास आयुक्त, गया	800000	136000	64000	22000	32000	1054000	—	—	—		—	₹ 1054000
2	उप विकास आयुक्त, सारण	800000	136000	64000	22000	32000	1054000	—	—	—	—	—	₹ 1054000
3	उप विकास आयुक्त, गोपालगंज	800000	136000	64000	22000	32000	1054000	—	—	—	—	—	₹ 1054000
4	उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण	0	0	0	0	0	0	—	—	—		350000	₹ 350000
5	उप विकास आयुक्त, मधुबनी	700000	119000	56000	14000	12000	901000	—	—	—	—	—	₹ 901000
6	उप विकास आयुक्त, सहरसा	900000	153000	72000	17000	18000	1160000	—	—	—	—	—	₹ 1160000
7	उप विकास आयुक्त, पूर्णिया	1057300	130000	120000	0	4800	1312100	—	—	—	—	—	₹ 1312100
8	उप विकास आयुक्त, कटिहार	1500000	255000	120000	29000	4800	1908800	—	—	—	—	—	₹ 1908800
9	उप विकास आयुक्त, खगड़िया	700000	119000	56000	14000	12000	901000	—	—	—	—	—	₹ 901000
	कुल	7257300	1184000	616000	140000	147600	9344900	0	0	0	0	350000	0 9694900
	प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज कार्यालय स्थापना हेतु												
10	उप निदेशक, पंचायत राज, गया	—	1500	12000	4000	4800	22300	—	—	—	—	—	₹ 22300
11	उप निदेशक, पंचायत राज, सारण	200000	24000	8000	3000	4800	239800	—	—	—	—	—	₹ 239800
12	उप निदेशक, पंचायत राज, मुजफ्फरपुर	2000000	340000	160000	38000	18000	2556000	—	—	10000	—	—	₹ 2566000
13	उप निदेशक, पंचायत राज, भागलपुर	1000000	170000	80000	27000	18000	1295000	—	—	—	—	—	₹ 1295000
14	उप निदेशक, पंचायत राज, दरभंगा	—	—	—			0	—	—	—	—	340000	₹ 340000
15	उप निदेशक, पंचायत राज, सहरसा	—	—	60000		—	60000		—	10000	200000	—	₹ 270000

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन 0003.01.01	जी०या०भत्ता 0003.01.03	म०भत्ता 0003.01.04	प०भत्ता 0003.01.05	चि०भत्ता 0003.01.06	कुल	अन्य भत्ता 0003.01.07	चि० प्रतिपूर्ति 0003.06.01	वर्दी / पोशाक 0003.13.06	भाड़े की गाड़ी का भुगतान 0003.13.10	संविदा सेवाएँ 0003.28.02	यो०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	जिला पंचायत राज पदाधिकारी कार्यालय स्थापना हेतु												
16	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना	—	—	—	—	—	0	—	—	—	1000000	—	₹ 1000000
17	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद	—	—	—	—	—	0	—	—	—	300000	—	₹ 360000
18	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	250000	₹ 250000
19	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी	270000	220000	50000	20000	10000	570000	—	—	—	—	—	₹ 570000
20	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा	270000	220000	50000	20000	10000	570000	—	—	15000	—	—	₹ 585000
21	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर	700000	119000	56000	13300	12000	900300	—	—	—	—	—	₹ 900300
22	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जमुई	1000000	170000	80000	27000	18000	1295000	—	—	—	—	—	₹ 1295000
23	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया	1000000	170000	80000	27000	18000	1295000	—	—	—	—	—	₹ 1295000
	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल हेतु												
24	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर	—	—	—	—	—	0	—	370000	—	—	250000	₹ 620000
25	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालन्दा	—	—	—	—	—	0	—	540000	—	—	—	₹ 540000
26	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पं० चम्पारण	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	630000	630000
27	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण	3300000	810000	330000	0	0	4440000	—	—	—	—	—	₹ 4440000
28	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	2000000	₹ 2000000
29	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	2100000	₹ 2100000
30	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय	—	—	—	—	—	0	—	380000	—	—	—	₹ 380000
	सकल कुल	16997300	3428500	1582000	319300	261200	22588300	0	1290000	35000	1500000	5920000	₹ 31333300

कुल: तीन करोड़ तेरह लाख तैंतीस हजार तीन सौ रुपये मात्र

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Comm Exp Zila Panchayat 2019-20 Zila Panchayat 15

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम 02 13/2017/6019 पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

उप सचिव सह निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांकः 16/12/2019

विषयः **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 25(स्वी०) दिनांक 28.11.2019 के आलोक में कुल ₹51,630.00 (इक्कयावन हजार छह सौ तीस रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 25(स्वी०) **दिनांक 28.11.2019** द्वारा पंचायती राज विभाग के तकनीकी कोषांग द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में सीवान जिला अंतर्गत मैरवा एवं जीरादेई प्रखंड के निरीक्षणोपरांत विभिन्न व्यासों के कुल 10 (दस) HDPE पाईप के नमूनों की जाँच हेतु ₹5,163.00/ प्रति पाईप (Sample) के आधार पर 10 (दस) पाईप (Sample) के लिए कुल **₹51,6[illegible] (इक्कयावन हजार छह सौ तीस रूपये) मात्र की राशि** के भुगतान की स्वीकृ[illegible] की प्रदान की गई है।

2. **उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के अनुरूप कुल ₹51,630.00 (इक्कयावन हजार छह सौ तीस रूपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2019 20 में आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी "मुख्य शीर्ष 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 198 ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष 0113 मुख्यमंत्री निश्चय योजना" के "विषय शीर्ष 0113.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण" से वित्तीय वर्ष 2019 20 में की जायेगी। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2515001980113 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो आवंटित राशि को सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार पटना से निकासी करते हुए CFMS के माध्यम से CIPET, हाजीपुर को उपलब्ध करायेंगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम 4 05/98 2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 एवं 6786 दिनांक 19.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

10/12/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 54/राज्य स्कीम-02-13/2017/60(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 16/12/2019

प्रतिलिपि: महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ निदेशक, CIPET, हाजीपुर /प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा 03 एवं 06(लेखा), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/12/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 54/राज्य स्कीम-02-13/2017/60(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 16/12/2019

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/12/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01 05/2019/ 61 (अनु०) /पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
सुपौल।

पटना, दिनांक 23/12/2019

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- उपमुख्य शीर्ष-00–लघुशीर्ष–001-निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष-0003–जिला पंचायत की स्थापना" मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत विषय शीर्ष 0003.01.01- वेतन से वित्तीय वर्ष 2019-20 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC संख्या 13826/2003 में दिनांक 12.12.2005 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री गणेश प्रसाद यादव के बकाये वेतनादि के भुगतान हेतु **कुल ₹2,96,941.00 (दो लाख छियानवें हजार नौ सौ इकतालीस रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 एवं 6786 दिनांक 19.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. **यह आवंटनादेश CWJC संख्या 13826/2003 में दिनांक 12.12.2005 को पारित न्यायादेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। इसे किसी भी अन्य मामले में पूर्वोदाहरण के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकेगा।**

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल होंगे। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार/जिला कोषागार से की जायेगी।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Commit Exp\Zila Panchayat 2019-20\Letter.docx

8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. **आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये। व्यय न होने पर शून्य व्यय विवरणी भेजी जाये।**

10. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड संख्या 16--2515000010003** है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

23/12/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-05/2018/61(अनु)/पं०रा० पटना, दिनांक 23/12/
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सुपौल/जिला कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

23/12/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-05/2017/61(अनु)/पं०रा० पटना, दिनांक 23/12/
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

23/12/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Commt Exp\Zila Panchayat 2019-20\Letter.docx

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 03/2019/62 (अनु)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी सह
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 15/01/20

विषय : वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय "मुख्य शीर्ष—2015 निर्वाचन—उपमुख्य शीर्ष—00—लघुशीर्ष—101—निर्वाचन आयोग उपशीर्ष 0001 राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज)" मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत विषय शीर्ष 0001.28.02 संविदा सेवाएँ मद में **कुल ₹15,00,000.00 (पन्द्रह लाख रूपये) मात्र की राशि** वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम 4 05/98 2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 एवं 6786 दिनांक 19.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. आवंटित की जा रही राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना** होंगे। इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

6

8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

10. आवंटन प्रस्ताव एव प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड संख्या 16 2015001010001** है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन।

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 03/2019/62(अ)/पं०रा० पटना, दिनांक 15/01/20
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 03/2019/62(अ)/पं०रा० पटना, दिनांक 15/01/20
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Commt Exp\Nirwachan Aayog\Letter.docx

पत्रांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 08/2018/ 63(3019)/ प०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी सह
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
गोपालगंज।

पटना, दिनांक 15/1/20

विषय : **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 26(स्वी०) दिनांक 18.12.2019 द्वारा स्वीकृत कुल ₹10.00 लाख (दस लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 26(स्वी०) दिनांक 18.12.2019 द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के अवसर पर कर्तव्य के दौरान स्व० मो० सालिक, सहायक शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, गोपालगंज की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को **₹10.00 लाख (दस लाख रूपया) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि** स्वीकृती प्रदान की गई है। उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल ₹10.00 लाख (दस लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **जिला पदाधिकारी सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), गोपालगंज** होंगे।

3. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के **"मुख्य शीर्ष 2015-निर्वाचन उपमुख्य शीर्ष 00-लघुशीर्ष 109-पंचायतों/ स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार उपशीर्ष-0002-जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव"** अंतर्गत विषय शीर्ष **"0002.37.01 अनुग्रह अनुदान"** इकाई से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड 16 2015001090002** है।

4. **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि संबंधित जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।**

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम 4 05/98 2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 एवं 6786 दिनांक 19.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Commt Exp\Election\Letter.docx

7. इस आवंटित राशि की निकासी **जिला कोषागार, गोपालगंज** से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/ उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 08/2018/63 (अनु) पं०रा० पटना, दिनांक 15/1/2...
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रभारी प्रशाखा 05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 08/2018/63 (अनु)/पं०रा० पटना, दिनांक 15/1/2...
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019 20\Estb & Commt Exp\Election\Letter.docx

पत्रांक: 5प / स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय- 01 06 / 2019 / 64(अ॰) / पं॰रा॰

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी सह
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 15/1/20

विषय : **पंचायत उप निर्वाचन, 2020 के संचालन एवं इस निमित्त मतदान सामग्रियो के क्रय हेतु राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि पंचायत उप निर्वाचन, 2020 के संचालन एव इस निमित्त मतदान सामग्रियों के क्रय हेतु कुल **₹10.00 लाख (दस लाख रूपया)** मात्र **की राशि** वित्तीय वर्ष 2019 20 में आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना होंगे। इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

3. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के **"मुख्य शीर्ष—2015—निर्वाचन उपमुख्य शीर्ष—00—लघुशीर्ष 109—पंचायतों / स्थानीय निकायो को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार—उपशीर्ष—0002 जिला परिषदों / पंचायत समितियों / ग्राम पंचायतों का चुनाव"** अंतर्गत विषय शीर्ष **"0002.13.01 कार्यालय व्यय"** इकाई से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड 16 2015001090002** है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम 4 05/98 2561 वि(2) दि॰ 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 एवं 6786 दिनांक 19.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष / लघुशीर्ष / उपशीर्ष / प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019 20\Estb & Commit Exp\Election\Letter.docx

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

13/1/2019

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 06/2019/ 64(अनु) पं०रा० पटना, दिनांक 15/1/

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रशाखा 5 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/1/2019

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 06/2019/ 64(अनु)/ पं०रा० पटना, दिनांक 15/1/2

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/1/2019

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

अत्यावश्यक
ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–09/2017/...65(अ0)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
भोजपुर, सारण, जहानाबाद, मधुबनी, खगड़िया एवं कटिहार।

पटना, दिनांक 22/01/2020

विषय : वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुग्रह अनुदान की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018** द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद् सदस्य पंचायत समिति के प्रमुख/उप–प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य ग्राम पंचायत के **मुखिया**/उप–मुखिया एवं **ग्राम पंचायत सदस्य** तथा ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच एवं **ग्राम कचहरी सदस्य (पंच)** को निर्वाचित होने की तिथि से पद पर बने रहने तक के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में हुई मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की राशि 5,00,000.00 (पांच लाख रूपये) मात्र की राशि का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान किये जाने का स्वीकृति प्राधिकार संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी को बनाया गया है।

2. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में जिला पदाधिकारी, भोजपुर, सारण (छपरा), जहानाबाद, मधुबनी, खगड़िया एवं कटिहार द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि आवंटित किये जाने की अनुशंसा के आलोक में कुल ₹40,00,000.00 (चालीस लाख रूपये) व्यय हेतु आवंटित की जाती है।

राशि रूपया में

क्र० स०	जिला का नाम	जिला पदाधिकारी की अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	अनुग्रह अनुदान प्राप्त करने वाले की विवरण	अनुग्रह अनुदान की स्वीकृत राशि
1	भोजपुर	पत्रांक–1681 दिनांक–18.11.2019	स्व० मन्नी कुमार, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम–छोटा कल्याणपुर, पो०– भेलाई, ग्राम पंचायत– एकौना, प्रखंड– उदवंतनगर	5,00,000.00

2	सारण (छपरा)	पत्रांक—2081 दिनांक—18.11.2019	स्व० दिलीप माँझी, मुखिया ग्राम— मीरा मुसेहरी, ग्राम पंचायत— तेनुआ, प्रखंड— सदर छपरा	5,00,000.00
3	जहानाबाद	पत्रांक—1436 दिनांक—20.11.2019	स्व० सत्यनारायण दास, ग्राम कचहरी पंच ग्राम+पोस्ट— कसवाँ, प्रखंड— रतनी फरीदपुर	5,00,000.00
4	मधुबनी	पत्रांक—1529 दिनांक—21.11.2019	स्व० रामावतार यादव, ग्राम कचहरी पंच, ग्राम— फुलपरास, ग्राम पंचायत— फुलपरास, प्रखंड— फुलपरास,	5,00,000.00
5	खगड़िया	पत्रांक—1015 दिनांक—21.11.2019	स्व० सुप्रिया भारती, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम— आदावारी, ग्राम पंचायत— नीरपुर, पो०— केशवनगर, प्रखंड— चौथम	5,00,000.00
6	खगड़िया	पत्रांक—1015 दिनांक—21.11.2019	स्व० मेघु चौरसिया, ग्राम कचहरी पंच, ग्राम— महेशखूँट पवारी, ग्राम पंचायत— महेशखूँट, पे०— धनिक मंडल	5,00,000.00
7	खगड़िया	पत्रांक—1015 दिनांक—21.11.2019	स्व० मीना देवी, ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड नं०—03, ग्राम — छोटी - पसराहा, थाना—गोगरी	5,00,000.00
8	कटिहार	पत्रांक—984 दिनांक—25.11.2019	स्व० उमदा देवी, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत— बौलिया, वार्ड न०—15, प्रखंड— मनिहारी	5,00,000.00
सकल कुल				**40,00,000.00**

चालीस लाख रुपया मात्र

3. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **संबधित जिलों के जिला पदाधिकारी** होंगे जो राशि की निकासी **संबधित जिला कोषागार** से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. **इस आवंटित राशि की संबधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16–2515000010101) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।**

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 एवं 6786 दिनांक 19.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य स्कीम अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0101–मुख्यालय पंचायत की स्थापना"** मद के विषय शीर्ष **'0101.37.01–अनुग्रह अनुदान'** से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं विपत्र कोड संख्या **16–2515000010101** है।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

16/1/20

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

\\10.76.101.27\d\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\P 2515000010101\Letter.docx

ज्ञापांकः 5प / राज्य स्कीम–02–09 / 2017 / 65(अ0) / पं०रा० पटना, दिनांक 22/01/2020

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / संबधित जिला कोषागार पदाधिकारी / संबधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी–08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/1/20

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांकः 5प / राज्य स्कीम–02–09 / 2017 / 65(अ0) पं०रा० पटना, दिनांक 22/01/2020

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/1/20

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

\\10.76.101.27\d\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\P 25130000101\Letter.docx

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 05/2019/ 66(आ०)/ पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,

अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

उप विकास आयुक्त, नालन्दा एवं गोपालगंज।

प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज, सारण एवं भागलपुर।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रोहतास, पटना नवादा, कैमुर, औरंगाबाद, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, पूर्णियाँ, कटिहार, बांका, सहरसा एवं बेगुसराय।

पटना, दिनांक 5/2/2020

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष–00 लघुशीर्ष 001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष –0003–जिला पंचायत की स्थापना" मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019 20 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाईवार अंकित **कुल ₹11,58,71,400.00 (ग्यारह करोड़ अन्ठावन लाख इकहत्तर हजार चार सौ रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम 4 05/98 2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 एवं 6786 दिनांक 19.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. **"सर्वप्रथम इस आवंटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाये वेतन आदि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक है, तो उसका भुगतान किया जाये। तत्पश्चात अवशेष राशि से नियमित वेतन का भुगतान किया जाये। यदि इसके बाद भी राशि अवशेष रहती है, तो नियमानुसार बकाया वेतन की निकासी की जा सकती है"।**

4. संलग्न विवरणी की कंडिका 11 में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक 37 दिनांक 09.01.2020 एवं कंडिका 18 में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बाँका के पत्रांक 03 दिनांक 01.01.2020 के आलोक में राशि आवंटित है।

5. आवंटित राशि का भुगतान नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार/जिला कोषागार से की जायेगी।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. **आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये। व्यय न होने पर शून्य व्यय विवरणी भेजी जाये।**

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड संख्या 16-2515000010003** है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,
05/02/2020

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-05/2018/66(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 5/2/2020
प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

05/02/2020
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एव प्रतिबद्ध व्यय 01-05/2017/66(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 5/2/2020
प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Commt Exp\Zila Panchayat 2019-20\Letter.docx

पंचायती राज विभाग

वितीय वर्ष 2019-20 में स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय अंतर्गत 'मुख्य शीर्ष-2515--अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष -00 लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन- उपशीर्ष--0003-जिला पंचायत की स्थापना' मद में व्यय हेतु राशि का आवंटन (रूपये में) विवरणी।

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन 0003.01.01	म०भत्ता 0003.01.03	म०भत्ता 0003.01.04	य०भत्ता 0003.01.05	चि०भत्ता 0003.01.06	कुल	चि० प्रतिपूर्ति 0003.06.01	यात्रा व्यय 0003.11.01	दूरभाष 0003.13.03	विद्युत प्रभार 0003.13.04	वर्दी / पोशाक 0003.13.06	संविदा सेवाएं 0003.28.02	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12		13	15	16
	उप विकास आयुक्त कार्यालय स्थापना हेतु													
1	उप विकास आयुक्त, नालन्दा	375000	7600	18000	5000	10000	415600	—	—	—	—	—	—	₹ 415600
2	उप विकास आयुक्त, गोपालगंज	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	15000	—	₹ 15000
	प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज कार्यालय स्थापना हेतु													
3	उप निदेशक, पंचायत राज, सारण	375000	7600	18000	5000	10000	415600	—	—	—	—	—	—	₹ 415600
4	उप निदेशक, पंचायत राज, भागलपुर	375000	7600	18000	5000	10000	415600	—	—	—	—	—	—	₹ 415600
	जिला पंचायत राज पदाधिकारी कार्यालय स्थापना हेतु													
5	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रोहतास	360000	79000	37000	—	—	476000	—	—	—	—	—	—	₹ 476000
6	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना	—	—	—	—	—	0	—	—	—	100000	—	—	₹ 100000
7	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज	—	—	—	—	—	0	—	30000	5000	—	—	—	₹ 35000
8	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी	—	—	—	—	—	0	50000	—	—	—	—	—	₹ 50000
9	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया	100000	70000	50000	10000	25000	255000	—	—	—	—	—	—	₹ 255000
10	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार	—	—	12000	—	—	12000	—	—	—	—	—	—	₹ 12000
	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल हेतु													
11	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा	5293000	871000	268000	100500	127300	6659800	—	—	—	—	—	—	₹ 6659800
12	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमूर	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	2000000	2000000
13	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद	9480000	1560000	480000	180000	228000	11928000	—	—	—	—	—	—	₹ 11928000
14	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	1500000	₹ 1500000
15	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	16500000	2800000	1000000	500000	500000	21300000	—	—	—	—	—	—	₹ 21300000
16	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली	27650000	4550000	1400000	525000	665000	34790000	—	—	—	—	—	—	₹ 34790000
17	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	20540000	3380000	1040000	390000	494000	25844000	—	—	—	—	—	—	₹ 25844000
18	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बांका	5293000	871000	268000	100500	127300	6659800	—	—	—	—	—	—	₹ 6659800
19	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	1000000	₹ 1000000
20	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगुसराय	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	2000000	₹ 2000000
	कुल योग :-	86341000	14203800	4609000	1821000	2196600	109171400	50000	30000	5000	100000	15000	6500000	₹ 115871400

कुल = ग्यारह करोड़ अट्ठावन लाख इकहत्तर हजार चार सौ रूपये मात्र

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2019/..67(आ०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रभारी प्रचार्य
मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान गया, सारण, दरभंगा, सहरसा, पूर्णियाँ एवं मुंगेर।

पटना, दिनांक 5/2/2020

विषय : वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–003–प्रशिक्षण–उपशीर्ष–0001–कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत" मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाईवार अंकित **कुल ₹77,95,000.00 (सतहत्तर लाख पिचानवें हजार रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 एवं 6786 दिनांक 19.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस आंवटित राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों के प्रभारी प्रचार्य** होंगे, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से करेगें।

4. **सर्वप्रथम इस आवंटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाये वेतन आदि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक है, तो उसका भुगतान किया जाये। तत्पश्चात अवशेष राशि से नियमित वेतन का भुगतान किया जाये। यदि इसके बाद भी राशि अवशेष रहती है, तो नियमानुसार बकाया वेतन की निकासी की जा सकती है।**

5. आवंटित राशि का भुगतान नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी अगले माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

11. इस आवंटन आदेश तथा विवरणी के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या 16–2515000030001 है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी) 05/02/2020
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2019/67(SP) पं०रा० पटना, दिनांक 5/2/2020
प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी) 05/02/2020
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2019/67 आ० पं०रा० पटना, दिनांक 5/2/2020
प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवंविभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी) 05/02/2020
अनुश्रवण पदाधिकारी

पंचायती राज विभाग

वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–003–प्रशिक्षण–उपशीर्ष–0001–कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत" मद में राशि का आवंटन विवरणी।

क्र०	संस्थान का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतनादि					
			वेतन 0001.01.01	जी० या० भत्ता 0001.01.03	मकान भत्ता 0001.01.04	प० भत्ता 0001.01.05	चि० भत्ता 0001.01.06	योग (4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, गया	प्रभारी प्राचार्य, गया	800000.00	140000.00	70000.00	35000.00	5000.00	1050000.00
2	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, सारण	प्रभारी प्राचार्य, सारण	1700000.00	150000.00	115000.00	35000.00	10000.00	2010000.00
3	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, दरभंगा	प्रभारी प्राचार्य, दरभंगा	500000.00	85000.00	40000.00	20000.00	5000.00	650000.00
4	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, सहरसा	प्रभारी प्राचार्य, सहरसा	700000.00	125000.00	60000.00	10000.00	10000.00	905000.00
5	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, पूर्णिया	प्रभारी प्राचार्य, पूर्णियाँ	1000000.00	175000.00	80000.00	40000.00	10000.00	1305000.00
6	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, मुंगेर	प्रभारी प्राचार्य, मुगेंर	1500000.00	255000.00	50000.00	20000.00	50000.00	1875000.00
	कुल योग		6200000.00	930000.00	415000.00	160000.00	90000.00	7795000.00

सतहत्तर लाख पिचानवें हजार रूपये मात्र।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

अ. आवश्यक
ई-मेल/फैक्स

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम-02-12/2017/68(आ०)/ पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार।
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 11/2/2020

विषय : **विभागीय राज्यादेश संख्या 02(स्वी०) दिनांक 31.05.2019 द्वारा स्वीकृत कुल ₹3,50,00,00,000.00 (तीन अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र की राशि में से अवशेष कुल ₹1,21,08,89,600.00 (एक अरब इक्कीस करोड़ आठ लाख नबासी हजार छः सौ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 02(स्वी०) दिनांक 31.05.2019 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सदस्य)/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप-प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप-मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप-सरपंच को वित्तीय वर्ष 2019-20 में समेकित नियत (मासिक) भत्ता भुगतान हेतु उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न जिलावार विवरणी-1 के अनुसार जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को ₹4,26,12,000.00 (चार करोड़ छब्बीस लाख बारह हजार रूपये) मात्र की राशि, विवरणी-2 के अनुसार पंचायत समिति के प्रमुख, उप-प्रमुख तथा सदस्यों को ₹22,08,48,000.00 (बाईस करोड़ आठ लाख अड़तालीस हजार रूपये) मात्र की राशि, विवरणी-3 के अनुसार ग्राम पंचायत के मुखिया, उप-मुखिया तथा सदस्यों को ₹1,01,28,25,200.00 (एक अरब एक करोड़ अट्ठाईस लाख पच्चीस हजार दो सौ रूपये) मात्र की राशि, तथा विवरणी-4 के अनुसार ग्राम कचहरी के सरपंच, उप-सरपंच, तथा सदस्यों (पंचों) को ₹1,01,28,25,200.00 (एक अरब एक करोड़ अट्ठाईस लाख पच्चीस हजार दो सौ रूपये) मात्र की राशि, कुल मिलाकर ₹2,28,91,10,400.00 (दो अरब अट्ठाईस करोड़ इक्यानबे लाख दस हजार चार सौ रूपये) मात्र एवं पूर्व वर्षों के बकाया भत्ता भुगतान हेतु ₹1,21,08,89,600.00 (एक अरब इक्कीस करोड़ आठ लाख नबासी हजार छह सौ रूपये रूपये) मात्र की राशि अर्थात **कुल ₹3,50,00,00,000.00 (तीन अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र** की राशि की स्वीकृति इस आधार पर दी गई है कि योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अन्तर्गत ही राशि आवंटित की जायेगी।

विभागीय आवंटनादेश संख्या 16(आ०) दिनांक 18.07.2019 द्वारा ₹1,14,45,55,200.00 (एक अरब चौदह करोड़ पैंतालीस लाख पचपन हजार दो सौ रूपये) मात्र एवं 38(आ०) दिनांक

लगातार--

(A)

04.09.2019 द्वारा ₹1,14,45,55,200.00 (एक अरब चौदह करोड़ पैंतालीस लाख पचपन हजार दो सौ रूपये) मात्र अर्थात **कुल ₹2,28,91,10,400.00 (दो अरब अट्ठाईस करोड़ इक्यानबे लाख दस हजार चार सौ रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की गई है।

2. **उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में नियत भत्ता की राशि की निकासी हेतु इस आवंटनादेश के साथ संलग्न विवरणी–I के अनुसार जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹2,27,88,000.00 (दो करोड़ सत्ताईस लाख अठासी हजार रूपये) मात्र, विवरणी–II के अनुसार पंचायत समिति के प्रमुख, उप–प्रमुख एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹11,65,52,000.00 (ग्यारह करोड़ पैंसठ लाख बावन हजार रूपये) मात्र, विवरणी–III के अनुसार ग्राम पंचायत के मुखिया, उप–मुखिया एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹53,57,74,800.00 (तिरेपन करोड़ सत्तावन लाख चौहत्तर हजार आठ सौ रूपये) मात्र एवं विवरणी–IV के अनुसार ग्राम कचहरी के सरपंच, उप–सरपंच एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹53,57,74,800.00 (तिरेपन करोड़ सत्तावन लाख चौहत्तर हजार आठ सौ रूपये) मात्र अर्थात कुल ₹1,21,08,89,600.00 (एक अरब इक्कीस करोड़ आठ लाख नवासी हजार छः सौ रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।**

3. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं ग्राम कचहरी के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग राज्यादेश संख्या 02(स्वी०) दिनांक 31.05.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए तथा विगत वर्षों के बकाया भुगतान के लिए पूर्व निर्धारित दर से किया जायेगा।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 के मांग संख्या–16 के अन्तर्गत राज्य स्कीम में उपबंधित निम्नांकित बजट शीर्षो के अन्तर्गत की जायेगी :–

जिला परिषदों के लिए –

(क) सामान्य घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0106–जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515001960106 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक

योजना–उपशीर्ष–0106–जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515007890106 है।

<u>पंचायत समितियों के लिए</u> –

(क) सामान्य घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–197–ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्त्ती स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष –0103–पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0103.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515001970103 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विषेष घटक योजना–उपशीर्ष–0105–पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0105.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515007890105 है।

<u>ग्राम पंचायतों के लिए</u> –

(क) सामान्य घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0105–ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0105.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515001980105 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विषेष घटक योजना–उपशीर्ष–0103–ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0103.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515007890103 है।

<u>ग्राम कचहरियों के लिए</u> –

(क) सामान्य घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम– उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0106–ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515001980106 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटकः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम--उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विषेष घटक योजना–उपशीर्ष–0104–ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0104.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16–2515007890104 है।

7. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या

अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

11. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

12. इस आवंटित राशि की व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

13. इस आवंटन आदेश तथा इसके साथ विवरणी के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

14. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

15. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

ह० 10/02/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–12/2017/681(आ०)/ पं०रा० पटना, दिनांक 11/2/2020

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा 08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त

ह० 10/02/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–12/2017/681(आ०)/ पं०रा० पटना, दिनांक 11/2/2020

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

ह० 10/02/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

विवरणी—1

वित्तीय वर्ष 2019—20 में उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को जिले की त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत जिला परिषद् (जिला परिषद् अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	जिला परिषदों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16—2515001960106 के विषय शीर्ष—0106. 31.06—सहायक अनुदान—गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16—2515007890106 के विषय शीर्ष—0105.31. 06—सहायक अनुदान—गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
1.	बक्सर	3,12,774.00	69,905.00	3,82,679.00	(तीन लाख बेरासी हजार छह सौ उनासी रूपये) मात्र
2.	रोहतास	4,64,493.00	2,54,834.00	7,19,327.00	(सात लाख उनीस हजार तीन सौ सताईस रूपये) मात्र
3.	भोजपुर	4,41,152.00	98,597.00	5,39,749.00	(पाँच लाख उनचालीस हजार सात सौ उनचास रूपये) मात्र
4.	नालन्दा	4,76,164.00	1,06,422.00	5,82,586.00	(पाँच लाख बेरासी हजार पाँच सौ छियासी रूपये) मात्र
5.	पटना	6,16,212.00	1,37,722.00	7,53,934.00	(सात लाख तिरपन हजार नौ सौ चौतीस रूपये) मात्र
6.	कैमूर	3,01,104.00	67,296.00	3,68,400.00	(तीन लाख अड़सठ हजार चार सौ रूपये) मात्र
7.	गया	6,16,212.00	1,37,722.00	7,53,934.00	(सात लाख तिरपन हजार नौ सौ चौतीस रूपये) मात्र
8.	नवादा	3,71,128.00	82,946.00	4,54,074.00	(चार लाख चौवन हजार चौहत्तर रूपये) मात्र
9.	औरंगाबाद	4,06,140.00	90,772.00	4,96,912.00	(चार लाख छियानवे हजार नौ सौ बारह रूपये) मात्र
10.	जहानाबाद	2,31,080.00	51,646.00	2,82,726.00	(दो लाख बेरासी हजार सात सौ छब्बीस रूपये) मात्र
11.	अरवल	1,84,397.00	41,212.00	2,25,609.00	(दो लाख पच्चीस हजार छह सौ नौ रूपये) मात्र
12.	सारण	6,27,883.00	1,40,331.00	7,68,214.00	(सात लाख अड़सठ हजार दो सौ चौदह रूपये) मात्र
13.	सिवान	5,57,859.00	1,24,680.00	6,82,539.00	(छह लाख बेरासी हजार पाँच सौ उनचालीस रूपये) मात्र
14.	गोपालगंज	4,52,823.00	1,01,205.00	5,54,028.00	(पाँच लाख चौवन हजार अठाईस रूपये) मात्र
15.	मुजफ्फरपुर	7,09,578.00	1,58,589.00	8,68,167.00	(आठ लाख अड़सठ हजार एक सौ सड़सठ रूपये) मात्र
16.	वैशाली	5,57,859.00	1,24,680.00	6,82,539.00	(छह लाख बेरासी हजार पाँच सौ उनचालीस रूपये) मात्र
17.	पू० चम्पारण	7,44,590.00	1,66,415.00	9,11,005.00	(नौ लाख ग्याहर हजार पाँच रूपये) मात्र
18.	प० चम्पारण	5,69,529.00	1,27,289.00	6,96,818.00	(छह लाख छियानवे हजार आठ सौ अठारह रूपये) मात्र
19.	सीतामढ़ी	5,22,847.00	1,16,855.00	6,39,702.00	(छह लाख उनचालीस हजार सात सौ दो रूपये) मात्र
20.	शिवहर	1,61,055.00	35,996.00	1,97,051.00	(एक लाख सनतानवे हजार एकावन रूपये) मात्र
21.	भागलपुर	4,41,152.00	98,597.00	5,39,749.00	(पाँच लाख उनचालीस हजार सात उनचास रूपये) मात्र

वित्तीय वर्ष 2019—20 में उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को जिले की त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत जिला परिषद् (जिला परिषद् अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	जिला परिषदों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16—2515001960106 के विषय शीर्ष—0106. 31.06—सहायक अनुदान—गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16—2515007890106 के विषय शीर्ष—0105.31. 06—सहायक अनुदान—गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
23.	मधुबनी	30,87,917.00	1,63,806.00	32,51,723.00	(बतीस लाख एकावन हजार सात सौ तेईस रूपये) मात्र
24.	समस्तीपुर	6,74,566.00	1,50,764.00	8,25,330.00	(आठ लाख पचीस हजार तीन सौ तीस रूपये) मात्र
25.	दरभंगा	6,27,883.00	1,40,331.00	7,68,214.00	(सात लाख अड़सठ हजार दो सौ चौदह रूपये) मात्र
26.	सहरसा	3,24,445.00	72,513.00	3,96,958.00	(तीन लाख छियानवे हजार नौ सौ अनठावन रूपये) मात्र
27.	मधेपुरा	3,47,786.00	77,730.00	4,25,516.00	(चार लाख पचीस हजार पाँच सौ सोलह रूपये) मात्र
28.	सुपौल	3,71,128.00	82,946.00	4,54,074.00	(चार लाख चौवन हजार चौहत्तर रूपये) मात्र
29.	पूर्णिया	4,76,164.00	1,06,422.00	5,82,586.00	(पाँच लाख बेरासी हजार पाँच सौ छियासी रूपये) मात्र
30.	अररिया	4,29,481.00	95,988.00	5,25,469.00	(पाँच लाख पचीस हजार चार सौ उनहत्तर रूपये) मात्र
31.	किशनगंज	2,89,433.00	64,688.00	3,54,121.00	(तीन लाख चौवन हजार एक सौ एक्कीस रूपये) मात्र
32.	कटिहार	4,64,493.00	1,03,813.00	5,68,306.00	(पाँच लाख अड़सठ हजार तीन सौ छह रूपये) मात्र
33.	मुंगेर	2,42,750.00	54,254.00	2,97,004.00	(दो लाख सनतानवें हजार चार रूपये) मात्र
34.	जमुई	3,12,774.00	69,905.00	3,82,679.00	(तीन लाख बेरासी हजार छह सौ उनासी रूपये) मात्र
35.	बेगुसराय	4,87,835.00	1,09,030.00	5,96,865.00	(पाँच लाख छियानवें हजार आठ सौ पैसठ रूपये) मात्र
36.	खगड़िया	2,89,433.00	64,688.00	3,54,121.00	(तीन लाख चौवन हजार एक सौ एक्कीस रूपये) मात्र
37.	लखीसराय	2,07,738.00	46,429.00	2,54,167.00	(दो लाख चौवन हजार एक सड़सठ रूपये) मात्र
38.	शेखपुरा	1,61,055.00	35,996.00	1,97,051.00	(एक लाख सनतावन हजार एकावन रूपये) मात्र
	कुल राशि	1,89,32,040.00	38,55,960.00	2,27,88,000.00	(दो करोड़ सताईस लाख अठासी हजार रूपये) मात्र

विवरणी–2

वित्तीय वर्ष 2019–20 में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को जिले की त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत पंचायत समिति (पंचायत समिति प्रमुख/उप–प्रमुख/पंचायत समिति सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	पंचायत समितियों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001970103 के विषय शीर्ष–0103. 31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890105 के विषय शीर्ष–0105.31. 06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	
1	2	3	4	5
1.	बक्सर	16,63,265.00	3,70,058.00	20,33,323.00 (बीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ तेईस रूपये) मात्र
2.	रोहतास	27,97,972.00	6,22,518.00	34,20,490.00 (चौतीस लाख बीस हजार चार सौ नब्बे रूपये) मात्र
3.	भोजपुर	23,85,792.00	5,30,813.00	29,16,605.00 (उनतीस लाख सोलह हजार छह सौ पाँच रूपये) मात्र
4.	नालन्दा	29,19,201.00	6,49,490.00	35,68,691.00 (पैंतीस लाख अड़सठ हजार छह सौ ईक्कानवें रूपये) मात्र
5.	पटना	36,02,934.00	8,01,613.00	44,04,547.00 (चौवालीस लाख चार हजार पाँच सौ सैतालीस रूपये) मात्र
6.	कैमूर	15,95,377.00	3,54,954.00	19,50,331.00 (उनीस लाख पचास हजार तीस सौ एकतीस रूपये) मात्र
7.	गया	37,38,711.00	8,31,822.00	45,70,533.00 (पैतालीस लाख सतर हजार पाँच सौ तैंतीस रूपये) मात्र
8.	नवादा	21,14,238.00	4,70,395.00	25,84,633.00 (पचीस लाख चौरासी हजार छह सौ तैंतीस रूपये) मात्र
9.	औरंगाबाद	20,75,445.00	4,61,764.00	25,37,209.00 (पचीस लाख सैतीस हजार दो सौ नौ रूपये) मात्र
10.	जहानाबाद	10,61,968.00	2,36,276.00	12,98,244.00 (बारह लाख अठानवें हजार दो सौ चौवालीस रूपये) मात्र
11.	अरवल	7,41,923.00	1,65,070.00	9,06,993.00 (नौ लाख छह हजार नौ सौ तिरानवें रूपये) मात्र
12.	सारण	35,15,649.00	7,82,193.00	42,97,842.00 (बेयालीस लाख सतानवें हजार आठ सौ बेयालीस रूपये) मात्र
13.	सिवान	30,01,637.00	6,67,831.00	36,69,468.00 (छतीस लाख उनहत्तर हजार चार सौ अड़सठ रूपये) मात्र
14.	गोपालगंज	24,34,284.00	5,41,601.00	29,75,885.00 (उनतीस लाख पचहत्तर हजार आठ सौ पचासी रूपये) मात्र
15.	मुजफ्फरपुर	35,73,839.00	7,95,140.00	43,68,979.00 (तैतालीस लाख अड़सठ हजार नौ सौ उनासी रूपये) मात्र
16.	वैशाली	29,24,050.00	6,50,569.00	35,74,619.00 (पैतीस लाख चौहत्तर हजार छह सौ उनीस रूपये) मात्र
17.	पू० चम्पारण	42,57,572.00	9,47,263.00	52,04,835.00 (बावन लाख चार हजार आठ सौ पैतीस रूपये) मात्र
18.	प० चम्पारण	31,61,660.00	7,03,434.00	38,65,094.00 (अड़तीस लाख पैसठ हजार चौरानवें रूपये) मात्र
19.	सीतामढ़ी	29,33,749.00	6,52,727.00	35,86,476.00 (पैतीस लाख छियासी हजार चार सौ छियाहत्तर रूपये) मात्र
20.	शिवहर	6,64,336.00	1,47,808.00	8,12,144.00 (आठ लाख बारह हजार एक सौ चौवालीस रूपये) मात्र
21.	भागलपुर	25,31,267.00	5,63,179.00	30,94,446.00 (तीस लाख चौरानवें हजार चार सौ छियालीस रूपये) मात्र
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] (तेईस लाख उनतीस हजार सात सौ सताईस रूपये) मात्र

विवरणी–2

वित्तीय वर्ष 2019–20 में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को जिले की त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत पंचायत समिति (पंचायत समिति प्रमुख/उप–प्रमुख/पंचायत समिति सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	पंचायत समितियों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001970103 के विषय शीर्ष–0103. 31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890105 के विषय शीर्ष–0105.31. 06–सहायक अनुदान–गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
23.	मधुबनी	1,14,67,134.00	8,93,319.00	1,23,60,452.00	(एक करोड़ तेईस लाख साठ हजार चार सौ बावन रूपये) मात्र
24.	समस्तीपुर	37,92,052.00	8,43,690.00	46,35,742.00	(छियालीस लाख पैंतीस हजार सात सौ बेयालीस रूपये) मात्र
25.	दरभंगा	33,31,381.00	7,41,195.00	40,72,576.00	(चालीस लाख बहत्तर हजार पाँच सौ छियहत्तर रूपये) मात्र
26.	सहरसा	16,29,321.00	3,62,506.00	19,91,827.00	(उनीस लाख इक्कानवें हजार आठ सौ सताईस रूपये) मात्र
27.	मधेपुरा	19,10,573.00	4,25,082.00	23,35,655.00	(तेईस लाख पैंतीस हजार छह सौ पचपन रूपये) मात्र
28.	सुपौल	19,29,970.00	4,29,397.00	23,59,367.00	(तेईस लाख उनसठ हजार तीन सौ सड़सठ रूपये) मात्र
29.	पूर्णिया	25,36,116.00	5,64,258.00	31,00,374.00	(एकतीस लाख तीन सौ चौहत्तर रूपये) मात्र
30.	अररिया	20,36,652.00	4,53,133.00	24,89,785.00	(चौबीस लाख नवासी हजार सात सौ पचासी रूपये) मात्र
31.	किशनगंज	12,94,728.00	2,88,063.00	15,82,791.00	(पन्द्रह लाख बेरासी हजार सात सौ इक्कानवें रूपये) मात्र
32.	कटिहार	25,99,156.00	5,78,284.00	31,77,440.00	(एकतीस लाख सहत्तर हजार चार सौ चालीस रूपये) मात्र
33.	मुंगेर	12,26,840.00	2,72,958.00	14,99,798.00	(चौदह लाख निन्यानवें हजार सात सौ अनठानवें रूपये) मात्र
34.	जमुई	15,66,282.00	3,48,481.00	19,14,763.00	(उनीस लाख चौदह हजार सात सौ तिरसठ रूपये) मात्र
35.	बेगुसराय	27,30,083.00	6,07,413.00	33,37,496.00	(तैंतीस लाख सैंतीस हजार चार सौ छियानवें रूपये) मात्र
36.	खगड़िया	13,38,371.00	2,97,773.00	16,36,144.00	(सोलह लाख छतीस हजार एक सौ चौवालीस रूपये) मात्र
37.	लखीसराय	9,89,231.00	2,20,093.00	12,09,324.00	(बारह लाख नौ हजार तीन सौ चौबीस रूपये) मात्र
38.	शेखपुरा	7,17,677.00	1,59,675.00	8,77,352.00	(आठ लाख सत्तहत्तर हजार तीन सौ बावन रूपये) मात्र
कुल राशि		9,66,96,160.00	1,98,55,840.00	11,65,52,000.00	(ग्यारह करोड़ पैंसठ लाख बावन हजार रूपये) मात्र

विवरणी–3

वित्तीय वर्ष 2019–20 में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को जिले की त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया/ग्राम पंचायत सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण

क्र०	जिला	ग्राम पंचायतों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001980105 के विषय शीर्ष–0105. 31.06–सहायक अनुदान–गैर. वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890103 के विषय शीर्ष–0103.31. 06–सहायक अनुदान–गैर वेतन		
1	2	3	4	6	
1.	बक्सर	6710999.00	1559361.00	8270360.00	(बेरासी लाख सतर हजार तीन सौ साठ रूपये) मात्र
2.	रोहतास	10845205.00	2519980.00	13365185.00	(एक करोड़ तैतीस लाख पैसठ हजार एक सौ पचासी रूपये) मात्र
3.	भोजपुर	11288454.00	2622973.00	13911427.00	(एक करोड़ उनचालीस लाख ग्यारह हजार चार सौ सताईस रूपये) मात्र
4.	नालन्दा	11475232.00	2666374.00	14141606.00	(एल करोड़ एकतालीस लाख एकतालीस हजार छह सौ छह रूपये) मात्र
5.	पटना	15139241.00	3517738.00	18656979.00	(एक करोड़ छियासी लाख छप्पन हजार नौ सौ उन्नायसी रूपये) मात्र
6.	कैमूर	6515393.00	1513910.00	8029303.00	(अस्सी लाख उनतीस हजार तीन सौ तीन रूपये) मात्र
7.	गया	15559724.00	3615441.00	19175165.00	(एक करोड़ इक्कायनवे लाख पचहत्तर हजार एक सौ पैसठ रूपये) मात्र
8.	नवादा	8650796.00	2010090.00	10660886.00	(एक करोड़ छह लाख छह हजार आठ सौ छियासी रूपये) मात्र
9.	औरंगाबाद	9623714.00	2236157.00	11859871.00	(एक करोड़ अठारह लाख उनसठ हजार आठ सौ एकहत्तर रूपये) मात्र
10.	जहानाबाद	4342356.00	1008985.00	5351341.00	(तिरपन लाख एकावन हजार तीन सौ एकतालीस रूपये) मात्र
11.	अरवल	2980549.00	692557.00	3673106.00	(छत्तीस लाख तिहत्तर हजार एक सौ छह रूपये) मात्र
12.	सारण	15442175.00	3588127.00	19030302.00	(एक करोड नब्बे लाख तीस हजार तीन सौ दो रूपये) मात्र
13.	सिवान	13848521.00	3217828.00	17066349.00	(एक करोड़ सत्तर लाख छियासठ हजार तीन सौ उनचास रूपये) मात्र
14.	गोपालगंज	10859608.00	2523327.00	13382935.00	(एक करोड़ तैतीस लाख बेरासी हजार नौ सौ पैतीस रूपये) मात्र
15.	मुजफ्फरपुर	18015716.00	4186113.00	22201829.00	(दो करोड़ बाईस लाख एक हजार आठ सौ उनतीस रूपये) मात्र
16.	वैशाली	13518640.00	3141177.00	16659817.00	(एक करोड़ छियासठ लाख उनसठ हजार आठ सौ सत्तरह रूपये) मात्र
17.	पू० चम्पारण	19114547.00	4441435.00	23555982.00	(दो करोड़ पैंतीस लाख पचपन हजार नौ सौ बेरासी रूपये) मात्र
18.	प० चम्पारण	14433480.00	3353748.00	17787228.00	(एक करोड़ सत्तहत्तर लाख सतासी हजार दो सौ अंठाईस रूपये) मात्र
19.	सीतामढ़ी	12970386.00	3013785.00	15984171.00	(एक करोड़ उनसठ लाख चौरासी हजार एक सौ एकहत्तर रूपये) मात्र
20.	शिवहर	2523361.00	586326.00	3109687.00	(एकतीस लाख नौ हजार छह सौ सतासी रूपये) मात्र

विवरणी–3

वित्तीय वर्ष 2019–20 में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को जिले की त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया/ग्राम पंचायत सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण

क्र0	जिला	ग्राम पंचायतों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001980105 के विषय शीर्ष–0105. 31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890103 के विषय शीर्ष–0103.31. 06–सहायक अनुदान–गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
21.	भागलपुर	10860073.00	2523435.00	13383508.00	(एक करोड़ तैंतीस लाख तेरासी हजार पाँच सौ आठ रूपये) मात्र
22.	बांका	8511874.00	1977810.00	10489684.00	(एक करोड़ चार लाख नवासी हजार छह सौ चौरासी रूपये) मात्र
23.	मधुबनी	71269571.00	4360251.00	75629822.00	(सात करोड़ छप्पन लाख उनतीस हजार आठ सौ बाईस रूपये) मात्र
24.	समस्तीपुर	17772718.00	4129650.00	21902368.00	(दो करोड़ उनीस लाख दो हजार तीन सौ अरसठ रूपये) मात्र
25.	दरभंगा	15254932.00	3544619.00	18799551.00	(एक करोड़ सतासी लाख निन्यानवें हजार पाँच सौ एकावन रूपये) मात्र
26.	सहरसा	7063182.00	1641194.00	8704376.00	(सतासी लाख चार हजार तीन सौ छियहत्तर रूपये) मात्र
27.	मधेपुरा	7735955.00	1797518.00	9533473.00	(पनचानवें लाख तैंतीस हजार चार सौ तिहत्तर रूपये) मात्र
28.	सुपौल	8566234.00	1990441.00	10556675.00	(एक करोड़ पाँच लाख छप्पन हजार छह सौ पचहत्तर रूपये) मात्र
29.	पूर्णिया	11449214.00	2660328.00	14109542.00	(एक करोड़ एकतालीस लाख नौ हजार पाँच सौ बेयालीस रूपये) मात्र
30.	अररिया	10191947.00	2368190.00	12560137.00	(एक करोड़ पच्चीस लाख साठ हजार एक सौ सैंतीस रूपये) मात्र
31.	किशनगंज	5982936.00	1390189.00	7373125.00	(तिहत्तर लाख तिहत्तर हजार एक सौ पच्चीस रूपये) मात्र
32.	कटिहार	11121191.00	2584108.00	13705299.00	(एक करोड़ सैंतीस लाख पाँच हजार दो सौ निन्यानवें रूपये) मात्र
33.	मुंगेर	4675026.00	1086284.00	5761310.00	(सनतावन लाख एकसठ हजार तीन सौ दस रूपये) मात्र
34.	जमुई	6835053.00	1588186.00	8423239.00	(चौरासी लाख तेईस हजार दो सौ उनचालीस रूपये) मात्र
35.	बेगुसराय	11033842.00	2563812.00	13597654.00	(एक करोड़ पैंतीस लाख सनतानवें हजार छह सौ चौवन रूपये) मात्र
36.	खगड़िया	6236620.00	1449134.00	7685754.00	(छियहत्तर लाख पचासी हजार सात सौ चौवन रूपये) मात्र
37.	लखीसराय	3779699.00	878247.00	4657946.00	(छियालीस लाख सनतावन हजार नौ सौ छियालीस रूपये) मात्र
38.	शेखपुरा	2456920.00	570888.00	3027808.00	(तीस लाख सताईस हजार आठ सौ आठ रूपये) मात्र
	कुल राशि	**444655084.00**	**91119716.00**	**535774800.00**	**(तिरपन करोड़ सनतावन लाख चौहत्तर हजार आठ सौ रूपये) मात्र**

विवरणी–4

वित्तीय वर्ष 2019–20 में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को जिले के ग्राम कचहरी (ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच/पंच) के लिए बकाया आवंटित राशि का विवरण

क्र०	जिला	ग्राम कचहरियों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001980106 के विषय शीर्ष–0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890104 के विषय शीर्ष–0104.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
1.	बक्सर	7609523.00	1504751.00	91,14,274.00	(इक्कायनवें लाख चौदह हजार दो सौ चौंहत्तर रूपये) मात्र
2.	रोहतास	12297252.00	2431729.00	1,47,28,981.00	(एक करोड़ सैतालीस लाख अठाईस हजार नौ सौ एकासी रूपये) मात्र
3.	भोजपुर	12799847.00	2531115.00	1,53,30,962.00	(एक करोड़ तिरपन लाख तीस हजार नौ सौ बासठ रूपये) मात्र
4.	नालन्दा	13011632.00	2572995.00	1,55,84,627.00	(एक करोड़ पचपन लाख चौरासी हजार छह सौ सताईस रूपये) मात्र
5.	पटना	17166230.00	4450700.00	2,16,16,930.00	(दो करोड़ सोलह लाख सोलह हजार नौ सौ तीस रूपये) मात्र
6.	कैमूर	7387728.00	3595800.00	1,09,83,528.00	(एक करोड़ नौ लाख तेरासी हजार पाँच सौ अठाईस रूपये) मात्र
7.	गया	17642990.00	3488826.00	2,11,31,816.00	(दो करोड़ ग्यारह लाख एकतीस हजार आठ सौ सोलह रूपये) मात्र
8.	नवादा	9809036.00	1939695.00	1,17,48,731.00	(एक करोड़ सतरह लाख अड़तालीस हजार सात सौ एकतीस रूपये) मात्र
9.	औरंगाबाद	10912217.00	2157845.00	1,30,70,062.00	(एक करोड़ तीस लाख सत्तर हजार बासठ रूपये) मात्र
10.	जहानाबाद	4923747.00	973650.00	58,97,397.00	(अठावन लाख सनतानवें हजार तीन सौ सनतानवें रूपये) मात्र
11.	अरवल	3379610.00	668304.00	40,47,914.00	(चालीस लाख सैतालीस हजार नौ सौ चौदह रूपये) मात्र
12.	सारण	17509702.00	3462469.00	2,09,72,171.00	(दो करोड़ नौ लाख बहत्तर हजार एक सौ एकहत्तर रूपये) मात्र
13.	सिवान	15702677.00	3105138.00	1,88,07,815.00	(एक करोड़ अठासी लाख सात हजार आठ सौ पन्द्रह रूपये) मात्र
14.	गोपालगंज	12313583.00	2434959.00	1,47,48,542.00	(एक करोड़ सैंतालीस लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ बेयालीस रूपये) मात्र
15.	मुजफ्फरपुर	20427810.00	4039513.00	2,44,67,323.00	(दो करोड़ चौवालीस लाख सड़सठ हजार तीन सौ तेईस रूपये) मात्र
16.	वैशाली	15328628.00	3031171.00	1,83,59,799.00	(एक करोड़ तिरासी लाख उनसठ हजार सात सौ निनानवें रूपये) मात्र
17.	पू० चम्पारण	21673761.00	4285894.00	2,59,59,655.00	(दो करोड़ उनसठ लाख उनसठ हजार छह सौ पचपन रूपये) मात्र
18.	प० चम्पारण	16365955.00	3236298.00	1,96,02,253.00	(एक करोड़ छियानवे लाख दो हजार दो सौ तिरपन रूपये) मात्र
19.	सीतामढ़ी	14706969.00	2908241.00	1,76,15,210.00	(एक करोड़ छियहत्तर लाख पन्द्रह हजार दो सौ दस रूपये) मात्र
20.	शिवहर	2861210.00	565792.00	34,27,002.00	(चौतीस लाख सताईस हजार दो रूपये) मात्र

विवरणी–4

वित्तीय वर्ष 2019–20 में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को जिले के ग्राम कचहरी (ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच/पंच) के लिए बकाया आवंटित राशि का विवरण

क्र०	जिला	ग्राम कचहरियों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16–2515001980106 के विषय शीर्ष–0106. 31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16–2515007890104 के विषय शीर्ष–0104.31. 06–सहायक अनुदान–गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
21.	भागलपुर	12314110.00	2435063.00	1,47,49,173.00	(एक करोड़ सैंतालीस लाख उनचास हजार एक सौ तिहत्तर रूपये) मात्र
22.	बांका	9651514.00	1908546.00	1,15,60,060.00	(एक करोड़ पन्द्रह लाख साठ हजार साठ रूपये) मात्र
23.	मधुबनी	21277586.00	4207552.00	2,54,85,138.00	(दो करोड़ चौवन लाख पचासी हजार एक सौ अड़तीस रूपये) मात्र
24.	समस्तीपुर	20152278.00	3985028.00	2,41,37,306.00	(दो करोड़ एकतालीस लाख सैंतीस हजार तीन सौ छह रूपये) मात्र
25.	दरभंगा	17297389.00	3420485.00	2,07,17,874.00	(दो करोड़ सात लाख सतरह हजार आठ सौ चौहत्तर रूपये) मात्र
26.	सहरसा	8008860.00	1583718.00	95,92,578.00	(पनचानवें लाख बेरानवें हजार पाँच सौ अठहत्तर रूपये) मात्र
27.	मधेपुरा	8771709.00	1734568.00	1,05,06,277.00	(एक करोड़ पाँच लाख छह हजार दो सौ सतहत्तर रूपये) मात्र
28.	सुपौल	9713153.00	1920735.00	1,16,33,888.00	(एक करोड़ सोलह लाख तैंतीस हजार आठ सौ अठासी रूपये) मात्र
29.	पूर्णिया	12982130,00	2567161.00	1,55,49,291.00	(एक करोड़ पचपन लाख उनचास हजार दो सौ एकानवें रूपये) मात्र
30.	अररिया	11556529.00	2285255.00	1,38,41,784.00	(एक करोड़ अड़तीस लाख एकतालीस हजार सात सौ चौरासी रूपये) मात्र
31.	किशनगंज	6783982.00	1341504.00	81,25,486.00	(एकासी लाख पच्चीस हजार चार सौ छियासी रूपये) मात्र
32.	कटिहार	12610188.00	2493611.00	1,51,03,799.00	(एक करोड़ एकावन लाख तीन हजार सात सौ निन्यानवें रूपये) मात्र
33.	मुंगेर	5300957.00	1048242.00	63,49,199.00	(तिरसठ लाख उनचास हजार एक सौ निन्यानवें रूपये) मात्र
34.	जमुई	7750187.00	1532567.00	92,82,754.00	(बेरानवें लाख बेरासी हजार सात सौ चौवन रूपये) मात्र
35.	बेगुसराय	12511144.00	2474026.00	1,49,85,170.00	(एक करोड़ उनचास लाख पचासी हजार एक सौ सत्तर रूपये) मात्र
36.	खगड़िया	7071631.00	1398385.00	84,70,016.00	(चौरासी लाख सत्तर हजार सोलह रूपये) मात्र
37.	लखीसराय	4285757.00	847490.00	51,33,247.00	(एकावन लाख तैंतीस हजार दो सौ सैंतालीस रूपये) मात्र
38.	शेखपुरा	2785873.00	550895.00	33,36,768.00	(तैंतीस लाख छतीस हजार सात सौ अड़सठ रूपये) मात्र
कुल राशि		44,46,55,084.00	91119716.00	53,57,74,800.00	(तिरपन करोड़ सनतावन लाख चौहत्तर हजार आठ सौ रूपये) मात्र

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017/69(अ०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

उप सचिव–सह–निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांकः 11/2/2020

विषयः विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 28(स्वी०) दिनांक 28.01.2020 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल ₹550.00 करोड़ (पाँच अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या **28(स्वी०) दिनांक 28.01.2020** द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य स्कीम मद से "मुख्यमंत्री निश्चय योजना" अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु **कुल ₹550.00 करोड़ (पाँच अरब पचास करोड़ रूपये)** मात्र की राशि उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी 'अनुलग्नक–A' के अनुसार राज्य के 3982 (तीन हजार नौ सौ बयासी) ग्राम पंचायतों में वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल ₹550.00 करोड़ (पाँच अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु मांग संख्या–16 अंतर्गत राज्य स्कीम मद से निम्नरूपेण की जायेगीः–

क्र०	योजना शीर्ष	राशि (करोड़ में)
1	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता– उपशीर्ष–0113–मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड–16-2515001980113 **विषय शीर्ष**–0113.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण।	398.0745
2	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0112–मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड–16-2515007890112 **विषय शीर्ष**–0112.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण।	141.4195
3	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–उपशीर्ष–0119–मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड–16-2515007960119 **विषय शीर्ष**–0119.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण।	10.506
	कुल– (पाँच अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र	**550.00**

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से करेंगे एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या **28(स्वी०) दिनांक 28.01.2020** के साथ संलग्न विवरणी 'अनुलग्नक–A' के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के मुख्यमंत्री निश्चय योजना के बैंक खातों में CFMS Portal के माध्यम से अंतरित करायेंगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 एवं 6786 दिनांक 19.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को इस स्वीकृत एवं आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज़ विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017 /69 (आ)/ पं०रा० पटना, दिनांक 11/2/2020

प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017/69(प्रा०)/पं०रा० पटना, दिनांक 11/9/2020
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/ 70(आ०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी
(अररिया, जमुई, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, नालंदा, पूर्णियाँ, रोहतास, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान एवं वैशाली को छोड़कर)

पटना, दिनांक 03/03/20

विषय : **विभागीय स्वीकृत्यादेश 31(स्वी०) दिनांक 19.02.2020 द्वारा स्वीकृत कुल ₹22,83,011.00 (बाइ लाख तेरासी हजार ग्यारह रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या **31(स्वी०) दिनांक 19.02.2020** द्व जिला पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय में अनुबंध/संविदा पर कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायकों पारिश्रमिक/मानदेय भुगतान हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के परिपत्र द्वारा स्वीकृत वर्द्धित दर के अनुरूप नि विभागीय परिपत्र के आलोक में अनुमान्य अंतर राशि कुल ₹22,83,011.00 (बाईस लाख तेरासी हजार ग्यारह रूपये) मात्र राशि को निम्नलिखित विवरणी के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है:–

क्र	कार्यालय का नाम	स्वीकृत राशि
1	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल।	₹71,324.00 (इकहत्तर हजार तीन सौ चौबीस रूपये मात्र)।
2	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद।	₹77,831.00 (सतहत्तर हजार आठ सौ इक्कतीस रूपये मात्र)।
3	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बाँका।	₹74,810.00 (चौहत्तर हजार आठ सौ दस रूपये मात्र)।
4	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर।	₹73,350.00 (तिहत्तर हजार तीन सौ पचास रूपये मात्र)।
5	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर।	₹59,498.00 (उनसठ हजार चार सौ अन्ठानवे रूपये मात्र)।
6	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।	₹1,54,231.00 (एक लाख चौवन हजार दो सौ इक्कतीस रूपये मात्र)
7	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज।	₹60,827.00 (साठ हजार आठ सौ सत्ताइस रूपये मात्र)।
8	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद।	₹94,719.00 (चौरानवे हजार सात सौ उन्नीस रूपये मात्र)।
9	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमूर।	₹87,830.00 (सतासी हजार आठ सौ तीस रूपये मात्र)।
10	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार।	₹70,000.00 (सत्तर हजार रूपये मात्र)।
11	जिला पचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया।	₹43,984.00 (तैतालीस हजार नौ सौ चौरासी रूपये मात्र)।
12	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर।	₹1,66,705.00 (एक लाख छयासठ हजार सात सौ पाँच रूपये मात्र)
13	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	₹84,215.00 (चौरासी हजार दो सौ पन्द्रह रूपये मात्र)।
14	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा।	₹2,25,000.00 (दो लाख पचीस हजार रूपये मात्र)।
15	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना।	₹4,692.00 (चार हजार छः सौ बेरानवे रूपये मात्र)।
16	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर।	₹1,55,418.00 (एक लाख पचपन हजार चार सौ अठारह रूपये मात्र)
17	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण।	₹1,47,485.00 (एक लाख सैतालीस हजार चार सौ पिचासी रूपये मात्र)।
18	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा।	₹69,719.00 (उनहत्तर हजार सात सौ उन्नीस रूपये मात्र)।
19	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल।	₹22,537.00 (बाईस हजार पाँच सौ सैतीस रूपये मात्र)।
20	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण।	₹2,00,000.00 (दो लाख रूपये मात्र)।
21	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगूसराय।	₹50,000.00 (पचास हजार रूपये मात्र)
22	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर।	₹85,527.00 (पचासी हजार पाँच सौ सत्ताईस रूपये मात्र)
23	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा।	₹51,523.00 (इक्यावन हजार पाँच सौ तेईस रूपये मात्र)
24	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा।	₹1,51,786.00 (एक लाख इक्यावन हजार सात सौ छियासी रूपये मात्र)।
कुलः–		₹22,83,011.00 (बाईस लाख तेरासी हजार ग्यारह रूपये) मात्र

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\State Scheme\P 25150000 10102\Letter.docx

लगातार.....

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में उपर्युक्त विवरणी के अनुरूप कुल ₹22,83,011.00 (**बाईस लाख तेरासी हजार ग्यारह रूपये**) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2019–20 में आवंटित की जाती है।

3. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी** होगें, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी **वित्तीय वर्ष 2019–20** में **मांग संख्या–16** के राज्य स्कीम अंतर्गत "**मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00– लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0102–जिला पंचायत की स्थापना**" मद के विषय शीर्ष '**0102.28.02 –संविदा सेवाएँ**' इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड **16 -2515000010102** है।

5. **सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16–2515000010102) को यथाशीघ्र Map/Tag कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।**

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि०17 अप्रैल 1998,256 दिनांक 26.02. 2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019,6786 दिनांक 19.08.2019 एवं 885 दिनांक 03.02.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एव जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/10(आ0)/पं०रा० पटना, दिनांक 03/03/2020

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, अररिया, जमुई, गया, किशनगंज, लखीसराय मधेपुरा, मधुबनी, नालंदा, पूर्णियाँ, रोहतास, शिवहर सीतामढ़ी, सीवान एवं वैशाली को छोड़कर/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा -03 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/70(आ0)/पं०रा० पटना, दिनांक 03/03/2020

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2019/71 (अनु)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मुंगेर।

पटना, दिनांक 6/3/20

विषय : पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के अवसर पर कराये गये कार्यों के बकाया भुगतान हेतु कुल ₹22,99,111.00 (बाईस लाख निन्यानबे हजार एक सौ ग्यारह रूपये) मात्र राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के अवसर पर कराये गये कार्यों का बकाया भुगतान हेतु **कुल ₹22,99,111.00 (बाईस लाख निन्यानबे हजार एक सौ ग्यारह रूपये) मात्र की राशि** वित्तीय वर्ष 2019–20 में आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मुंगेर** होंगे।

3. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के **"मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–उपशीर्ष–0002–जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव"** अंतर्गत विषय शीर्ष **"0002.13.01–कार्यालय व्यय"** इकाई से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड 16–2015001090002** है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019, 6786 दिनांक 19.08.2019 एवं 885 दिनांक 03.02.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस आवंटित राशि की निकासी **जिला कोषागार, मुंगेर** से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
6/03/2020
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2019/71(अ०)/ पं०रा० पटना, दिनांक 6/3/
प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रशाखा–5 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/03/2020
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2019/71(अ०)/ पं०रा० पटना, दिनांक 6/3/2
प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6/03/2020
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–08/2018/ ...72(आ०)/ पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी संबंधित जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
(कैमूर एवं मुंगेर को छोड़कर)।

पटना, दिनांक 12|3|2020

विषय : वित्तीय वर्ष 2019–20 में पंचायत उप निर्वाचन, 2020 हेतु राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत उप निर्वाचन, 2020 हेतु "मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–109– पंचायतों/ स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–उपशीर्ष–0002–जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव" के यात्रा व्यय इकाई 0002.11.01 में कुल **₹84,53,210.00 (चौरासी लाख तिरेपन हजार दो सौ दस रूपये)** मात्र एवं कार्यालय व्यय इकाई 0002.13.01 में कुल **₹2,41,94,700.00 (दो करोड़ इकतालीस लाख चौरानवें हजार सात सौ रूपये)** मात्र अर्थात कुल **₹3,26,47,910.00 (तीन करोड़ छब्बीस लाख सैंतालीस हजार नौ सौ दस रूपये)** मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2019–20 में निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

क्र0	जिला का नाम	मतदान केन्द्रों की अनुमानित संख्या	कार्यालय व्यय इकाई अंतर्गत ₹8100.00 की दर से आवंटित राशि	यात्रा व्यय इकाई अंतर्गत ₹2830.00 की दर से आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	बक्सर	26	210600	73580	284180
2	रोहतास	39	315900	110370	426270
3	भोजपुर	52	421200	147160	568360
4	नालंदा	39	315900	110370	426270
5	पटना	52	421200	147160	568360
6	गया	65	526500	183950	710450
7	नवादा	165	1336500	466950	1803450
8	औरंगाबाद	65	526500	183950	710450
9	जहानाबाद	13	10530	36790	142090
10	अरवल	26	210600	73580	284180
11	सारण	607	4916700	1717810	6634510
12	सीवान	208	1684800	588640	2273440
13	गोपालगंज	91	737100	257530	994630
14	मुजफ्फरपुर	208	1684800	588640	2273440

15	वैशाली	26	210600	73580	284180
16	पू0चम्पारण	78	631800	220740	852540
17	पं0 चम्पारण	39	315900	110370	426270
18	सीतामढ़ी	13	105300	36790	142090
19	शिवहर	26	210600	73580	284180
20	भागलपुर	104	842400	294320	1136720
21	बांका	52	421200	147160	568360
22	मधुबनी	117	947700	331110	1278810
23	समस्तीपुर	78	631800	220740	852540
24	दरभंगा	65	526500	183950	710450
25	सहरसा	65	526500	183950	710450
26	मधेपुरा	26	210600	73580	284180
27	सुपौल	52	421200	147160	568360
28	पूर्णिया	78	631800	220740	852540
29	अररिया	52	421200	147160	568360
30	किशनगंज	52	421200	147160	568360
31	कटिहार	39	315900	110370	426270
32	जमुई	213	1725300	602790	2328090
33	बेगुसराय	65	526500	183950	710450
34	खगड़िया	39	315900	110370	426270
35	लखीसराय	26	210600	73580	284180
36	शेखपुरा	26	210600	73580	284180
कुल योग		2987	24194700	8453210	32647910

(तीन करोड़ छब्बीस लाख सैंतालीस हजार नौ सौ दस रूपये) मात्र

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के **जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)** होंगे।

3. इसकी मांग संख्या **16** एवं विपत्र कोड **16--2015001090002** है।

4. **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि संबंधित जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।**

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4--05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019, 6786 दिनांक 19.08.20 9 एवं 885 दिनांक 03.02.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिले के **जिला कोषागार** से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/ उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2019 /पं०रा० पटना, दिनांक
प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रभारी प्रशाखा–05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/2019 /पं०रा० पटना, दिनांक
प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Comm Exp\Election\Letter docx

पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-05/2019/ 73(अ०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

उप विकास आयुक्त बेगुसराय, भागलपुर, गया, गोपालगंज, खगड़िया, पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पूर्णिया एवं समस्तीपुर।
प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज पटना, गया एवं दरभंगा।
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 18/3/2020

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0003–जिला पंचायत की स्थापना" मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाईवार अंकित कुल **₹55,85,16,000.00 (पचपन करोड़ पिचासी लाख सोलह हजार रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019, 6786 दिनांक 19.08.2019 एवं 885 दिनांक 03.02.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. उप विकास आयुक्त कार्यालय स्थापना मद में आवंटित राशि से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत जिला अभियंता, यदि किसी जिला परिषद् में हैं, तो उनके वेतनादि का भुगतान भी इस आवंटित राशि से किया जायेगा।

4. **"सर्वप्रथम इस आवंटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाये वेतन आदि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक है, तो उसका भुगतान किया जाये। ततपश्चात अवशेष राशि से नियमित वेतन का भुगतान किया जाये। यदि इसके बाद भी राशि अवशेष रहती है, तो नियमानुसार बकाया वेतन की निकासी की जा सकती है"।**

5. आवंटित राशि का भुगतान नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार/जिला कोषागार से की जायेगी।

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019 20\Estb & Commt Exp\Zila Panchayat 2019 20\Letter docx

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. **आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये। व्यय न होने पर शून्य व्यय विवरणी भेजी जाये।**

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड संख्या 16–2515000010003** है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
18/03/2020

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2018/73(अनु) पं०रा० पटना, दिनांक 18/3/20
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,-पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

18/03/2020
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2017/73(अनु) पं०रा० पटना, दिनांक 18/3/20
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

18/03/2020
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Comm Exp\Zila Panchayat 2019-20\Letter.docx

पंचायती राज विभाग

वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन–उपशीर्ष–0003–जिला पंचायत की स्थापना" मद में व्यय हेतु राशि (रूपये में) का आवंटन विवरणी।

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन						अन्य भत्ता 0003.01.07	चि० प्रतिपूर्ति 0003.06.01	यात्रा व्यय 0003.11.01	कार्यालय व्यय 0003.13.01	वाहन का इंधन एवं रख रखाव 0003.13.02	दूरभाष 0003.13.03	विद्युत प्रभार 0003.13.04	वर्दी/ पोशाक 0003.13.06	भाड़े की गाड़ी का भुगतान 0003.13.10	प्रशिक्षण व्यय 0003.20.03	संविदा सेवाएँ 0003.28.02	योग
		वेतन 0003.01.01	जी०या०भत्ता 0003.01.03	म०भत्ता 0003.01.04	प०भत्ता 0003.01.06	चि०भत्ता 0003.01.06	कुल												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	उप विकास आयुक्त कार्यालय स्थापना हेतु																		
1	उप विकास आयुक्त, नालन्दा	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	5000	—	—	200000	₹ 205000
2	उप विकास आयुक्त, गया	936000	156000	48000	12000	6000	1158000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 1158000
3	उप विकास आयुक्त, गोपालगंज	0	0	0	0	0	0	—		—	—	—	—	—	5000	—	—		₹ 5000
4	उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर	624000	104000	32000	8000	6000	774000	—		—	—	—	—	—	5000	—	—	—	₹ 779000
5	उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण	624000	104000	32000	8000	6000	774000	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 774000
6	उप विकास आयुक्त, भागलपुर	312000	52000	16000	4000	6000	390000	—	—		—	—	—	—	—	—	—	200000	₹ 590000
7	उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 0
8	उप विकास आयुक्त, पूर्णिया	624000	104000	32000	8000	6000	774000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 774000
9	उप विकास आयुक्त, बेगुसराय	390000	65000	20000	5000	6000	486000	1000	—	—	—	—	—	—	5000	—	—	—	₹ 492000
10	उप विकास आयुक्त, खगड़िया	936000	156000	48000	12000	6000	1158000	—		—	—	—	—	—	5000	—	—	—	₹ 1163000
	कुल	4446000	741000	228000	57000	42000	5514000	1000	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	400000	₹ 5940000
	प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज कार्यालय स्थापना हेतु																		
11	उप निदेशक, पंचायत राज, पटना	780000	130000	40000	10000	20000	980000	—	—	—	—	—	—	—	5000	—	—	—	₹ 985000
12	उप निदेशक, पंचायत राज, गया	624000	104000	32000	8000	16000	784000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 784000
13	उप निदेशक, पंचायत राज, दरभंगा	624000	104000	32000	8000	16000	784000	—	—	—	—	—	—	—	5000	—	—	100000	₹ 889000
	कुल	2028000	338000	184000	[illegible]	52000	2548000	0	0	0	[illegible]	0	0	0	10000	0	0	[illegible]	₹ 2658000

2

7056

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन वेतन 0003.01.01	पी०या०भत्ता 0003.01.03	म०भत्ता 0003.01.04	पे०भत्ता 0003.01.06	चि०भत्ता 0003.01.08	कुल	अन्य भत्ता 0003.01.07	चि० प्रतिपूर्ति 0003.06.01	यात्रा व्यय 0003.11.01	कार्यालय व्यय 0003.13.01	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव 0003.13.02	दूरभाष 0003 13.03	विद्युत प्रभार 0003.13.04	वर्दी / पोशाक 0003.13.08	गाड़ी की गाड़ी का भुगतान 0003.13.10	प्रशिक्षण व्यय 0003.20.03	संविदा सेवाएँ 0003.28.02	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	जिला पंचायत राज पदाधिकारी कार्यालय स्थापना हेतु																		
16	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	50000	—	—	—	10000	—	—	—	₹ 60000
17	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	50000	120000	—	—	—	—	—	—	₹ 170000
18	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	—	5000	—	—	—	—	—	₹ 5000
19	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प० चम्पारण	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 0
20	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी	1170000	195000	60000	15000	10000	1450000.00	—	100000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 1550000
21	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	—	10000	—	5000	—	—	—	₹ 15000
22	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बांका	—	—	—	—	—	0.00	—	—	20000	50000	—	—	—	—	—	—	—	₹ 70000
23	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 0
24	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	—	8000	90000	—	—	—	—	₹ 98000
25	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	—	—	10000	—	—	—	—	₹ 10000
26	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर	780000	130000	40000	10000	20000	980000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 980000
27	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगुसराय	—	—	—	—	—	0.00	—	—	20000	50000	100000	—	—	10000	—	—	—	₹ 180000
28	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा	780000	130000	40000	10000	20000	980000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 980000
	कुल	2730000	455000	140000	35000	50000	3410000	0	100000	40000	200000	220000	23000	180000	25000	0		0	₹ 4118000
	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल हेतु																		
29	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर	7800000	1500000	400000	100000	200000	10000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 10000000
30	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रोहतास	7800000	1500000	400000	100000	200000	10000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 10000000
31	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर	7800000	1500000	400000	100000	200000	10000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 10000000
32	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालन्दा	7800000	1500000	400000	100000	200000	10000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 10000000
33	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना	23400000	4500000	1200000	300000	600000	30000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 30000000
34	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमूर	7800000	1500000	400000	100000	200000	10000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 10000000
35	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया	31200000	6000000	1600000	400000	800000	40000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 40000000
36	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा	7800000	1500000	400000	100000	200000	10000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 10000000
37	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद	7800000	1500000	400000	100000	200000	10000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 10000000
38	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद	7800000	1500000	400000	100000	200000	10000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 10000000
39	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल	7800000	1500000	400000	100000	200000	10000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 10000000
40	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण	7800000	1500000	400000	100000	200000	10000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 10000000
41	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीवान	23400000	4500000	1200000	300000	600000	30000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 30000000
42	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज	7800000	1500000	400000	100000	200000	10000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 10000000
43	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	7800000	1500000	400000	100000	200000	10000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 10000000
44	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली	7800000	1500000	400000	100000	200000	10000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 10000000
45	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	23400000	4500000	1200000	300000	600000	30000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 30000000
46	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प० चम्पारण	23400000	4500000	1200000	300000	600000	30000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 30000000

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन						अन्य भत्ता 0003.01.07	चि० प्रतिपूर्ति 0003.06.01	यात्रा व्यय 0003.11.01	कार्यालय व्यय 0003.13.01	वाहन का इंधन एवं रख रखाव 0003.13.02	दूरभाष 0003.13.03	विद्युत प्रभार 0003.13.04	वर्दी/ पोशाक 0003.13.06	भाड़े की गाड़ी का भुगतान 0003.13.10	प्रशिक्षण व्यय 0003.20.03	संविदा सेवाएं 0003.28.02	योग
		वेतन 0003.01.01	जी०या०भत्ता 0003.01.03	म०भत्ता 0003.01.04	प०भत्ता 0003.01.05	चि०भत्ता 0003.01.06	कुल												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
47	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी	31200000	6000000	1600000	400000	800000	40000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 40000000
48	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर	3900000	750000	200000	50000	100000	5000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 5000000
49	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर	15600000	3000000	800000	200000	400000	20000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 20000000
50	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बांका	7800000	1500000	400000	100000	200000	10000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 10000000
51	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी	7800000	1500000	400000	100000	200000	10000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 10000000
52	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर	7800000	1500000	400000	100000	200000	10000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 10000000
53	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा	7800000	1500000	400000	100000	200000	10000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 10000000
54	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा	7800000	1500000	400000	100000	200000	10000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 10000000
55	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा	7800000	1500000	400000	100000	200000	10000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 10000000
56	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल	7800000	1500000	400000	100000	200000	10000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 10000000
57	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया	7800000	1500000	400000	100000	200000	10000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 10000000
58	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया	7800000	1500000	400000	100000	200000	10000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 10000000
59	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज	7800000	1500000	400000	100000	200000	10000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 10000000
60	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार	7800000	1500000	400000	100000	200000	10000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	800000	₹ 10800000
61	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर	7800000	1500000	400000	100000	200000	10000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 10000000
62	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जमुई	23400000	4500000	1200000	300000	600000	30000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 30000000
63	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगुसराय	7800000	1500000	400000	100000	200000	10000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 10000000
64	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया	7800000	1500000	400000	100000	200000	10000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 10000000
65	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय	7800000	1500000	400000	100000	200000	10000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 10000000
66	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा	7800000	1500000	400000	100000	200000	10000000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	₹ 10000000
	कुल	425100000	81750000	21800000	5450000	10900000	545000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	₹ 545800000
	सकल कुल	434304000	83284000	22272000	5568000	11844000	556472000	1800	100000	40000	200000	220000	23000	100000	60000	0	0	1300000	₹ 558516000

कुल = पचपन करोड़ पिचासी ला[illegible] हजार रुपये मात्र

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–03/2019/74 (अनु०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 18/3/2020

विषय : वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय "मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–101–निर्वाचन आयोग–उपशीर्ष–0001–राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज)" मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत विषय शीर्ष–0001.01.03–जीवन यापन भत्ता मद में कुल ₹3,00,000.00 (तीन लाख रूपये) मात्र एवं विषय शीर्ष–0001.11.01–यात्रा व्यय मद में कुल ₹2,00,000.00 (दो लाख रूपये) मात्र अर्थात **कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि** वित्तीय वर्ष 2019–20 में आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019, 6786 दिनांक 19.08.2019 एवं 885 दिनांक 03.02.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. आवंटित की जा रही राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना** होंगे। इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

क्रमशः...

D:\MS Fere\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Commt Exp\Nirwachan Aayog\Letter.docx

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

10. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड संख्या 16—2015001010001** है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

18/03/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय—01—03/2019/ 74(3) पं०रा० पटना, दिनांक 18/3/20
प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/03/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय—01—03/2019/ 74(3) पं०रा० पटना, दिनांक 18/3/20
प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/03/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 08/2017/ 735 (आ०) पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

कल्पना कुमारी,

अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,

बिहार।

पटना, दिनांक 25.03.2

विषय: **वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभागीय राज्यादेश संख्या 27(स्वी०) दिनांक 24.01.2020 द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों के कार्यपालक सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु स्वीकृत कुल ₹110.00 करोड़ (एक अरब दस करोड़ रूपये) मात्र में से ₹84.08 करोड़ (चौरासी करोड़ आठ लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 27(स्वी०) दिनांक 24.01.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में द्वितीय किस्त के रूप में कुल ₹1485.25 करोड़ (चौदह अरब पिचासी करोड़ पचीस लाख रूपये) मात्र की राशि राज्य में कार्यरत सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों, एवं ग्राम पंचायतों के बीच वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से ग्राम पंचायतों के कार्यपालक सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु कुल ₹110.00 करोड़ (एक अरब दस करोड़ रूपये) मात्र की राशि स्वीकृत है।

2. उक्त के आलोक में इस आवंटनादेश के साथ संलग्न विवरणी 5 के अनुरूप ग्राम पंचायतों के कार्यपालक सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु **कुल ₹84.08 करोड़ (चौरासी करोड़ आठ लाख रूपये) मात्र** की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो विभागीय राज्यादेश संख्या 27(स्वी०) दिनांक 24.01.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी संबंधित जिले के जिला कोषागार से करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के "मुख्य शीर्ष 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष- 00- लघु शीर्ष 198 ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष 0009 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान" अंतर्गत विषय शीर्ष '0009.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन' से की जायेगी। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16 2515001980009 है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम 4 05/98 2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 6786 दिनांक 19.08.2019 एवं 331 दिनांक 05.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय--समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

25/03/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-08/2017/755(अनु)/पं०रा० पटना, दिनांक 25.03.20
प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त सह--मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-6/लेखापाल, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

25/03/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-08/2017/755(अनु)/पं०रा० पटना, दिनांक 25.03.20
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

25/03/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

विवरणी - 5

विभागीय राज्यादेश संख्या 27(रवी०) दिनांक 24.01.2020 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में द्वितीय किस्त के रूप में ग्राम पंचायत के कार्यपालक सहायक के मानदेय हेतु आवंटित राशि की विवरणी:---

क्र०	जिला	आवंटित राशि (रूपये में)।
1	2	3
1	Arwal	0.00
2	Araria	20000000.00
3	Aurangabad	26900000.00
4	Banka	6400000.00
5	Begusarai	5000000.00
6	Bhagalpur	28400000.00
7	Bhojpur	52100000.00
8	Buxar	12700000.00
9	Darbhanga	50000000.00
10	E. Champaran	29100000.00
11	Gopalganj	32000000.00
12	Jamui	18400000.00
13	Jehanabad	12100000.00
14	Kaimur	11800000.00
15	Katihar	42600000.00
16	Gaya	10000000.00
17	Khargaria	12800000.00
18	Kishanganj	14300000.00
19	Lakhisarai	5000000.00
20	Madhepura	32500000.00
21	Madhubani	0.00
22	Muzzafarpur	40000000.00
23	Munger	14600000.00
24	Nalanda	5000000.00
25	Nawada	20000000.00
26	Patna	10000000.00
27	Purnia	13800000.00
28	Rohtas	0.00
29	Saharsa	0.00
30	Samastipur	96200000.00
31	Saran	35000000.00
32	Sheohar	5800000.00
33	Sheikhpura	2900000.00
34	Sitamarhi	40600000.00
35	Supaul	27500000.00
36	Siwan	52200000.00
37	Vaishali	7500000.00
38	W. Champaran	47600000.00
	Total :-	**840800000.00**

(चौरासी करोड़ आठ लाख रूपये) मात्र

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक: 5प/राज्य स्कीम 02- 11/2017/ 76 (आ०) पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 25.03.2020

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 33(स्वी०) दिनांक 19.03.2020 द्वारा स्वीकृत कुल ₹4,41,11,743.00 (चार करोड़ इकतालिस लाख ग्यारह हजार सात सौ तैतालीस रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 33(स्वी०) दिनांक 19.03.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन में सहयोग हेतु अनुबंध/संविदा के आधार पर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के पैनल से प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालयों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों के पारिश्रमिक/मानदेय भुगतान हेतु कुल **₹4,41,11,743.00 (चार करोड़ इकतालिस लाख ग्यारह हजार सात सौ तैतालीस रूपये)** मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में स्वीकृत्यादेश संख्या 33(स्वी०) दिनांक 19.03.2020 एवं इसके साथ संलग्न विवरणी के अनुरूप **कुल ₹4,41,11,743.00 (चार करोड़ इकतालिस लाख ग्यारह हजार सात सौ तैतालीस रूपये) मात्र की राशि** वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटित की जाती है।

3. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी** होंगे, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. **सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16–2515000010102) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।**

5 इस आवंटित राशि की निकासी **वित्तीय वर्ष 2019--20 में मांग संख्या--16** के राज्य स्कीम अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष--2515--अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम--उपमुख्य शीर्ष--00--लघुशीर्ष--001--निदेशन एवं प्रशासन--उपशीर्ष--0102--जिला पंचायत की स्थापना"** मद के विषय शीर्ष **'0102.28.02--संविदा सेवाएँ'** इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड **16--2515000010102** है।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\State Scheme\P 2515000010102\letter.docx

2019, 6786 दिनांक 19.08.2019 एवं 331 दिनांक 05.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम 02 11/2017 के पृष्ठ संख्या 54/प० पर दिनांक 23/3/20 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

25/03/2020

(कल्पश्री कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक 5प/राज्य स्कीम-02-11/2017/76(अनु०)/प०रा० पटना, दिनांक 25.03.2020
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/03/2020

(कल्पश्री कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम 02 11/2017/76(अनु०)/प०रा० पटना, दिनांक 25.03.2020
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/03/2020

(कल्पश्री कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

D:\ME Excel\Allotment\Allotment 2019-20\State Scheme\P 2515000010102\Letter.docx